खण्ड-325, अंक-6
गुरूवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1899
(21 जुलाई, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

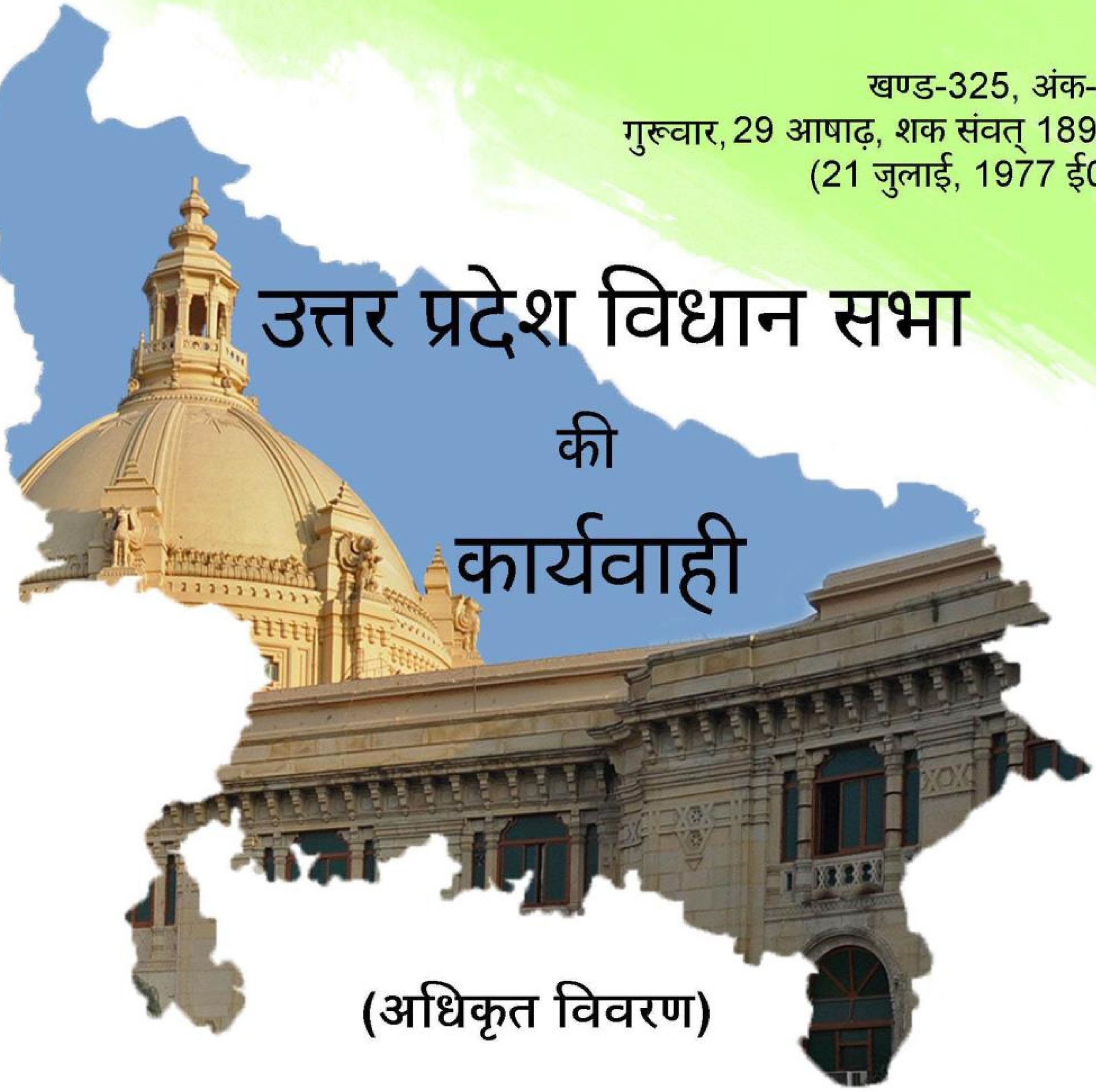

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 325 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३९२
अनिवार्य बचत योजना समाप्त करने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	३९३
मुगल सराय (वाराणसी) थाने की पुलिस द्वारा इन्डियन एयर एन्ड गसेज लि० के १८ श्रमिकों को बन्द किये जाने से श्रमिकों में रोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	३९३
रसड़ा सुरक्षित क्षेत्र जिला बलिया में गाढ़ाताल में पानी भर जाने से वहां के गांवों का आवागमन अवरुद्ध हो जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	३९४
नगर पालिकाओं के प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस लिए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	३९४
गोरखपुर विश्वविद्यालय परीक्षा कक्ष में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	३९५
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९५
काशी विद्यापीठ की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९६
लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९६
आगरा विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९७
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए सदस्यों को निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९७
कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९७
मेरठ विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९८
गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९८
विधेयकों पर विचार के लिए समय विभाजन ..	३९९
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७ (विचारोपरान्त पारित)	३९९

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, १९७७ (विचारोपरान्त पारित)	४१३
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ (विचारोपरान्त पारित)	४४३
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधयक, १९७७ (जारी) ..	४६२
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४७९
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७ (जारी) ..	४७९
सदन के समय में पुनः वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	५०९
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७ (विचारोपरान्त पारित)	५०९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	५१०
बिजली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	५१२
नत्थी ..	५२१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २१ जुलाई, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९०

अकबर हुसेन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार, अहमद चौधरी श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनी कुमार सिंह, श्री
अवधेश नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल, यादव श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाटवर
आबिद अली, श्री
अनरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त, यादव श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नरायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित्त नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री भैया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह,श्री
कन्हैया लाल, गुप्त श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार, पालीवाल श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री

ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गन्जेश्वर, श्री
गँहदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर, यादव श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छैदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, 'निर्भय' श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
—जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जगन्नाथ सिंह,
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल, त्रिवेदी श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान, सिंह श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय, सिंह श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
वीरे सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री

प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह, पुष्पवान श्री
प्रदीप कुमार, बजाज श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवारी, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल, जूआंठा अरविन्द श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल, सरोज श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाज, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभो, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसेन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूरअली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्र
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनेन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मोहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री

मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति सिंह, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र, चौधरी श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे, अग्निहोत्री श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राब बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुस्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शत्रुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री

शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भू नाथ, चौधरी
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोवन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह, यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह, परिहार, श्री
हेम राज, श्री
रिक्त
रिक्त

नोट :—श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत् मंत्री भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनिवार्य बचत योजना समाप्त करने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से प्रदेश में लाखों लोगों के सामने एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी, जो विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं उनसे कम्पलसरी डिपाजिट के नाम पर धन की वसूली उनके वेतन से हो रही है। मान्यवर, जब से केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था . . . .।

श्री अध्यक्ष—

इस पर केवल सूचना देने की आपको अनुमति दी गई है। आप तो भाषण देने लगे कि जनता पार्टी ने क्या कहा। आप सिर्फ सूचना दीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

सूचना ही दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने एक आदेश दिया था कि २ महीने के लिए अनिवार्य बचत योजना को बन्द किया जायगा और जब कोई लोकप्रिय सरकार बनेगी तो पुनः इस पर विचार किया जायगा। आपके माध्यम से मैं शासन और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से केन्द्र में इसे बन्द कर दिया गया है उसी तरीके से प्रदेश की सरकार भी इस स्कीम को तुरन्त बन्द करे जिससे कर्मचारियों में जो व्याप्त असन्तोष है उसे दूर किया जा सके।

मुगल सराय, वाराणसी थाने की पुलिस द्वारा इन्डियन एयर ऐण्ड गैसेज लि० के श्रमिकों को बन्द किये जाने से श्रमिकों में रोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष—

श्री कैलाश नाथ, श्री श्याम देव तथा राजबली तिवारी, इन तीनों ने सम्मिलित रूप से सूचना दी है। एक माननीय सदस्य बोलें।

*श्री कैलाश नाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वाराणसी जिले के मुगलसराय थाने की पुलिस ने इंडियन एयर ऐन्ड गैसेज लिमिटेड, मुगलसराय के १८ श्रमिकों को दिनांक १८ जुलाई, १९७७ को मालिकों एवं प्रशासन की साजिश से जेल में बन्द कर दिया है जबकि वे अपनी शान्तिपूर्ण न्यायोचित मांग के लिए और आपात स्थिति में किये गये दमन के विरोध में शान्तिपूर्ण ढंग से फैक्टरी के गेट पर एकत्र थे। उनकी मुख्य मांग थी कि आपातस्थिति में जबर्दस्ती काम से रोकने तथा स्थानान्तरण का ढोंग रच कर उन्हें निष्कासित करने के षडयन्त्र को समाप्त किया जाय और इस सम्बन्ध में २० दिसम्बर, १९७६ को रिट संख्या १२२६६ सन् १९७५ को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा किये गए आदेश का पालन किया जाय।

इस घटना से क्षेत्र के श्रमिक वर्ग और पुलिस की बर्बरता से जनता में क्षोभ व्याप्त है और जनता पार्टी तथा शासन को बदनाम करने के षड्यन्त्र से सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। मेसर्स साहू केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स, साहूपुरी के कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। अतएव मैं शासन से तुरन्त हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

श्रम मन्त्री जी को इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रसड़ा सुरक्षित क्षेत्र, जिला बलिया में गाढ़ा ताल में पानी भर जाने से वहां के गांवों का आवागमन अवरुद्ध हो जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

मान्यवर, रसड़ा सुरक्षित क्षेत्र जिला बलिया में बसमहीं नाला का पानी बरसात में गाढ़ा ताल में इकत्र होता है। इस वर्ष लगातार पानी बरसते रहने से सम्पूर्ण पानी गाढ़ा ताल में एकत्र हो गया है। इसके पानी के निकास के दो मार्ग हैं। पहला बीबीपुर सड़क पर बना पुल, जो कई वर्षों से टूट चुका है व दूसरा मार्ग सीताकुंड पर बना हुआ रेगुलेटर। सीताकुंड पर लगाये गये रेगुलेटर का मुंह बहुत ही सकरा व छोटा है। पानी धीरे-धीरे निकलता है। इस समय पानी का जमाव हो गया है। दूसरी परेशानी यह है कि नाला के पानी के बहाव के रास्ते में तीन-चार मील की लम्बाई तक बेहया पैदा हो गया है। इस प्रकार गाढ़ाताल में पानी का जमाव गत वर्षों से अधिक हो गया है सीताकुंड रेगुलेटर का मुंह सकरा होने से पानी का निकलना पूर्णतया बन्द हो गया है। नतीजा यहां तक पहुंच चुका है कि बीबीपुर के पुल के टूट जाने से आवागमन पूर्णतया बन्द हो गया है यही एक ऐसा मार्ग है, जिससे प्रतिदिन हजारों व्यक्ति बलिया शहर, रसड़ा बाजार एवं अन्य स्थानों को आते जाते हैं। अब तक नाव की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोगों में हाहाकार मचा है। इस गाढ़ाताल के पानी इकत्र हो जाने से रतनपुरा, बीबीपुर, सोधबल, ठेंचा, पीपरसाँत, गाढ़ा, खालीसपुर, इटौरी, मसना, खूंटी, अरदौना आदि गांवों में पानी घुसना आरम्भ हो गया है। इन गांवों तथा आसपास के गांवों की वर्तमान फसलें डूब गई हैं। कांग्रेसी शासन के समय में बहुत से मंत्रियों एवं अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया एवं आश्वासन दिया, परन्तु दुख है कि कांग्रेसी जमाने की सभी बातें झूठी रहीं व जनता को धोखा में डाले रहे। यही कारण है कि आज इन गांवों की स्थिति बरबादी के बिन्दु तक पहुंच चुकी है।

अस्तु, कृपा करके यथाशीघ्र नावों की व्यवस्था की जाय व नदी-नाला के बहाव के मार्ग में उगे बेहया को कटवाया जाय। बीबीपुर के पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाय। सीताकुंड पर बने रेगुलेटर के मुंह को चौड़ा किया जाय एवं इस पर पुल शीघ्र बनाया जाय ताकि उपरोक्त वर्णित एवं आस-पास के गांवों के धन-जन की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना मैं माननीय मन्त्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

नगर पालिकाओं के प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस लिए जाने से विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अपने शिक्षा अनुभाग ६, दिनांक २० मई, सन् १९७५ को एक आदेश प्रसारित किया जिसके द्वारा नगर पालिका के प्राइवेट स्कूलों को लूट करने की इजाजत दी है। इसके द्वारा कक्षा १ से ५ तक के विद्यार्थियों से मनमानी फीस ली जा रही है जो १५ और २० रुपये माहवार तक पहुंचती है। जुलाई का माह शुरू हो गया है और नगर पालिका लखनऊ के अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए चारों ओर मारे-मारे घूम रहे हैं। विशेष कर अनुसूचित

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाति के अभिभावकों के लिए नगर पालिका में स्थित प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला कराना महान दिक्कत का प्रश्न बन गया है । सरकार शीघ्र ही इस पर कदम उठाये ।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजता हूं ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय परीक्षा कक्ष में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा कक्ष भ्रष्टाचार से भरा हुआ है । इस सम्बन्ध में हाल ही में नेशनल हेराल्ड में वहां की अनियमिततायें तथा घोटालों के सम्बन्ध में बातें प्रकाशित हुई हैं । जो लड़के १९७४–७५ में पास हो गये और डिग्री ले ली थी मालूम हुआ है कि उनको लिखा गया है कि उन्हें गलत ढंग से पास किया गया और उनकी डिग्रियां रद्द समझी जायं । मालूम हुआ है कि यहां परीक्षा फल की कापियों के नम्बरों को देने में बहुत धांधली तथा जालसाजी की गई है । यहां तक की कहीं कहीं नम्बरों को कुछ पन्नों पर परीक्षाफल कक्ष में कागज पर बढ़ा दिये गये हैं । यह भी पता चला है कि परीक्षाफल के दफ्तर में हजारों रुपये देकर ऐसा कराया जा रहा है । अब जब इसका पता चल रहा है तो जो उत्तीर्ण विद्यार्थी भी रहे हैं उनको अनुत्तीर्ण घोषित किया जा रहा है और अपनी डिग्री के बल पर तो कुछ विद्यार्थी सेवारत हैं । इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है और कौन जांच कर रहा है और जांच के क्या नतीजे हैं । यह पूरी तौर से नहीं मालूम हो रहा है । इस सम्बन्ध में पता चला है कि कुछ लड़के जिन्हें डिग्रियां वापस करने को कहा जा रहा है – अदालतों में गये हैं । परीक्षकों की नियुक्तियों को लेकर बड़ा–बड़ा असन्तोष है । पता चला है कि कुछ कापियां अभी तक भी जांची नहीं गई हैं और पड़ी हैं । यह भी पता चला है कि कुछ लड़कों की माहवारी फीस देने पर भी हिसाब बही में नहीं जमा की जा रही है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में यदि कुछ प्रकाश डालें तो कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बड़ा गम्भीर आरोप है । मैं चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपया इसकी जांच करायें और आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मेरा भी एक था ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय के बाद आया है, उसकी अनुमति नहीं दी ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसाकि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की

धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन् इसका निर्देश ।

श्री अध्यक्ष—

इसका निदश बाद में होगा ।

काशी विद्यापीठ की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, काशी विद्यापीठ की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उप धारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सनस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, काशी विद्यापीठ की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधत हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः

अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा ३२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आगरा विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से म यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उप धारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४ के खंड (३) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्राविधक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४ के खंड (३) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की

उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मेरठ विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मेरठ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मेरठ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनःअधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा २२ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधेयकों पर विचार के लिए समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष—

विधेयक लेने से पहले कार्य मंत्रणा समिति ने जो सिफारिश किया था उसमें आप जानते हैं कि ४ विधेयकों को विचार और पारित करना है । मैं इसके लिए निम्न समय का बंटवारा उचित समझता हूं और यदि इसमें माननीय सदस्य कोई संशोधन करना चाहते हैं तो बतला दें :—

उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७—एक घंटा,

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, १९७७—डेढ़ घंटा,

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७—एक घंटा,

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७—२ घंटा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, यह क्या कार्य मंत्रणा समिति का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अध्यक्ष—

यह पहले हो चुका है । कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के मुताबिक आज के लिए ४ विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए लिया गया है । उसी के अनुसार मैंने समय का विभाजन करना उचित समझा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, कार्य पद्धति यह है कि कार्य मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव है उसको संसदीय कार्य मंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह पहले हो चुका है । मैंने तो समय का विभाजन किया है ।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, नियमों का अवलोकन करें तो नियम ११९ ऐसा है । यदि कोई पावर डेलीगेट करता है तो उसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी होनी चाहिये । जो विधेयक पेश किया गया है उसकी धारा २ के अनुसार राज्य सरकार को कुछ पावर डेलीगेट की गई हैं । लेकिन इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्यवर, सदन के सामने नहीं है । अतएव मेरा निवेदन है कि यह बिल पेश नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें किस खंड के अन्तर्गत पावर डेलीगेट किये जाने की बात है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

खंड २ में है ।

श्री अध्यक्ष—

विधेयक में आप पढ़ेंगे तो उपबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां, जिसे वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, आमोद-कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश को या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ-साथ अथवा उसे अपवर्जित करके प्रदत्त कर सकती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि यह शक्तियां कौन हैं ? बिल के द्वारा दी जाती है । यदि बिल के द्वारा नहीं दी जायेगी तो और कोई व्यवस्था की जायेगी । बिल के द्वारा जो अधिकार दिये जा सकते हैं वह इसके द्वारा पहले डेलीगेट नहीं किये जा रहे हैं । इसलिए यह डेलीगेट लेजिस्लेशन का मामला है, वह इसमें निहित है और चूंकि इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी नहीं है इसलिए बिल पेश नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य नियम ११९ को ध्यानपूर्वक पढ़ें जिसमें यह है कि "विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन—जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याप्ति की व्याख्या होगी ।" इसमें डेलीगेटेड लेजिसलेशन कमेटी में क्या क्या उपनियम बनायें जा सकते हैं उसका निर्देशन है । जैसा आप जिक्र कर रहे हैं नियम की कोई बाधा इसमें नहीं है इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सदन के द्वारा यह विधेयक पारित कर उ० प्र० मनोरंजन कर आयुक्त को कुछ ऐसे अधिकार देने की बात कही गयी है जो साधारणतः चल चित्र (विनियमन) के अन्तर्गत लाइसेन्सिंग अधिकारी जिलाधीश को दिये गये हैं । अभी तक यह रहा कि मनोरंजन कर आयुक्त का अधिकार सीमित था कि मनोरंजन कर की चोरी न होने पाये । मनोरंजन कर आयुक्त चल चित्र गृह का निरीक्षण करते थे और कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करते थे । अगर किसी चल चित्र गृह की दशा खराब है या कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो वह इन सब चीजों के बारे में अपनी सिफारिश या सूचना जिलाधीश को देते थे । चल चित्र विनियमन के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का उनको अधिकार नहीं था । लेकिन कभी कभी कार्य अधिक होने के कारण जिलाधीश के यहां कागज पड़ रहते थे और कोई कार्यवाही नहीं हो पाती थी । अब इस संशोधन के द्वारा मनोरंजन कर आयुक्त को यह अधिकार देने की बात है कि वह आन दि स्पाट निरीक्षण करके लाइसेंसिंग अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग कर सकें । मान लीजिये

किसी चल चित्र गृह में निरीक्षण करने पर देखें कि सीट की व्यवस्था ठीक नहीं है या और कोई दूसरी दुर्व्यवस्था है तो वह इस शक्ति मिल जाने के फलस्वरूप तत्काल कार्यवाही कर सकेगा। इस संशोधन के पीछे यही मूल भावना है। लेकिन साथ ही यह भी इसमें है कि इन दोनों के अधिकारों में विरोधाभास नहीं होगा और यदि ऐसी स्थिति होगी तो वह चीज शासन के सामने जायगी। अब जैसा कि यह विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है माननीय सदन यहां भी पारित करें।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

श्रीमन, मेरी समझ में यह बात ही नहीं आयी कि इस अध्यादेश को सदन की मंजूरी की क्या जरूरत पड़ी। पिछली सरकार ने अध्यादेश के जरिये इसको किया तो आपको इसको लैप्स कर देना चाहिए था। आप इसको देखें तो विरोधाभास है मंत्रीजी गौर से देख लें। यह लिखा है कि इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने का अधिकार रखने वाला प्राधिकारी (जिसे यहां पर आगे चल कर लाइसेन्स प्राधिकारी कहा गया है) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। इसमें लाइसेन्सिंग अथारिटी एक पार्टी है लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ साथ अब इन्टरटेन्मेंट टैक्स कमिश्नर को भी वे पावर्स दे दिये जायेंगे ताकि वह आन दी स्पाट मुआयना करके जो कुछ भी आर्डर लाइसेन्स के सस्पेन्शन या कैन्सल करने के हों उसे मिल जाये ताकि इस काम में चोरी न हो। इसी के साथ अब अपने उद्देश्य और कारण में देखें। इसमें यह बिल्कुल साफ लिखा है कि मनोरंजन कर आयुक्त को उन स्थानों का निरीक्षण करने की शक्ति है जहां पर चल चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं किन्तु उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन स्वीकृत किये गये लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त करने की शक्ति नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि आपका जो एक आफीसर है जो लाइसेंसिंग अथारिटी है उसको लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है। वह केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। आप चाहते यह हैं कि उनको निरस्त या सस्पेन्ड करने की जो पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हैं वह सब अधिकार अब मिल जाय इस बिल के जरिये।

श्रीमन् मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लाइसेन्स देने के पूरे पावर्स हैं तो दूसरे अधिकारी को यही पावर्स देने की जरूरत क्यों पेश आयी। इसका असर ठीक नहीं होगा जो सिनेमा चलाने वाले लोग हैं और जो रात दिन आपके इन्टरटेन्मेंट टैक्स की चोरी भी करते हैं, टिकटों का ब्लैक करते हैं, कोई जितनी होनी चाहिए वह भी नहीं रखते हैं इन चीजों से बचने के लिए, इनको छिपाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और आपके इन्टरटेन्मेन्ट टैक्स कमिश्नर साहब के स्टाफ का जो कुछ माहवार मुकर्रर होता है उनको पहुंचाते हैं। जब कभी मुआयना करने के लिए कमिश्नर साहब बरेली से चलेंगे तो मुरादाबाद में पहले सूचना मिल जायगी कि कमिश्नर साहब पहुंच रहे हैं ताकि जो भी गड़बड़ काच हो उसे ठीक ठाक रखें और यह चीज मुश्तकिल तौर से हो जाती है। इसके माने यह हुए कि सिनेमा के मामले में एक के बजाय दो अथारिटीज को वे पावर्स आ गयी हैं। क्योंकि कमिश्नर को अब लाइसेंस कैन्सिल करने और सस्पेन्ड करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसेन]

की पावर आ जायगी इसलिए पहले जहां एक हजार रुपया महीना पाते थे अब नजूरली दो हजार रुपया महीना पायेंगे। पहले तो यह सिर्फ यह था कि वह उसकी रिपोर्ट लिख कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजते थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस पर फैसला लेंगे लेकिन अब वह स्वयं अधिकारी हैं इसलिए एक हजार का मामला नहीं है बल्कि दो हजार का है ०

एक बात इ में और साफ नहीं हो रही है। इस बिल में दो पार्टीज पेरेलल आपने कर दी हैं। इसमें लिखा है कि एक दूसरे से दोनों का ताल्लूक रहेंगा और यह एक दूसरे को सूचना देंगे कि हमने यह कार्यवाही की है ? आपके कमिश्नर साहब ने उसके लाइसेन्स को कैंसिल किया, सस्पेन्ड किया तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सूचना देंगे कि यह कार्यवाही कर दी है या एप्रूवल के लिये जिलाधीश को सूचना देंगे तब तो झगड़ा खड़ा होना अनावश्यक है और उसका फैसला फिर सूबे की सरकार करेगी आया कमिश्नर वाली बात स्टेंड करे या जिलाधीश वाली बात स्टेंड करे। अगर केवल सूचना की बात है तो फिर इसमें सूबे की सरकार। सरकार कैसे झगड़े का फैसला करेगी ? फिर इसमें यह भी नहीं लिखा कि इतने समय के अन्दर सूबे की सरकार इसका फैसला कर देगी ० अगर इन दोनों का कोई झगड़ा फंस गया और सिनेमा वाले का सस्पेंशन हो गया तो वह भागे दौड़ेगा। लिहाजा मेरी समझ में नहीं आया कि इसकी जरूरत क्यों पैदा हुई ? आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में कोई सिनेमा हाल ऐसा नहीं है जहां टिकट ब्लेक न होता हो, जहां इंस्पेटिंग अथारिटीज का मंथली तय न हो। आपने जो एक के बजाय दो आफिसर कर दिये तो इससे रिश्वत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एनटरटेनमेन्ट टैक्स की चोरी रात दिन होती है। हर सिनेमा हाल का सिस्टम है कि २०, ३० टिकट जो पहले से मुकामी लोग हैं उनको दे दिया जाता है जिन पर ब्लेक का धन्धा चलता है मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इससे यह ब्लेक रुकेगा कैसे ?

कांग्रेस सरकार ने इसे अध्यादेश का रूप दिया था तो अब आपको सदन में इसे लाने की क्या जरूरत थी, आप इसे लेप्स हो जाने देते ? सिनेमा के अन्दर ब्लेक होती है, एंटरटेनमेंट टैक्स की चोरी होती है उसको रोकने के लिये अगर प्राविजन होता तब तो ठीक था लेकिन अपने एक के बजाय दो अफिसर कर दिये इस पर जरा पुनर्विचार कर लें ० इसलिये मुझे यह छोटा सा संशोधन लाना पड़ा जिसे सरकार मंजूर करेगी।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी--(जिला बलिया)--

कांग्रेस सरकार ने इसे अध्यादेश के रूप में प्राख्यापित किया था और जनता सरकार को इसे विधेयक के रूप में लाना पड़ा। लोक सभा के चुनाव के बाद जब आप पर चोट पड़ी तो कांग्रेसी सरकार के अन्दर सद्बुद्धि पैदा होने लगी। जब अद्बुद्धि आई जैसा कि हमारे रियासत भाई ने कहा मनोरंजन कर की चोरी होती है। सरकार के सामने कह सवाल है किसे इसमें रखा जाय क्योंकि कलेक्टर जो है मनोरंजन कर के बारे में जांच पड़ताल नही कर पाते और न उसके पास अवकाश है। कोई चलचित्र का मालिक कहां कर की चोरी करता है। इसकी जांच पड़ताल का आयक्त को अधिकार है। लेकिन श्रीमन् आयुक्त को अधिकार तो है कि वह उसकी जांच तो करे लेकिन उसको अधिकार नहीं है कि वह उसके लाइसेंस को इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षणनहीं किया।

अपराध के कारण रद्द कर दे। इसलिये जरूरी था कि कर की चोरी को रोकने के लिए यह अधिकार आयुक्त को दिया जाय। अब प्रश्न उठेगा कि लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार दिया जाय क्योंकि एक सामान्य नियम है कि लाइसेंस रद्द करने का अधिकार उसको होगा जोकि उसको देने का भी अधिकारी होगा। इसलिए इस बीच की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है कि लाइसेंस देने और निरस्त करने का अधिकार आयुक्त को हो...

श्री रियासत हुसेन—

देने का अधिकार नहीं है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

उन्हें बोलने दीजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान लीजिये कोई ऐसी परिस्थिति आये एक दूसरे में विवाद हो जाय तो उस विवाद का सरकार निर्णय करेगी। हो सकता है कि दोनों में विवाद हो जाय (व्यवधान) आपके दिमाग में नहीं है, सरकार के दिमाग में हो सकता है। जब दो अधिकारियों में विवाद होगा तो उसको हल करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। अगर विवाद उत्पन्न होगा तो सरकार इसका निर्णय करेगी। मान्यवर, यह एक छोटा सा विधेयक है आप इसको लाये थे। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपको कोई शंका थी तो आप अपने दाहिने बैठे नारायण दत्त तिवारी जी से पूछ लें। तो मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं कि सदन इस विधेयक को पास करे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, वैसे तो यह विधेयक बहुत सरल सा है। इसमें बहुत विवाद की बात नहीं है और मैं साधारण तौर से इसकी ताईद करता हूं लेकिन इसमें दो एक प्रश्न हैं जिनको मैं उठाना चाहता हूं। एक तो माननीय रियासत साहब ने उठाया जो द्वंद उठता है दो अधिकारियों के होने से। एक ही काम के लिए उसका क्या होगा? एक ही काम के लिए एक अधिकारी जिले में और एक अधिकारी प्रांत में हो और यदि उनके विचारों में द्वंद हो तो कौन मामले को ले जायेगा राज्य सरकार को? राज्य सरकार एक तीसरी संस्था होगी, एक तीसरी चीज आ गई। जो पहले विलंब होता था उसमें अब तीसरा पक्ष होने की बात हो गई। उसमें जिला मैजिस्ट्रेट, मनोरंजन आयुक्त और अब उसमें राज्य सरकार भी आ रही है। इन सब की आवश्यकता क्यों हुई मेरी समझ में नहीं आता। दोनों सरकार पिछली सरकार जिसने यह बनाया और यह सरकार दोनों इसको समझा सकते हैं लेकिन मेरे समझ में यह बात ठीक से नहीं आ रही है क्यों इसकी आवश्यकता हुई। एक अधिकारी की जगह तीन तीन अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। यह प्रबंध कैसा हो रहा है, यह क्यों किया जा रहा है और इससे क्या लाभ होगा?

साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आज चल चित्रों की हालत हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी है और देश कि तुलना में देखा जाय तो यहां चल चित्र बहुत कम हैं और उनकी बुरी दशा है और स्थान भी अच्छे नहीं हैं।

आज बड़े-बड़े शहरों की हालत यह है कि सिनेमा देखने बैठिये तो कहीं धुंधला दिखाई पड़ता है और कहीं सुनाई कम पड़ता है। इसका कारण यह है कि कहीं तो मशीनरी खराब है या कहीं प्रोजेक्टर खराब है या और कुछ खराब

[श्री श्यामधर मिश्र—]

है । मनोरंजन कर की तो बराबर चोरी हो रही है । पिछली सरकार ने एक स्क्वायड बनाकर इसको चेक करने, इनका निरीक्षण करने की बात सोची थी, लेकिन वह हुआ नहीं और आज चोरी बड़े जोरों से हो रही है । इसके अतिरिक्त सिनेमाओं के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई थी, उसने क्या किया और क्या प्रगति हुई, यह भी हमे मालूम नहीं है । सिनेमा एक उद्योग है और गरीबों का एक सस्ता से सस्ता मनोरंजन का साधन इस देश में है, किन्तु उत्तर प्रदेश में यह उद्योग के रूप में नहीं माना गया है । उसे अभी दो-तीन वर्ष पूर्व से एक साधारण उद्योग के रूप में माना गया है । यही कारण है कि धीमी गति से बैंकों से उन्हें कर्ज दिलाए जाने लगे हैं । लेकिन महाराष्ट्र तमिलनाड वगैरह में उसको ऋण देने के नियम हैं । उन्हें तब तक लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, नहीं चलने दिया जाएगा, जब तक नियमानुसार सारी चीजें पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाती हैं । यहां तो आर्बिट्रेरी अधिकार हैं मनोरंजन आयुक्त या कलेक्टर को कि वह जिसे चाहे, दे दे ।

मेरा निवेदन है कि यह अर्बिट्रेशन, यह स्वेच्छाचारिता बन्द होनी चाहिए । इस हमारे भवन के पास ही में एक सिनेमा बना हुआ है, जो नहीं बनना चाहिए था । मेरे बनारस में स्कूलों के पास सिनेमा हैं । नियमों का पालन हो या न हो, लेकिन जो कलक्टर को खुश कर लेता है, उसको लाइसेंस मिल जाता है । एक ही परिस्थिति में एक सिनेमा को लाइसेंस मिल जाता है और दूसरे को नहीं मिलता है । क्योंकि अपने विवेक का बहाना लेकर स्वार्थ सधने पर उन्हें लाइसेंस दे दिया जाता है । इसलिए उन्हें विवेक का अधिकार कम दिया जाए और यह अधिकार उन्हें एक सीमित दायरे में दिया जाए, जिसमें अपने विवेक के नाम पर वे भ्रष्टाचार न कर सकें । साथ ही द्वन्द की स्थिति भी समाप्त की जाए । बिल का जहां तक सम्बन्ध है, द्वन्द जो उठता है, उसका ठीक करने की चेष्टा की जाए, चाहे इस विधेयक से या जो रूल बने उससे ।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से चलचित्र के विषय में थोड़ा सा संशोधन रखना चाहता हूं । आजकल चलचित्र मनोरंजन का एक मुख्य साधन है, किन्तु उन पर उचित नियन्त्रण होना भी आवश्यक है । वह चाहे जिला अधिकारी हो या और कोई हो । जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनसे दूर चलचित्र गृह बनें, ताकि शिक्षण संस्थाओं का पवित्र और शान्त वातावरण अक्षुण्ण रहे । मुझे निवेदन करना है कि इलाहाबाद में हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन के सामने एक विशाल चलचित्र भवन 'चन्द्रलोक' बना हुआ है । यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राजऋषि जी का प्राण था । इस सिनेमा भवन से वहां का वातावरण गन्दा हुआ है । निवृत्तमान सरकार ने उस पर बहुत विचार किया था और उस पर काफी वाद विवाद हुआ । अब उस पर सरकार ने क्या किया इसका प्रश्न नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार इस चीज को देखे । ९ फरवरी, ७५ और उसके बाद के गजट में सरकार ने यह घोषित किया था कि उसको सरकार अधिग्रहीत करेगी । ऐसी शोध संस्था, जिसका विश्व तक में एक प्रमुख स्थान है, उसके सामने ऐसे चलचित्र का निर्माण होगा तो उसका प्रभाव विनाशकारी होगा अच्छा नहीं होगा । इस संशोधन के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष जी, बिल तो सरल है लेकिन इसकी जो शब्दावली है वह इसको मोहमिल बनायेगी जरूर। इस बिल के द्वारा दो शक्तियों को लाइसेंस देने का राइट मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर जो होगा, दोनों की अलग अलग अथारिटी हो जायगी कि वह लाइसेंस दे सकें। इसमें कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम कर नहीं सकता, जिसका काम है, कमिश्नर का वही काम करेगा। लेकिन एक व्यक्ति को दोनों चीजों की शक्ति मिलें, तो यदि वह शक्ति बढ़ती है उसमें तिकड़मबाजी होगी, वह यकीनन ज्यादा होगी। इस बिल को शुरुआत से सही और साफ बनाना चाहिए। सिनेमा में जो विजिटर जाते हैं उनको जो तकलीफात महसूस होती हैं, कोई कानून आपरेट होता नहीं है। पेशाबघरों की कंडीशन बहुत रद्दी है। उनको लाइसेंस निलम्बित करने की ताकत मिले तो कुछ हो सकता है लेकिन बिलकुल निरस्त करने की ताकत दे दी जाय तो कुछ अच्छा नहीं रहता। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ रहनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में यह महसूस करता हूं कि बिल को शुरुआत में मोहमिल करके पेश करने के बजाय दोबारा सही तरीके से पेश किया जाय और शक्तियों को सही लिखा जाय। इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि इस बिल पर दोबारा विचार किया जाय।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं इस बिल में संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश में जहां मनोरंजन के साधन इतने कम है, सिनेमा मास मीडिया का प्रमुख साधन बन गया है। लेकिन इस क्षेत्र में जितनी अराजकता है उसको देख कर बड़ी तकलीफ होती है। यहां के सेंसर बोर्ड किस स्टेंडर्ड को ले कर फिल्मों को दिखाने के लिए पास करते हैं, जिस तरह के कुछ फिल्में इस प्रदेश और देश में दिखायी जाती हैं उसका असर सबसे बड़ा यहां के नौजवान तबके पर, छोटे बच्चों पर पड़ रहा है उनके बच्चों में अपराध वृद्धि इस कदर बढ़ रही है जिसका प्रदेश और देश फल भोग रहा है। इस लिए आपके माध्यम से इस सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है जब सदन को केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करनी चाहिए कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके चलचित्रों के सम्बन्ध में सुनियोजित और सोच विचार कर नीति तय की जाय।

मान्यवर, इस देश में, प्रदेश में चलचित्रों के जरिये कुछ चीजों को प्रचलित किया जाता है, मैं महसूस करता हूं कि अगर इस को कंस्ट्रक्टिव रूप में इस्तेमाल किया जाय योजनाबद्ध तरीके से इस मीडिया का इस्तेमाल किया जाय तो इस प्रदेश और देश का कल्याण हो सकता है। स्वस्थ फिल्में बनायी जायं और कार्यक्रम के अनुसार फिल्में बनायी जायं तो कल्याण हो सकता है।

एक बात की ओर मैं सदन का और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिनेमा घरों में बड़ी गन्दगी रहती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दो अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है उनसे और परेशानी ही बढ़ेगी। सिनमा घरों के चारों ओर गन्दगी ही गन्दगी रहती है जिससे तरह तरह की बीमारियां चलती हैं। हो सकता है कि लखनऊ में जो सिनेमाघर हैं उन में गन्दगी न हो लेकिन जो सिनेमा घर छोटे शहरों और कस्बों में हैं वहां पर उनके चारों तरफ गन्दगी ही गन्दगी रहती है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। बड़े शहरों में तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार—]

सफाई का ध्यान रखा जाता हो क्योंकि वहां पर बड़—बड़ लोग और बड़े—बड़े अधिकारी पहुंचते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सिनेमाओं से नवजवान युवक और युवतियों के जीवन में बहुत सी गन्दी बातों की छाप पड़ जाती है । वे उन चीजों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं । जिससे उनके चरित्र में तमाम प्रकार की गन्दगी आ जाती है । अभी कहा गया कि सिनेमा फिल्म इन्डस्ट्री के रूप में डेवलप हुआ । हमारे यहां के बहुत से युवक और युवती हीरो और हिरोइन बनने की बात सोचने लगते हैं । वे अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने घरों से बिना अपने मा बाप को बताये हुए बम्बई चले जाते हैं । वहां पर उनकी बड़ी दुर्दशा होती है और यहां उनके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और उजड़ जाते हैं । फिल्म इन्स्टीट्यूट लखनऊ में शुरु भी हुआ था लेकिन मुझे नहीं मालूम हुआ कि उसका क्या हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के जरिए फिल्म इन्स्टीट्यूट चलाया जाये तो जो लोग उसमें जाना चाहेंगे वे जा सकेंगे और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो उनका मकसद है वह भी पूरा होगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि गांवों में बहुत सी फिल्में दिखायी जाती थी, लेकिन वे सब परिवार नियोजन और नसबन्दी कार्यक्रमों से सम्बन्धित होते थे । इसलिए वे उनको देखते—देखते ऊब गये । फिल्म इस तरह की होनी चाहिए जिससे शिक्षा का प्रचार हो, वह तरक्की के बारे में हो और उससे हमारे नवयुवक और नवयुवतियों को एक नई दिशा मिले । कहा गया कि हमारे गांवों की जनता के पास मनोरंजन के साधन न होने के कारण ही हमारी आबादी बढ़ रही है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण संशोधन को माने । सिनेमा के जो रेट्स हैं वह बहुत ऊंचे हैं सरकार को चाहिए कि उनको कम करावे जिससे साधारण जनता भी उनका फायदा उठा सके । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को इतनी जल्दी न पारित किया जाये बल्कि जन भावनाओं को लेकर ही पारित किया जाये ।

श्री दुर्ग विजय सिंह (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आज इस माननीय सदन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । सिनेमाओं को लाइसेंस देने का अधिकार जिलाधिकारी को प्राप्त था और अब लाइसेंस का अधिकार इन्टरटेनमेंट कमिश्नर को दिया जा रहा है । वास्तव में आप देखे तो यह अधिकार एक अधिकारी के बजाय २ अधिकारियों को देने की बात कहीं है । असलियत में मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन द्वारा जिलाधिकारी के अधिकार भी कम कर दिए गये हैं । अभी तक जिलाधिकारी को पूर्णतया अधिकार थे कि वे अगर कहीं पर कोई भी अनियमितता पाते हैं तो वे उसी समय उस सिनेमा के लाइसेंस को कैन्सिल या सस्पेन्ड कर सकते थे और उस पर सिनेमा के अधिकारी को यह हक था कि वह अगर चाहे तो अपील कर सकता था लेकिन अब इस संशोधन द्वारा यह प्राविधान कर दिया गया है कि जिलाधिकारी का आदेश फाइनल न होगा । वह अपने कृत कार्य की सूचना आमोद—कर—आयुक्त को देगा पुष्टि का इन्तजार करेगा तभी जिलाधिकारी को कार्यवाही कों माना जायगा, अन्यथा नहीं । जिलाधिकारी से अधिकांश सिनेमाओं के मालिक नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उसके पास बहुत काम

रहते हैं लेकिन जो इन्टरटेनमेंट कमिश्नर हैं, उनसे ये लोग सम्पर्क रखेगें और ऐसा ही रहेगा जैसा कि माननीय रियासत साहब ने कहा है । यदि कोई जिलाधिकारी किसी सिनेमा वाले के विरुद्ध कार्यवाही करता है तो उस समय सिनेमा वाला आयुक्त से मिलेगा और कोई न कोई आपत्ति खड़ी कर देगा, जिससे उसको दी जाने वाली सजा नहीं मिल सकेगी और अन्ततोगत्वा दोनों में विवाद होगा जोकि सरकार के सामने भेज दिया जायगा । जहां पर १ साल या २ साल तक मामला अटक जायगा । जिसके लिए इस विधेयक में कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि फाइनली इस विषय को आप कबतक सुलझायेंगे, कितना समय होगा, जिसके अन्तर्गत जिलाधिकारी या दूसरा अधिकारी विवाद होने पर सरकार के पास भेजेगा । ऐसा भी कोई प्राविधान इस में नहीं किया गया है ।

जैसा कि अभी भाई रियासत साहब ने कहा मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि एक अधिकारी जिसको लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है मैं समझता हूं कि उसको लाइसेंस कैन्सिल करने या सस्पेन्ड करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । अगर ऐसा किया गया तो संविधान के प्राविधान से विपरीत है जिस प्रकार से अगर एक अधिकारी को किसी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है तो वह उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट भी नहीं कर सकता है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी देखता हूं कि जो संशोधन लाया जा रहा है उसमें सिनेमाओं के अन्दर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, अनियमिततायें हो रही है उनको दूर करने के लिए कोई भी प्रभावी कदम उठाने का प्रयास नहीं किया गया है । छोटे छोटे कस्बों या शहरों में चाहे बालकनी हो, फर्स्ट क्लास हो या स्पेशल क्लास हो उनमें २१/२ या ३ घंटे गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है । खटमल शरीर में चिपक कर काटते हैं । न हाल में सफाई होती है, सीटिंग एरेन्जमट बड़ा खराब, पर्दे गंदे और यही शौचालयों का हाल रहता है । उनमें सफाई करने का कोई प्रबन्ध नहीं होता है आवाज कहीं सुनाई देती है और चल चित्र कहीं दिखाये जाते है । हमारे बड़े-बड़े लोग तो सिनेमा बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं लेकिन जो कस्बे होते हैं या तहसील हेडक्वार्टर्स होते हैं अगर उनमें सिनेमाओं की व्यवस्था को आप देखें तो वहां पर किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं होता है, ब्लैकमेलिंग तो होती ही है । यदि मनोरंजन के लिए कोई व्यक्ति सिनेमा घर जाता भी है तो उसके लिए २ या २ १/२ घंटे काटना भी मुश्किल हो जाता है । सिनेमा घरो में सिग्रेट इस प्रकार से खुले रूप में पी जाती है कि सारा वातावरण बड़ा खराब रहता है । इसलिए मेरी अपके माध्यम से प्रार्थना है कि इस संशोधन विधेयक को पास करने के पूर्व इन वास्तविकताओं पर विचार कर लें और उसके बाद ही इस संशोधन को पास करने की बात सोची जाय तथा उस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

*बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही अच्छा विधयक है और उस में संशोधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है । देखन में यह आता है कि कोई भी विधेयक सदन में आय विरोध पक्ष के लोग उसका विरोध अवश्य करेंगे, यह उनका मूल कर्तव्य होगा (शोर) । सिनमा देखने वाले ऐसे लोग हैं जो कलेक्टर के नजदीक रहते हैं इसलिए नहीं चाहते कि कलक्टर के हाथ से वह हटाया जाय । कलेक्टर को इतनी फुरसत नहीं रहती है कि वह जाकर सिनेमा का निरीक्षण कर सके । वह अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट को या किसी को तो यह सारी चीजें होती हैं । वह सिनेमा वाले उनसे परेशान रहते हैं । आयुक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[बाबा राम आधार यादव--]

जब जायगा तो वह हर तरह से सिनेमा की खराबी चेक करेगा और उनको दूर करने का प्रयत्न करेगा और अनियमितताओं को दूर कर सकेगा। तो उसको पावर मिलनी चाहिए कि अगर इस तरह से वहां अनियमितताए पाये तो उसका लाइसेंस रद्द कर दे।

इसके साथ साथ में यह भी कहूंगा कि जितने सिनेमा हैं, चाहे इलाहाबाद के या वाराणसी के, वहां इतनी बड़ी गन्दगी रहती है जिसकी इन्तहा नहीं है और टिकटों की यह हालत है कि तरीहन ब्लैकमार्केटिंग आम सड़क पर हुआ करती है और टिकट बिका करते हैं। अगर कलेक्टर वहां का ठीक हो और सारी चीजे ठीक हो तो चोरबाजारी न हो। इसलीये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इसको पास होना चाहिए और विवाद नहीं होना चाहिए।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

सम्मानित अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करता है कि सदन के समक्ष जो चल-चित्र विधेयक संशोधन हेतु रखा गया है इसमें एक मशीन और जोड़ दिया जाय जिससे वित्तीय नुक्सान जो आज हो रहा है, न हो। जिला स्तर के अधिकारियों की कोई भी शिकायत यदि वहां के लोग चल-चित्र के विरुद्ध देते हैं तो उसकी तात्कालिक जांच होनी असम्भव है क्योंकि जिलाधिकारी के पास बहुत से विभाग है तो निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार जो अब तक आई० ए० एस० अफसरों और कलक्टर लोगों की तारीफ करती रही कि ये भ्रष्ट नहीं हैं आज उनकी तरफ से सदन में कहा गया कि वे भ्रष्ट हैं। मैं कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर खंड विकास अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाय कि जनता की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच हो जो सिनेमा, चल-चित्रों में डुप्लीकेट सिनेमा टिकटों की बिक्री होती है, ब्लैक होता है शिकायत पर जाकर के उसका निरीक्षण करें, ऐसे चल-चित्रों के मालिकों के खिलाफ तत्काल जांच करें जिससे वित्तीय नुकशान न हो सके। मैं आपके सामने अनुरोध के साथ कहूंगा कि सख्ती आप जरूर करें किन्तु विकास खंड अधिकारी या स्थानीय जो भी अधिकारी हो उनको जांच करने के लिए अनुमति दें। इस चल-चित्र संशोधन विधेयक का मैं स्वागत करता हूं और इसको समर्थन देता हूं।

*श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, चल-चित्र संशोधन विधेयक के ऊपर चर्चा चल रही है। मैं इसके सम्बन्ध में यहा बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्या दशा है और अबतक वह किस स्थिति मे अपने जीवन को बिता रहे थे--मैं ऐसे ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र का विधायक हूं जो कि गंगा और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में ३ थाने हैं और तीन ब्लाक हैं। मैं इसके साथ साथ यह कहूंगा कि वहां जिस प्रकार से अराजकता है उसका वर्णन मैं संक्षेप में करूंगा और सदन का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा।

मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जिलाधिकारियों को सचेत किया जाय कि सारी कठिनाइयां विधायकों के ऊपर जिस तरह से होती है वे उनकी बात सुनें और उस क्षेत्र की पूरी जांच करें। मैं यह नहीं कहता कि निरपराधों के खिलाफ बदले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की भावना से कोई अगर शिकायत करता है तो उस पर भी वह कार्रवाई करें। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता देना चहता हूं कि चुनाव के बाद मेरे यहां के तीनों थानों में पुलिस स्टेशन्स से गिरोह दिये गये और वे इस तरह से दिये ग कि दो आदमी इस गांव से बुला लिये गये, दो आदमी उस गांव से बुला लिय, उन्वे थाने में इकट्ठा कर के चालान कर दिया वे या तो जनता पार्टी के समर्थक थे या उसके एजेन्ट थे। इस तरह के गिरोह दिये गये। इसके बारे में मैं एस० पी० महोदय से भी कहा जिलाधीश महोदय से भी कहा, आई० जी० से भी कहा, डी० आई० जी० पहुंचे थे उनसे भी कहा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं। वह केवल इस विधेयक पर बोलें।

श्री राम प्रताप शास्त्री—

सिनेमा में क्या हाल होता है। मैं जिलाधिकारियों के सम्बन्ध में कहा रहा था। आप उनको संचेत करें। वे कम से कम विधायकों की बात सुने और उस पर उचित कार्यवाही करें। मैं जिस कस्बे में रहता हूं वहां तीन सिनेमा हैं। सिनेमाओं पर अधिकतर अराजकता सी फैली रहती है और हमेशा गुन्डागर्दी होता रहती है। वहां कोई प्रबन्ध नहीं रहता है। वहां जो घृणात्मक नाटक होते हैं वह देश के लिये बड़े घातक हैं। उन पर रोक लगनी चाहिये और इस तरह की अराजकता नहीं फैलनी चाहिये। शहरों में जो इस तरह का वातावरण फैलता है वह सिनेमा के द्वारा ही फैलता है जिस पर पुलिस अधिकारी भी ठीक तरह से ध्यान नहीं देते। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, संशोधन में संशोधन आ गया। माननीय रियासत हुसेन साहब ने एक संशोधन ऐसा दिया जिससे मैं पूरी तरह से असहमत हूं एकदम निरर्थक है। और जो बातें उन्होंने अपने संशोधन के समर्थन में कहीं उनका भी सीधा सम्बन्ध सरकार की ओर से जो संशोधन इस सदन के सामने आज रखा गया है उससे नहीं है। म आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा अधिकार और अधिकार का प्रयोग करने की बात। इस संशोधन द्वारा हमने आमोदकर आयुक्त को कुछ अधिकार देने की बात कही है।

इस अधिकार के प्रयोग में कौन सा अधिकारी भ्रष्ट होगा, उसे हम और आप कहां से निकाल पायेंगे, कैसे भ्रष्टाचार को दूर कर पायेंगे, यह प्रश्न बिलकुल अलग है क्योंकि वह तो अधिकार के प्रयोग की बात है। आज जब कि हम सदन में आपके सामने यह संशोधन विधेयक लाये हैं तो आपसे यह प्रार्थना करेंगे कि इस संशोधन विधेयक में जो दोष हों वह आप हमें बतलायें। इन अधिकारों के प्रयोग में अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसके लिए जगह दूसरी है, उसे अपने उपर्युक्त स्थान पर पहुचा दिया जायेगा अपनी गलती के लिए, उसमें हमारी सरकार तनिक भी हिचकेगी नहीं। इसलिए जैसा माननीय रियासत हुसेन साहब ने कहा कि इसे लैप्स होने दिया जाये, ठीक नहीं है। कुछ ऐसे आर्डिनेंस हैं जिन्हें हम उपयोगी समझते हैं और उन्हें विचार के लिए हम आपके सामने लायेंगे।

आपने कहा कि लाइसेन्सिंग अधिकारी और आमोदकर अधिकारी की शक्तियों में विरोधाभास है। ऐसी बात नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि लाइसेन्स प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां जिसे वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, वह आमोद कर आयुक्त को दिए जाएंगे। लाइसेन्स प्राधिकारी के अधिकार सिनेमा को ग्रान्ट करने

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—]

के भी हैं और उसको निरस्त करने के भी हैं। इसलिए इसके विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल निरस्त करने की बात है, ऐसी बात सही नहीं है।

आपने कहा कि सिनेमा अधिकारियों में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, कभी कभी लोगों को एक एक हजार देना पड़ जाता है, अब दो हजार देना पड़ेगा, यह देने वाले के ऊपर और लेने वाले के ऊपर तथा मध्यस्था करने वाले के ऊपर है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि यह बात आपको इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि आपने पिछले ३० वर्षों में भ्रष्टाचार का जो चित्र देखा है, आज भी वही आपके सामने है। जो दृश्य आपने देखे हैं उसके कारण आप अपने अधिकारियों की मनः स्थिति को बदलने की कल्पना ही नहीं कर सकते ....।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

उसमें चौधरी चरण सिंह जी भी आते हैं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मैं किसी को अलग नहीं करूंगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो आशंकायें व्यक्त की हैं वे अपने पिछले ३० वर्षों के अनुभव के आधार पर की हैं। जब से यह सरकार सत्ता में आयी है और उसने जो कदम उठाए हैं और जो उठाने वाली है उसको भी देखिये। हम सरकारी सेवाओं में नया मोड़ देना चाहते हैं। उनके सामने सेवा का आदर्श रख कर उनसे काम कराना चाहते हैं। हमने जनता पार्टी के कार्यक्रमों के आधार पर अपनी योजनाओं को नियोजित किया है। अब किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा और वह उसकी हिम्मत भी नहीं कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले ३० वर्षों में कितने सिनेमाघरों पर छापे डाले गए। हमने १५ दिन के अन्दर जो कार्यवाही की है उसके कारण आज सिनेमा मालिक और भ्रष्ट अधिकारी घबराने लगे हैं। टिकटों का ब्लैक करते हुए लोग घबराने लगे हैं ....।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उन्होंने अपने संशोधन के पक्ष में जो बातें कही हैं वे सभी इस संशोधन विधेयक के पक्ष में हैं।

जहां तक सिनेमा घरों में गन्दगी की जो बात आपने कही वह सब इससे ठीक हो जाएगी क्योंकि अगर हम आमोद कर आयुक्त को यह अधिकार दे देंगे कि वह मौके पर जाकर तुरन्त निर्णय ले, आवश्यक हो तो सिनेमा को निरस्त भी करे, उससे एक प्रकार का भय व्याप्त होगा और सिनेमा मालिक मजबूर हो जायेंगे व्यवस्था को स्वयं ठीक रखने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, का आदेश हुआ है इसलिए मैं इतनी बात कह कर समाप्त करूंगा कि आप सभी संशोधन को पारित करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

क्या रियासत हुसैन साहब आप अपने संशोधन को वापस लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन—

नहीं, साहब ।

(मेजें थपथपायी गईं) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब कृपया शान्त रहिए ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के भाषण से और इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस जनता पार्टी की सरकार को सूबे भर के कलेक्टरों के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर कोई यकीन नहीं है । वह इस वास्ते सिद्ध कर दिए कि वह भ्रष्ट हैं ।

(व्यवधान) (मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग खामोश रहिये ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसको वोटिंग के लिए रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(शोरगुल) (मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया शांति बनाए रखें और डेस्क न पीटें तथा शांति पूर्वक सदन की कार्यवाही चलने दें ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह प्रस्ताव तो मंत्री जी रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी आपत्ति गलत है । आप बैठिए ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह तो उधर से प्रस्ताव आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेगी जी इतने पुराने सदस्य होते हुए भी नियमावली के विरुद्ध बात करते हैं । प्रस्ताव तो रखा जा चुका है, और उस पर विवाद भी हो चुका है । अब माननीय सदस्य प्रस्ताव रखने की बात कर रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय नेगी जी का ध्यान दूसरी तरफ रहता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

अब विधेयक के खण्डों में कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं एक साथ रख देता हूं ।

खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५५ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९७७ कहा जायगा ।

(२) यह २४ अप्रैल, १९७७ से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५६ की धारा ४ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५५ की धारा ४ में, वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां जिसे वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, आमोद-कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश को या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ-साथ अथवा उसे अपवर्जित करके प्रदत्त कर सकती है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसी कोई शक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आमोद-कर आयुक्त दोनों द्वारा प्रयोज्य हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे को अपने द्वारा दिए गए समस्त आदेशों से सूचित करेगा, और उनमें आपस में किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में वह विषय राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या ८, १९७७

३--(१) उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ और खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, १९७७

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ जो पारित हुआ था उससे पहले जो हमारे यहां मंडियां थीं उनकी हालत बहुत दयनीय थी। मान्यवर, यह सबको पता है कि जो काश्तकार थे उनको इन मंडियों में काफी लूटा जाता था। जो माल लाता था, उस पर तरह-तरह के टैक्स तथा तरह-तरह की कटौतियां लागू की जाती थीं। यहां तक कि जो आढ़त पर नौकर थे उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। १०-१५ रुपये थीं, क्यों? क्योंकि उनकी सारी आमदनी

[श्री धीरेन्द्र सहाय—]

जो थी वह काश्तकार के माल के ऊपर थी। जो वह, वहां पर माल लाता था तो चाहे मांगी हो, चाहे तौलने वाला है और चाहे वह और काम करने वाले लोग हों, सभी उसमें से गल्ला निकालते थे। यह हालत इन मंडियों में चल रही थी। जहां तक आढ़तियों का सवाल था। मान्यवर, एक रुपया, ढाई रुपया, साढ़े तीन रुपया जैसा समझते थे अढ़तिया काट लेते थे। आम तौर पर जो छोटे काश्तकार थे उनके साथ बड़ा अन्याय होता था लेकिन जो बड़े काश्तकार होते थे उनको वह थोड़ा बहुत लाभ जरूर दे दिया करते थे। मान्यवर, इतना ही नहीं, धर्मादे के नाम पर, गोशाला के नाम पर कटौतियां हुआ करती थीं। कहीं—कहीं पर तो विद्यालय के नाम पर कटौतियां हुआ करती थीं।

मान्यवर, मैंने १९६२ में अपने जिले में एक आन्दोलन भी किया था और उसमें यह मांग थी कि यह सब चीजें ठीक नहीं हैं। मान्यवर, वहां पर यह भी स्थिति थी कि जो संस्कृत पाठशाला थी उसके नाम पर कटौती होती थी। इस कटौती की सबसे बड़ी घृणित बात मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगा कि जो उसमें प्राविधान किया गया था वह, जो विधान था उसमें प्राविधान किया गया था कि संस्कृत पाठशाला का सदस्य केवल हिंदू होगा। मान्यवर, कितनी शर्मनाक चीज इस देश में होती रही और किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। मान्यवर, जबकि काश्तकार हिंदू, मुसलमान, सारे धर्मों के होते थे और उनसे कटौती होती थी लेकिन उनका जो संविधान था पाठशाला के लिए उसके अनुसार केवल हिन्दू ही सदस्य होंगे। मैंने उस पर बड़ी आपत्ति की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह से गौशाला की कटौती इसमें दिखाई जाती थी और सारा रुपया खा जाते थे। इसके अलावा दान के रूप में लेते थे। शर्म की बात थी कि २—२ खाते रखते थे और वह दान भी खा जाते थे। इसमें कुनबा परस्ती होती थी। मदद के लिए अपने रिश्तेदारों को रुपया बांट देते थे। यह सब बड़े पैमाने पर सारे प्रदेश में होता था। उत्तर प्रदेश में १९६४ में इस सम्बन्ध में जो ऐक्ट बना था आज उसकी कुछ धाराओं में संशोधन में आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

मान्यवर, धारा २ में निर्वाचन निदेशक का प्राविधान किया गया है ताकि चुनाव की पद्धति ठीक ढंग से हो। उसी के आगे धारा १३ है जिसमें दिया गया है कि कौन—कौन सदस्य होंगे। उसमें पहले था कि कुछ और लोगों को जो वोट देंगे, उत्पादकों के चुने हुए लोगों को, उसमें सभापति का प्राविधान था। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद् और जिला परिषद् के जो सदस्य उस क्षेत्र में हों उनको भी इसमें प्राविधान किया गया है कि वह भी वोट देकर उत्पादक प्रतिनिधियों को चुनेंगे।

मान्यवर, इसमें इसकी अवधि का भी निर्धारण किया गया है और वह ५ वर्ष और ज्यादा से ज्यादा २ वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

मान्यवर, इसमें धारा २६ (ख) जिसमें परिषद् का गठन है। तो पहले प्राविधान ३ का था लेकिन अब ६ का कर दिया गया है ताकि उत्पादकों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो औ जो व्यापारी लोग हैं उनको भी एक से बढ़ाकर २ कर दिया गया है।

मान्यवर, धारा ३५ में ऐसा है कि रुपये का आदान प्रदान एक समिति से दूसरी समिति में होने का प्राविधान किया गया है और समिति तथा परिषद् के बीच का भी प्राविधान किया गया है। साथ ही साथ यह भी प्राविधान किया गया है कि जो

कर्जा है उसकी वसूलयाबी में कोई दिक्कत न पड़े इसलिए प्राविधान कर दिया गया है कि वह मालगुजारी की तरह वसूल दिया जाय ।

मान्यवर, यह संशोधन विशेषकर इसलिए किए गए हैं कि जो चेकिंग का काम है उसमें कड़ाई हो इसलिए इसका भी प्राविधान किया गया है । इसमें यह भी है कि जो भी चीजों पर कब्जा कर सकते हैं उन पर कब्जा किया जाय । साथ ही साथ जानवर आदि की यदि जरूरत हो तो उसको भी सबूत के तौर पर कब्जे में ले सकते हैं । साथ ही लोगों को परेशानी न हो इसलिए यह भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं कि जो भी चीजें अधिग्रहण करे उसकी प्रतिलिपि उसको दे दी जाय और मजिस्ट्रेट को भी इत्तिला दे दी जाय । इसी तरह आगे चलकर धारा ३७ ख में ९० दिन के कारावास का भी प्राविधान है । अगर कोई अनियमितता करता है । इस प्रकार मान्यवर, जितनी भी बातें इसमें की जा रही हैं वह सब किसानों के हित में है । साथ ही इससे हमारे राजस्व में भी वृद्धि होगी और टैक्सों में जो चोरी हुआ करती थी वह भी रुक जायगी । मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कहा कि इस संशोधन विधेयक के अन्दर जिस पर केवल डेढ़ घंटे का समय विचार करने के लिए मिला है काफी परिवर्तन रखे गये हैं । यह ऐसा विधेयक है जिसका सम्बन्ध इस प्रदेश के करोड़ों किसानों से है और जो पूरब, पश्चिम या पहाड़ में भिन्न भिन्न चीजें पैदा करते हैं । यह सब जानते हैं कि किसान को अपनी पैदावार की उचित कीमत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती उसके भिन्न भिन्न कारण हैं । कहीं तो सड़कें नहीं है और कहीं पर मंडी दूर है । फिर जब काश्तकार मंडी में जाता है तो उसका वहां शोषण होता है धर्मादि के नाम पर गौशाला के नाम पर । यह सब चीजें देख कर ही सन् ६४ में विधेयक लाया गया था कि हर अच्छी जगह जहां शहर हों, बड़ा कस्बा हो वहां मंडी स्थल बनाए जायें । जहां किसान अपनी पैदावार को ले जायं और उसे उचित मूल्य मिल जाय । लेकिन सन् ६४ से आज तक यह न हो सका । आज भी अधिकतर जगह पर वही पुराना ढर्रा चल रहा है भले ही मंडी समिति वाले एक रुपया या आठ आने जो भी निर्धारित हो उसे लम सम में वसूल करके ले जायं । किसान का जो शोषण होता था उसमें कोई कमी नहीं आयी । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो मंडी स्थल बने हैं या जिनके बनने के प्रोपोजल हैं उनको यह देखें कि वह राजनैतिक दबाव में तो प्रोपोज नहीं हुए हैं । मैं समझता हूं वह किसानों के हित में नहीं, असरदार आदमियों के हित में प्रपोज हुए हैं । उनको जमीन सिलिंग ऐक्ट में नहीं मिली । यह कृषकों के हित में नहीं है । मिसाल के तौर पर अपने ही इलाके मुरादाबाद की बात करता हूं । मुरादाबाद से दिल्ली साइड का एरिया कुल पांच मील का है लेकिन जो मंडी बनाने का स्थल प्रपोज हुआ है वह तीन मील पर हुआ है । इसके माने यह हुए कि उत्पादन मंडी जहां बनेगी उससे दो मील तो एक तरफ दिल्ली का एरिया रहेगा, उसके बाद अमरोहा की मंडी तीन मील उत्तर की ओर और उसके बाद मुरादाबाद आएगा । मुरादाबाद से लेकर रामपुर १८ मील और मुरादाबाद से अलीगंज तीस मील की एरिया है । सारे मुरादाबाद की वही मंडी है जो सरहद पर बनी हुई है ।

[श्री रियासत हुसैन]

इसका कारण क्या है ? कुछ राजनीतिज्ञों के दबाव पर, कुछ आढ़तियों के दबाव पर और उसी जगह दो चार फ्लोर मिल हैं चावल निकालने के लिए उनका दबाव पड़ा और सिर्फ इनकी मांग के कारण कि माल लाने ले जाने में उन्हें आसानी होगी यह हुआ और यहां पर मंडी स्थल प्रपोज कर दिया गया। लेकिन चालीस मील से कृषक अपने अनाज को, गल्ले को कैसे लायेगा ? और यह चालीस मील का रास्ता जो है इसका पन्द्रह, बीस मील का रास्ता नेशनल हाई वे नं० २४ से हो कर जाता है। हर वक्त ट्रैफिक होने के कारण उसके भैंसा बैलगाड़ी का एक्सीडेन्ट होने का डर रहता है। पूरे मुरादाबाद शहर पार करके जहां मंडी स्थल प्रपोज्ड है वहीं बिजली घर है मझौली, रामगंगा का फ्लडेड एरिया भी वहां पर है और सिर्फ इन चार पांच फ्लोर मिल्स के इन्ट्रेस्ट के कारण कि उन्हें हर तरह से आसानी होगी वहां पर यह स्थल प्रपोज किया गया।

श्रीमन्, इस विधेयक के बैक ग्राउन्ड में तो कृषकों का फायदा होना चाहिए। किसी दूसरे का बाद में हो लेकिन सब से पहला सवाल उनका है। मैं मंत्री जी से इस बात का विशेष अनुरोध करूंगा कि जहां-जहां मंडी स्थल प्रपोज हुए हैं उनको देखें और यह प्रबन्ध करें कि कोई मंडी स्थल किसी खास व्यक्ति, वर्ग, इन्डस्ट्रियलिस्ट, राजनीतिज्ञ, पूंजीपति या पैसे वाले के फायदे के लिए न हो लेकिन किसानों के हित के लिए नहो। इस क्लास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए दूसरी जगह पर मंडी स्थल की तब्दीली करें जैसा कि मुरादाबाद की मंडी। अगर मंडी स्थल वहां से हटा कर मुरादाबाद से काशीपुर जाने वाले रास्ते पर, रामपुर तेराहे पर प्रपोज किया जाय तो इसमें सबका फायदा होगा। इसलिए मैं मंत्री जी के सामने यह सुझाव रखता हूं कि इस पर तुरन्त विचार करें।

श्रीमन्, यह जो विधेयक आया है इस पर क्लासवाइज विचार करने के लिए काफी समय चाहिए। मंडी समितियों की जब ३१ दिसम्बर तक अवधि बढ़ा दी गयी है, उनके इलेक्शन प्रोपोज हो गए, नामिनेशन फाइल हो गए, सेक्योरिटी जमा हो गयी और लोगों ने तैयारी शुरू कर दी तो एक दम आर्डर पहुंच गया कि इलेक्शन मुल्तवी हो गए। आज तक उनका सेक्योरिटी मनी खजाने में जमा है, पता नहीं कब तक जमा रहेगी ? पूरे संशोधन विधेयक पर अन्य बातों पर रोशनी डाली गयी लेकिन निश्चित तौर से ३१ दिसम्बर से पहले उनके चुनाव कराए जायंगे या नहीं यह इसमें स्पष्ट नहीं किया गया, केवल ३१ दिसम्बर तक मियाद बढ़ा दी गयी है। यह घोषणा इसमें होनी चाहिए थी कि ३१ दिसम्बर से पहले मंडी समितियों के चुनाव हो जायंगे। मंडियों से सरकारी परचेज होती है और हर मंडी से समिति को लाखों रुपए की आमदनी होती है। उस रुपए की देख भाल करने वाला भी कोई नहीं है। इतनी आमदनी होते हुए भी यह पता नहीं लगता कि सचिव महोदय ने सड़कों को बनाने में, उस एरिया में शिक्षा बढ़ाने में इस रुपये को खर्च किया या नहीं और सार्वजनिक रूप से कहीं पूल हो रहा है तो किस मकसद के लिए पूल हो रहा है, यह सब इससे पता नहीं चलता। पूरे प्रदेश के कृषकों से इस विधेयक का सम्बन्ध है। यह ऐसा विधेयक नहीं है जिसको इतनी जल्दी में पारित कर दिया जाय। इस पर सोचने समझने की जरूरत है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय और प्रवर समिति की सिफारिशों को सदन के सामने रखा जाय। इस आशा के साथ मैं अपना संशोधन सदन के सामने रख रहा हूं।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय रियासत हुसैन को पहले ही ऐसी आदत है घोर विरोध करने की ।

श्री रियासत हुसैन—

आपकी तो छूट गयी है ।

श्री लक्खी सिंह—

मान्यवर, यह जो विधेयक मंडी समितियों के सम्बन्ध में पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । कृषि मंत्री जी ने इस पर काफी रोशनी डाल दी है और इसमें कोई संदेह नहीं कि किसान बेचारा अपने खून-पसीने की कमाई को लेकर मंडी में जाता था उसकी दिन दहाड़े लूट होती थी । श्रीमन्, मैं भी सदस्य था आप भी सदस्य थे और रियासत भाई भी सदस्य थे। इस विधेयक के जन्मदाता चौधरी चरण सिंह थे ।

श्री रियासत हुसैन—

जिसका उस वक्त आपने विरोध किया था ।

श्री लक्खी सिंह—

आदरणीय चौधरी चरण सिंह के हम आभारी हैं सभी किसान उनके ऋणी हैं । उन्होंने अपने कृषि मंत्रिकाल में इस विधेयक को तैयार किया । लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गईं । खामी यह रही कि भूतपूर्व सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसके हाथ में सारा मामला आ गया है (व्यवधान) । मैं माननीय तिवारी जी से बड़े अदब के साथ प्रार्थना करूंगा जरा सुनें । एक भी झूठ नहीं बोलूंगा । यह विधेयक जो है कांग्रेस के हारे हुए लोगों के लिए रोजगार का साधन बन गया । उसके ही चमचे उसमें सदस्य बन गए ...।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा आपसे अनुरोध है कि चमचा शब्द जो है बाहर और यहां बहुत बदनाम हो गया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त हो ।

श्री लक्खी सिंह—

अच्छी बात कड़वा लगता है । श्रीमन्, मेरे जिले में चार मंडियां हैं । कोशी कलां, मथुरा, सादाबाद और गोवर्धन । इन चारों मंडियों में वही लोग हैं जो कांग्रेस के हारे हुए हैं और वे उन मंडियों कर दुरुपयोग कर रहे हैं । कृषि मंत्री जी जरा अपना खड्ग, अपनी तलवार साफ करें। श्रीमन्, आप भी जरा हमारी मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे । इस पर पूरी तरह से ध्यान देने की बात है । हमारे यहां कोशी कलां में जो मंडी बनी है उसके लिए किसानों की जमीन ली गई वह बड़ी कीमती जमीन है । पुरानी सरकार ने उनकी जमीन ले ली लेकिन बेचारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया । मंडी भी नहीं बनी । जमीन रुक गई है, पैसा भी नहीं मिला जब कि वह कीमती जमीन थी । तो मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इसको

[श्री लक्खी सिंह]

नोट करें और इस मामले को देखें । जो वहां मंडी है उसके जो मंत्री हैं जिसे अंग्रेजी भाषा में सुपरवाइजर कहते हैं वह इतने भ्रष्ट हैं कि उनको जिलाधीश मथुरा ने सस्पेन्ड कर दिया था लेकिन जब ए० डी० एम० साहब पहुंचे तो सौदा पटा कर उसको फिर बहाल कर दिया। बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है श्रीमन्, इस भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिए । मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा वह इसको देखें । श्रीमन्, यह जो विधेयक आया है जिसे कृषि मंत्री जी ने पेश किया है इसका मैं तहेदिल से और आत्मा से समर्थन करूंगा और इसमें कोई शक नहीं कि इस विधेयक की जो एक एक धारा है वह स्वागत योग्य है । मैं एक बार फिर इसका समर्थन करते हुए अपने कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि इसका चुनाव जल्द से जल्द करायें, जिससे किसानों की भलाई हो और उसमें ईमानदार आदमी पहुंचे और किसानों को राहत मिले । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात अध्यक्ष महोदय, समाप्त करता हूं ।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय मैं रियासत हुसैन साहब के इस संशोधन का, कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इस बुनियादी उसूल को तो मानता हूं कि कृषि उत्पादन के लिए मंडी समितियां बनाई जाएं और ऐसा ऐक्ट बनाया जाए, लेकिन जितनी जल्दी में इस बिल को पेश किया गया है, इसमें कुछ खामियां रह गई हैं । मिसाल के तौर पर जिलों में मंडियां हैं, उनको कस्बों में भी फैला दिया गया है और उसका नियंत्रण उक्त कमेटी शहरों में बैठकर करेगी और कस्बों की बैठक मंडी समितियां के सुपरवाइजर य क्लर्क करेंगे । यह कहा गया कि उसमें बड़ा भ्रष्टाचार और लूटखसोट था, लेकिन किसी क्लर्क के सुपुर्द कर देने से वसूली के लिए, बड़े भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल देना है । जहां तक इन कृषि मंडी समितियों का सम्बन्ध है, इनकी आमदनी देहाती क्षेत्र के काश्तकारों से होती है, अतः उसका पैसा काश्तकारों के ऊपर ही खर्च होना चाहिए । जबकि गैर जरूरी इमारतों का बनना भी शुरू कर दिया गया है, शहरों के बाहर की तरफ बनाना शुरू कर दिए गए हैं । जबकि कृषि उत्पादन को मंडी समितियों में लाने के लिए वहां सड़कों की बहुत जरूरत है । इस समय लाखों रुपया मंडी समितियों के पास पड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इसका खर्च लिंक सड़कों के निर्माण पर होना चाहिए ।

जिला परिषदों के पास कोई पैसा नहीं है । यद्यपि सरकार ने सड़कें बनाई हैं, लेकिन देहाती रकबे में सड़कों की बहुत जरूरत है । इस पर मंडी समितियों के रुपयों से उसका निर्माण किया जाये और जो थोड़े समय में बिल पेश हुआ है, इसको प्रवर समिति में भेजा जाए जबकि ३१ दिसम्बर तक इसकी मियाद भी बढ़ा दी गई है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है । इन लफ्जों के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं ।

श्री अली असगर हुसैन (जिला बदायूं)--

मान्यवर, आपकी इजाजत से अर्ज करूं कि गुलामी के समय में सन् २२ में एग्रीकल्चर कमीशन बना था, उसी वक्त इस चीज पर तवज्जे दिलाई गयी थी कि इस किस्म का कोई ऐक्ट बनाना हिन्दुस्तान के लिए जरूरी है । उसके बाद सरकार ने सन् ६४ में यह कृषि उत्पादन अधिनियम बनाया । इसका मतलब और मकसद एक ही था और वह यह था कि काश्तकार की उपज जब मंडी में आती थी, तो उस पर डाका पड़ा करता था ।

उन पर इतने किस्म के कर्जे बट्टे, डिडकशन्स हुआ करते थे कि वह मजबूर हो जाता था। चूंनाचे उन कर्जों, बट्टों और उन न जायज कटौतियों को रेगुलराइज करने के लिए कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम लागू किया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अजीब वाक्या हुआ थोड़ी सी मंडियां ली गयीं। उनमें जो कमीशन एजेंट्स थे या होलसेलर्स थे, जिनकी क्वालिफिकेशन यह थी कि उन पर कुछ लैंड होना चाहिए इतने रुपये का लगान होना चाहिए, रातोंरात उनको पट्टे किये गये। उसके बाद उनको काश्तकार बनाया गया। और वही लोग अपने अत्याचार, मजालिम लूटमार को रोकने के लिए चेयरमैन हो गये। बहरहाल, उसके बाद रफ्ता-रफ्ता ऐसी पोजीशन हुई कि एक कनवेशन हो गया कि प्रोड्युसर्स का चेयरमैन होगा। एक्ट में न आ सका लेकिन एक कनवेंशन हो गया कि चूंकि काश्तकार के मसलों को हल करने के लिए कानून बना है लिहाजा इसका चेयरमैन काश्तकार ही होना चाहिए। उसके बाद श्रीमन्, कुछ अरसे तक नामिनेटेड बोर्ड रहा। उसके बजद अब कफी अरसे से कलेक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन में है। मैं सहमत हूं अपने अजीज दोस्त की बातों से कि जब एलेक्शन के उसूल के हम हामी हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि कलेक्टर साहब इसका इंतजाम करें। एलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री से आपके तवस्सुल से अर्ज करूंगा कि इसका एलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाय।

मैं अपने अजीज दोस्त माननीय रियासत हुसैन से जानना चाहता हूं कि क्या चीज नयी है इस संशोधन बिल में जो पट्टे एक्ट उसमें नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों वह सलेक्ट कमेटी में सुपुर्द करना चाहते हैं? जो पैरेंट बिल है उसमें दो बातें नहीं हैं। एक तो यह है कि इसमें स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि प्रोड्युसर क्लास का चेयरमैन हो, वायस चेयरमैन हो। दूसरे, इसकी वर्किंग में सचिव को कुछ अख्तियारात दिये गये हैं जो पहले नहीं थे। इन दो चीजों पर सामने के भाई चाहते कि हैं इसको सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय, इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है।

इसी के साथ-साथ जरा सी बात में यह अर्ज करूंगा और आपके तवस्सुल से मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए, इस के एग्जीक्यूशन को सही तरीके से लागू करने के लिए मार्केट यार्ड का होना जरूरी है। अभी तक जो काम हुआ है, बरेली के मेरे भाई ने जो बात कहीं, उन्हें पता नहीं है। पोजीशन यह है कि गाइडलाइंस है कि कौन सी जमीन ली जाय, किस किस्म की जमीन ली जाय। लेकिन मुसीबत इतनी बड़ी है कि जमीन किस सूरत से मिले। शहर के अन्दर मिलेगी नहीं। वह शहर के बाहर ही मिलेगी। उसको लिए बन्द प्रोटेक्शंस और अहतियात किये गये हैं। यह कहा गया कि कलेक्टर से कि आप प्रोपोज करें कि कौन सी जमीन ली जाय। उसके बाद मंडी परिषद् फीजिबिलिटी देखता है। छोटे काश्तकार कमजोर काश्तकार की जमीन नहीं ली जायगी। इसी सूरत से रियासत साहब जो भूमि के एलेक्शन की बात कह रहे हैं, उनसे अर्ज करूंगा कि इतनी जमीन शहर के अन्दर आपको नहीं मिलेगी।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहूंगा कि काश्तकार जो होता है चाहे वह बड़ा हो और चाहे वह छोटा हो उसकी जमीन ले ली जाती है। उसकी सम्पत्ति ले ली जाती है कि पब्लिक परपज के लिए ली जाती है। इसी सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि मारकेट यार्ड में कितनी तरक्की हुई। ६ मारकेट यार्ड बन चुके हैं लेकिन सरकार की ओर से एक पैसा नहीं दिया गया है। इन संस्थाओं ने लोन लिया, और लोन लेकर काम चलाया, सरकार ने उनकी कोई सहायता नहीं की। फाइनन्स मिनिस्टर के एक पैसा भी न देते हुए उस चीज को

[श्री अली असगर हुसैन—]

कर लिया गया । इन मन्डियों के अलावा ५२ मंडियों ऐसी हैं जहां पर जमीन ले ली गयी है । मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि यार्ड के सम्बन्ध में कोई एक्जीक्यूटिव आर्डर मुनासिब नहीं हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार की बात कहना चाहूंगा । कहा गया कि यहां पर बहुत भ्रष्टाचार है तो मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी संस्था है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है और कौन सा ऐसा कारपोरेशन हैं जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है एक मन्डी-समिति है जिसके पास ११ करोड़ रुपया है । अगर इसमें एफीसिएन्शी न होती तो इतना रुपया कहां से आ जाता । मैं नहीं कहता कि हर जगह पर इमानदारी ही है । अगर यहां पर ठीक से काम न होता और इमानदारी से काम न होता तो इतना रुपया कहां से आता ? इसी सिलसिले में मैं यह बताना चाहता हूं कि १९७४-७५ में ३.७३ करो , १९७५-७६ में ५ करोड़ ८० लाख, १९७६-७७ में ८.१६ करोड़ और श्रीमन् इस साल ११ करोड़ रुपये का अनुमान है । यह एक ऐसी संस्था है जो काश्तकार को डकैती से बचाती है उसको सिर्फ यह कह देने से कि वहां पर भ्रष्टाचार होता है, यह बात ठीक नहीं है । यह कह गया कि रुपया एक क्लर्क वसूल करता है तो मैं कहता हूं कि इनकम टैक्स भी तो एक क्लर्क वसूल करता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि रोड बनानी चाहिए जिससे मन्डियों तक पहुंचा जा सके । आप रोड बनवा देते हैं लेकिन लिन्क रोड नहीं बनवाते हैं जिससे जो मतलब है वह हल नहीं हो पाता है । लिन्क रोड भी हम कान्ट्रीब्यूशन के द्वारा बनवा रहे हैं अगर लिन्क रोड नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मन्डी अधिनियम है उसमें किसी तरमीम की आवश्यकता नहीं है और इसे सेलेक्ट कमेटी में भी भेजने की आवश्यकता नहीं है । इसे एज इट इज पास कर दिया जाय ।

*श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो आज सदन में इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मन्डी अधिनियम १९६४ में बना था लेकिन उसे १९७२ में लागू किया गया । यह मंडी अधिनियम कि सानों के विकास और उनकी सुविधा के लिए लागू किया गया । किसान जब अपना माल मंडी तक लाता है तो किस तरह की लूट होती है ।

(इस समय १ बज कर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री उदित नरायन पीठासीन हुए ।)

इस विषय की मुझे विशेष जानकारी है। मैं किसान भी हूं और व्यापारी भी हूं। सन् १९७२ में मंडी समिति ऐक्ट लागू होने पर यह नियम था कि ५० पैसे प्रति सैंकड़ा किसान से लिया जायगा और इसके लिए समितियां गठित की गई, सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई और जनता के प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिए गये । समस्या यह हुई कि किसानों से यह पैसा कैसे वसूला जाय । फिर तत्कालीन सरकार ने वर्ष १९७४ में इस विधेयक में संशोधन करके इस को १ प्रतिशत करके व्यापारियों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसको लागू कर दिया । बाद में माननीय नेता विरोधी दल, जो उस समय मुख्य मंत्री थे अपने मंत्रित्वकाल में इसको बहु सूत्री के रूप में लागू कर दिया । जैसा कि भाई साहब ने बताया जिस अनुपात से टैक्स लगाया गया वह नहीं बढ़ा । किसानों की लूट तो कम हो गई लेकिन इससे व्यापारियों और कर्मचारियों के बीच में भ्रष्टाचार पैदा हो गया और जिसको रोकना मुश्किल हो गया । आज परिस्थिति यह है कि गल्ला, तिलहन, सब्जी और किराने की चीजों पर एक प्रतिशत बहु सूत्री कर लागू हो गया । मेरे क्षेत्र, कानपुर की मंडी, जो प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है, जिसकी मासिक आय ३ लाख रुपये हैं, साल में ३६ लाख रुपये होता है, उसमें किसानों के हित में एक पैसा भी अभी तक नहीं गया है ।

१९७३ में उस क्षेत्र से मैं प्रमुख चुना गया और जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि इस रुपये को किसानों के विकास कार्यों में लगाया जाय, सड़कों के निर्माण में लगाया जाय, मैंने भी इसी प्रकार का प्रयास किया इसकी मुझे जानकारी होने पर मंडी-समिति के अधिकारियों से मिला और अपने क्षेत्र समिति के माध्यम से उसका एक प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष के पास भेजा । विधुना ब्लाक में राम गंगा के तत्कालीन प्रशासक, जिसका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, और वे रिटायर भी हो गये हैं, ने भी यह प्रस्ताव किया कि इस पैसे को क्षेत्रीय विकास कार्य में लगना चाहिए । ४ सड़कों के निर्माण, प्रोपोजल क्षेत्र समिति की ओर से भेजा गया । तत्पश्चात् मुझे सरकार से आदेश मिला कि सड़कें बनायी जायेंगी । जैसे ही मंडी समिति के डायरेक्टर के यहां से पास हो गई आपके यहां पर कार्य आरम्भ हो जावेगा । एक साल के बाद हमें बताया गया कि हम श्रमदान का कार्य पूरा करें, किसानों की सहायता से तब हमारे यहां पर इन सड़कों का निर्माण कार्य पर विचार किया जायगा । श्रीमन् मेरा सुझाव है कि अगर यह किसानों के लिए धनराशि है तो आप ऐसे प्रतिबन्धों को हटाइये । जिस क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण कार्य होना हो उसके अन्तर्गत सीधे स्वीकृति देकर और रुपया एलाट करके पी० डब्लू० डी० के इन्जीनियरों द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाय ।

दूसरे मुझे यह कहना है कि पहले ५० पैसे रखा गया, फिर इसे १ रुपया कर दिया गया और बाद में १ रुपया बहु सूत्री के रूप में कर दिया गया । इसके अलावा मंडी समिति में ४ प्रतिशत टैक्स के रूप में लिया जाता है । मैं माननीय कृषि मंत्री जी को श्रीमन्, आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि टैक्स तो आपको मिल जाता है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है । १ प्रतिशत मंडी समिति टैक्स और ४ प्रतिशत क्रय-कर, इस प्रकार यह ५ प्रतिशत हो जाता है । मंडी समिति का कर बहु सूत्री है । किसान जब अपने घर से माल लेकर चलता है, नहीं भी चलता है, आपसे आदान प्रदान करता है तो १०० रुपये के उसको ९० रुपये ही मिलते हैं । उसके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो कोई उसका माल खरीदेगा उसका टैक्स, मन्डी टैक्स से लेकर चलता है । फिर सड़क पर लेकर आता है, वह व्यापारी या अनरजिस्टर्ड व्यापारी किस समस्या के शिकार हो जाते हैं कि जगह-जगह पर मंडी समिति का बोझा भी उस पर लद गया । दरोगा के माध्यम से साठ-गांठ करके उन व्यापारियों को या उन किसानों को जो मंडी समिति के अन्तर्गत अपने माल को लेकर जाते हैं जिसका प्रति बोरा ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है उसे ८-८, १०-१०, ७-७ रुपया बोरा किसान से लिये जाते हैं । यह आपको देखना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा । मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि मंडी समिति टैक्स एक परसेंट एक सूत्री रखा जाय । इससे किसानों का भी हित है और व्यापारियों को भी राहत मिलेगी । पहले जब यह ५० प्रति सैकड़ा था, एक परसेंट था तो १९७५ में कानपुर मंडी समिति की आय जब कि सब्जी मंडी से नहीं वसूल होता था, एक लाख या प्रति मास थी । आज किराना बाजार से हो रहा है, सब्जी मंडी का पूरा

[श्री जौहरी लाल त्रिवेदी]—

कर मंडी समिति के अन्तर्गत है, गल्ले का सामने है, आज ३ लाख रुपया आय है। तो आप सोचिये बहु सूत्री, एक सूत्री और तीन जगहों से पड़ कर आ जाने पर भी आप की आय उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि टैक्स के लगने से बढ़ जानी चाहिए थी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसपर आप ध्यान दें कि अगर इसको एक सूत्री करें तो इससे किसानों को लाभ होगा और व्यापारियों की नैतिकता दोनों समन्वित हो जायेंगे, इससे सरकार को और जनता को दोनों को लाभ होगा।

दूसरी समस्या, आपको बता देनी है कि गल्ले का लाइसेंस आर० एफ० सी० के माध्यम से होता है और मंडी समिति का लाइसेंस मंडी समिति के जरिये से। दोनों एक ही हैं। वह भी गल्ले पर कंट्रोल करता है आर० एफ० सी० और मंडी समिति जो है वह मंडी का टैक्स वसूल करती है। दोनों के लाइसेंस अलग-अलग हैं। दोनों की व्यवस्था अलग-अलग व्यापारियों को करनी पड़ती है। गल्ले का लाइसेंस ५० रुपये में मिलता है और उसका रिन्युअल २५ रुपया फीस रखी गयी है और मंडी समिति का लाइसेंस १०० रुपया प्रति वर्ष लगता है। दोनों एक ही समस्या से सम्बन्ध रखते हैं, एक ही माध्यम है और अलग-अलग फीस है। लाइसेंस का अलग है और मंडी समिति को अलग देना पड़ता है। यह भी आपको देखना पड़ेगा। यह सब पिछली सरकारों ने ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी है जिससे जनता को और व्यापारियों को झंझट में फंसा रखा था। आप इसका निराकरण करें। इससे भ्रष्टाचार बराबर बढ़ता रहा। कभी उसपर किसी ने विचार ही नहीं किया। माननीय मंत्री ने जो यह कहा है कि कांग्रेसी शासन ने अपने हारे हुए ऐसे व्यक्तियों को स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसी व्यवस्थाएं रखी थीं तो यह वस्तविकता है। उसके ऊपर विचार करके उसका निराकरण करना पड़ेगा और जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको ध्यान में रखते हुए हो सकता है। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि उत्पादन मंडी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, ये जो कृषक हैं, जो भी खेत में पैदा करते हैं उनकी बिक्री अच्छी तरह से हो और उनकी पहले जो लूट होती थी बाजारों में उससे उनकी रक्षा के लिए १९६४ में यह अधिनियम बनाया गया है। हम सब जानते हैं कि जो किसान बाजार में अपना उत्पादन लाता था उससे आढ़त का कमीशन, धर्मादा, तौलाई, चुंगी के रूप में ५-६ प्रतिशत तक कटौती हो जाती थी और यह अधिनियम इसलिये लागू किया गया कि उससे उनकी रक्षा की जाय और अब मंडी समिति उस किसान से केवल १ प्रतिशत लेती है। लेकिन यह केवल कागज पर है, वास्तविकता यह है कि अब भी किसान जब बाजार में माल ले जाता है तो १ प्रतिशत मंडी समिति का शुल्क वह देता है और जिस आढ़ती की दुकान से वह अपना माल बेचता है वह अब भी डेढ़, २ प्रतिशत ले लेता है। मैं चाहूंगा कि जब हम इस पर विचार कर रहे हैं तो यह जो लूट हो रही है, हम चूंकि किसान हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यह लूट हो, आवश्यकता इस बात की है कि इस लूट से, इस प्रचलन से भी कृषकों की रक्षा की जाय।

जो संशोधन विधेयक इस वक्त हमारे सामने है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो समिति का गठन किया गया है इसकी धारा १३ को मूल रूप से बदल कर एक नयी धारा रखी गयी है। जो समिति बनेगी उसके जो सदस्य होंगे उसमें जो सहकारी समितियां हैं, भारतीय खाद्य निगम है, केन्द्रीय गोदाम निगम है, राज्य गोदाम निगम है, इन सब को मिला कर ९ सदस्य हो जाते हैं। कृषकों की स्थिति यह है कि जो क्षेत्र है मंडी समिति का उसमें अगर २० न्याय पंचायतें हैं तो कृषकों की संख्या ५ होगी। अगर ४० या उससे अधिक न्याय पंचायतें हैं तो उनकी संख्या ११ होगी। तो जो उत्पादक हैं उनका प्रतिनिधित्व इसमें कम हो रहा है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जिसकी रक्षा करने के लिये मंडी उत्पादन समिति बनी है उसमें उनका प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से ज्यादा हो तभी उनके हितों की रक्षा हो सकती है। इसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं ५ पर १, ९ पर १, ११ पर २। मेरा निवेदन है कि उनकी भी संख्या बढ़ाई जाय जिससे उनका भी प्रतिनिधित्व इसमें अधिक हो सके।

निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने की बात इसमें कही गयी है। यह अच्छी बात है। यह तो जो हमारी कांग्रेस सरकार थी उसकी ही देन है। इसमें मंडी स्थलों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। कई जगह मंडी स्थल बनाये गये। वहां दुकानें बनायी गयीं। उसमें किराया जो निर्धारित किया गया, जैसे बाराबंकी, रायबरेली में मैं जानता हूं, उस किराये पर कोई दुकान लेने को तैयार नहीं है और लाखों रुपया मंडी समिति का फंस गया। इसलिये मेरा सुझाव इसके बारे में यह है कि मंडी स्थल तो निश्चित कर दिया जाय और उसके प्लाट बना कर लीज पर दुकानदारों को दे दिया जाय। वे दुकानदार अपनी दुकानें बनायें और हमेशा लीज मंडी समिति को मिलता रहे। इससे मंडी समिति का पैसा नहीं फसेगा।

इसमें शुल्क अपवंचन रोकने की भी व्यवस्था की गयी है कि इनके अधिकारी मंडी सीमा में कहीं भी जा कर जांच कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। शुल्क अपवंचन बहुत ज्यादा हो रहा है। जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है सारा व्यापार ही नम्बर २ का हो गया और जब नं० २ का व्यापार हो जायेगा तो शुल्क बहुत कम मिलेगा।

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)—

नम्बर २ का काम तो आप करते रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

आप जवाब दे लीजियेगा। तो अपवंचन रोकें जिसके नं० २ का व्यापार रुके। जब तक नं० २ का व्यापार नहीं रुकेगा तबतक शुल्क नहीं बढ़ सकता चाहे जितनी जांच करा लीजिये। इसमें जो अवधि समाप्त हो रही है उसको भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब तक व्यवस्था जिला मैजिस्ट्रेट के हाथ में थी, अब चुनाव कराने की बात कही गयी है। मेरा सुझाव है कि चुनाव जल्दी कराये जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

(कृषि मंत्री को पुकारे जाने पर)।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मैं पीड़ित लोगों की ही बात कहना चाहता हूं, कृपया दो मिनट दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने अब कृषि मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया । जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, सभी ने इसका समर्थन किया है, साथ ही अपने कुछ सुझाव भी दिये ह । माननीय साथी, नैनीताल, ने कुछ आपत्ति उठायी, बाकी तो सभी ने समर्थन किया । कुछ गड़बड़ियों की और कुछ भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है । उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जायेगी ।

यह भी एक सुझाव दिया गया कि लिंक रोड हम बनायें । कुछ साथियों ने चुनाव जल्द कराने के लिये कहा । मैं जल्द से जल्द चुनाव कराने की कोशिश करूंगा । मैं स्वयं चाहता हूं कि चुनाव शीघ्र हो जायें ताकि जनता के हाथों में ताकत आये और काम सुचारू रूप से चले ।

हमारे बदायूं के साथी ने जो लिंक रोड के बारे में कहा, इस समिति के पास इतना धन नहीं होता कि वह स्थायी लिंक रोड स्वयं बना सके । उसको बनाने की हम पूरी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं ? इस समिति को किसानों की सुविधा के और कामों को भी करना होता है । इसलिये लिंक रोड के बनाने में हम थोड़ा बहुत योगदान तो दे सकते हैं, मगर पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते । जिस तरह से गन्ना सोसाइटियां वगैरह मदद करती हैं, उस तरह से हम भी कर सकते हैं ।

मान्यवर, हमारे सभी साथी इस संशोधन विधेयक के समर्थन में हैं । जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर मैं अच्छी तरह से विचार करूंगा और जो कमियां बतलायी गयी हैं, उनको दूर करने का प्रयास करूंगा । मंडियों के स्थलों की जांच भी करूंगा कि कहां-कहां यह गड़बड़ी हुई है । अब पिछली सरकार ने गड़बड़ी की, तो सरकार के जो साथी और लोग थे, जैसे हमारे लखनी सिंह जी ने कहा उनका कहां तक हाथ है, उसकी सब हम जांच करके बता सकेंगे । मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम सारी चीजों को देखेंगे और जहां तक मुमकिन होगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा । मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा और हमारे जितने साथी हैं, अगर वह अपने-अपने जिले के सम्बन्ध में, अगर कोई ऐसी खामियां हुई हैं, तो वह हमको अवगत करायेंगे, तो इसमें हमको काफी मदद मिलेगी । अन्त में मान्यवर, इस आशय से कि सभी लोग इससे सहमत हैं, मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि सर्वसम्मति से मेरे इस संशोधन विधेयक को पारित करें ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं माननीय सदन के दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे संशोधन के ऊपर अपना कीमती विचार रखा और मैं आशा करता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि वह स्वयं ही दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस मंडी की जो देख-रेख करने वाले सचिव और दूसरे अधिकारी हैं, उनके ऊपर उस वक्त तक विशेष रूप से

नियंत्रण रखने की कृपा करें, जब तक कि चुनाव न हो जाय। मैं इस बात के लिए आभारी हूं माननीय मंत्री जी ने आश्वसन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव करायेंगे। इसी आशा के ऊपर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री रियासत हुसैन को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—४

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २५, १९६४ की धारा २ का संशोधन

(क) खंड (छ) में शब्द "कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९१२ के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर्ड हो" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के अधीन निबन्धित हो या निबंधित समझी जाय", रख दिये जायेंगे। उ० प्र० अधिनियम संख्या ११, १९६६

(ख) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ज—१) 'निर्वाचन निदेशक' का तात्पर्य राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी से है, और इसके अन्तर्गत निर्वाचन निदेशक द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके समस्त या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;"

(ग) खंड (म) के पश्चात् आये हुए खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्:— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

"(कक) 'गांव' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी—विनाश और भूमि—व्यवस्था अधिनियम, १९५० में है।"

धारा ५ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द "जहां पर सामान्यतः इस प्रकार के सौदे किये जाते हैं" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा ७ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ७ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"(२) राज्य सरकार यदि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रधान मंडी-स्थल या उप मण्डी-स्थल के क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है, या उसमें से कोई क्षेत्र निकाल सकती है या विद्यमान प्रधान मंडी-स्थल या उप मंडी-स्थल को उत्सादित कर सकती है, और कोई नया प्रधान मंडी-स्थल या उप मंडी-स्थल घोषित कर सकती है ।"

श्री अधिष्ठाता:--

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ तथा ४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५-७

धारा १३ का प्रतिस्थापन

५--मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी; अर्थात्--

समिति का संघटन

"१३--(१) धारा १४ के अधीन संघटित प्रथम समिति से भिन्न समिति में ऐसी अर्हताय, जो नियत की जायं, रखने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे--

(एक) प्रधान मंडी-स्थल या उप मंडी-स्थल या उनमें से किसी के भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और ग्राम सभा से भिन्न स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि ;

(दो) मंडी क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि ;

(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति यदि उसके पास मंडी क्षेत्र में कार्य करने के लिये लाइसेंस हो ;

(चार) केन्द्रीय गोदाम निगम द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, यदि मंडी क्षेत्र में उस निगम का गोदाम हो;

(पांच) राज्य गोदाम निगम द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, यदि मण्डी क्षेत्र में उस निगम का गोदाम हो;

(छः) मंडी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त आढ़तियों का एक प्रतिनिधि ;

(सात) निम्नलिखित संख्या में मंडी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के प्रतिनिधि :

(क) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत २० से अधिक न्याय पंचायतें न हों तो एक;

(ख) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत २० से अधिक न्याय पंचायतें हों तो दो;

(आठ) निम्नलिखित संख्या में मंडी क्षेत्र के उत्पादक--

(क) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत २० से अधिक न्याय पंचायतें न हों, तो पांच, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा;

(ख) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत २० से अधिक किन्तु ३० से अनधिक न्याय पंचायतें हों तो सात, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा;

(ग) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत ३० से अधिक किन्तु ४० से अनधिक न्याय पंचायतें हों तो नौ, जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होंगे; और

(घ) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत ४० से अधिक न्याय पंचायतें हों तो ग्यारह, जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होंगे;

जो निम्नलिखित द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे--

(ब) गांव सभा के प्रधान जिनका क्षेत्राधिकार मंडी क्षेत्र के किसी भाग पर हो;

(भ) लोक सभा के और विधान सभा के ऐसे सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हैं, जिसमें मंडी क्षेत्र या उसका भाग सम्मिलित हैं;

(म) ऐसी जिला परिषद् के सदस्य, जो मंडी क्षेत्र या उसके भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हैं;

(य) राज्य सभा और विधान परिषद् के ऐसे सदस्य और जिला परिषद् के ऐसे अध्यक्ष और क्षेत्र समिति के ऐसे प्रमुख जो मंडी क्षेत्र के भीतर किसी स्थान के निवासी हों ।

स्पष्टीकरण--निवास-स्थान वही समझा जायगा जो, यथास्थिति, सदस्य, अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में उनके निर्वाचन की विज्ञप्ति में उल्लिखित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (भ) या खंड (म) में निर्दिष्ट मामलों में, जहां एक से अधिक मंडी क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित हैं या, यथास्थिति, जिला परिषद् के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, वहां मताधिकार का प्रयोग ऐसी मंडी क्षेत्र के सम्बन्ध में किया जायगा, जिसका संकेत ऐसे सदस्य द्वारा यथाविहित समय में और रीति से किया जाय ।

(नौ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो सरकारी पदधारी जिनमें से एक कृषि विपणन विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा ।

(२) (एक) उपधारा (१) के खंड (एक), (दो), (छः), (सात) और (आठ) के अधीन निर्वाचन के लिये पात्र व्यक्तियों की अर्हता और उनके निर्वाचन की और उनके निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की रीति ऐसी होगी, जो नियत की जाय ।

(दो) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन पर निर्वाचन निदेशक का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण होगा ।

(३) उपधारा (१) के खंड (तीन), चार, (पांच) और (नौ) के अधीन सदस्यों का नाम-निर्देशन ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर किया जायगा, जो नियत की जाय ।

(४) उपधारा (१) के अधीन निर्वाचित और नाम-निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम-निर्देशन के इक्कीस दिन के भीतर निदेशक के यहां रजिस्ट्रीकृत किया जायगा ।

(५) उपधारा (१) के खंड (एक), (दो), (छः), (सात) या (आठ) के अधीन निर्वाचित सदस्य, उसके इस प्रकार निर्वाचन के लिये पात्र न रहने पर सदस्य न रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के खंड (तीन) या खंड (छः) या खंड (सात) के अधीन निर्वाचित सदस्य की सदस्यता केवल इसी कारण समाप्त न हो जायगी कि उसका लाइसेंस समाप्त हो गया है, यदि उसने लाइसेंस के नवीकरण के लिये तदर्थ नियत समय के भीतर प्रार्थना-पत्र दे दिया हो और वह अस्वीकृत न किया गया हो ।

(६) निदेशक, यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम और पता गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित करेगा, और ऐसा दिनांक भी विज्ञापित करेगा जिस दिनांक को

समिति सम्यक् रूप से संघटित की गई हो किन्तु ऐसा दिनांक, समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के नाम इस प्रकार प्रकाशित हो जाने के दिनांक से पूर्व का न होगा ।

(७) उपधारा (६) के अधीन संघटित समिति नियत रीति से अपने उत्पादक सदस्यों में से अपने सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करेगी ।

(८) समिति के सदस्यों का कार्यकाल उपधारा (६) के अधीन उनके अपने नाम के प्रकाशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा और जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा (६) के अधीन विज्ञापित समिति के संघटन के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर समाप्त होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जहां लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, विज्ञप्ति द्वारा समिति का कार्यकाल कुल दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, किन्तु एक बार में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी ।

(९) सभापति और उप सभापति का कार्यकाल कलेक्टर या उसके नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसे शपथ दिलाये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगा और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समिति में उनकी सदस्यता के कार्य-काल के साथ समाप्त होगा ।

(१०) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी कार्य पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि समिति के सभापति, उप सभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट होने के लिये किसी अर्हता का अभाव था, या उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या यह कि समिति में कोई रिक्ति थी या उसके संघटन में कोई अन्य त्रुटि हुई ।

(११) उपधारा (१) या उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई सदस्य नियत अवधि के भीतर यथाविधि निर्वाचित न किया जाय तो राज्य सरकार उस वर्ग में आने वाले किसी उपयुक्त व्यक्ति को समिति का सदस्य नियुक्त कर सकती है ।"

६—मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्— नई धारा १३-क का बढ़ाया जाना

निर्वाचन याचिका

"१३-क—(१) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में, सिवाय ऐसी याचिका के, जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, प्रस्तुत की जाय, कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी याचिका पर नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई पक्ष, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २६, १९४७

(३) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, १९४७ की धारा १२-ग के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (१) के अधीन निर्वाचन याचिका पर लागू होंगे और जहां उस अधिनियम की धारा १२-ग के अधीन किसी बात का नियत किया जाना अपेक्षित हो, वहां इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में वही बात नियत की जा सकती है ।

(४) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन नियत प्राधिकारी का विनिश्चय, और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा ।"

धारा १७ का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा १७ में--

(क) खंड (३) में, उपखंड (ख) में, शब्द "प्रधान मंडी स्थल अथवा उपमंडी स्थल में" के स्थान पर शब्द "मण्डी क्षेत्र में" रख दिये जायेंगे;

(ख) खंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(५) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार या परिषद् से या परिषद् की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी अन्य समिति या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से जुटाना";

(ग) खंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(५-क) परिषद् को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो परिषद् और समिति के मध्य परस्पर सम्मत हों, उधार देना;

(५-ख) निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें परिषद् अवधारित करे, किसी अन्य समिति को उधार देना ।"

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना संशोधन सदन के समक्ष पढ़ता हूं ।

खण्ड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (क) में शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'आठ', उपखण्ड (ख) में शब्द 'सात' के स्थान पर शब्द 'दस', उपखण्ड (ग) में शब्द 'नौ' के स्थान पर शब्द 'बारह' और उपखण्ड (घ) में शब्द 'ग्यारह' के स्थान पर शब्द 'चौदह' रख दिये जायं ।

खण्ड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के उपखण्ड....

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अलग-अलग रखें । मैं आपके एक-एक संशोधन को ले रहा हूं।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मुझे अस्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५ में....

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मुझे ५ मिनट संशोधन पर कहने की आज्ञा तो दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (क) में शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'आठ', उपखण्ड (ख) में शब्द 'सात' के स्थान पर शब्द 'दस', उपखंड (ग) में शब्द 'नौ' के स्थान पर शब्द 'बारह' और उपखंड (घ) में शब्द 'ग्यारह' के स्थान पर शब्द 'चौदह' रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरा एक अनुरोध है कि मुझे अपने विचारों को रखने का अवसर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

जितना समय निर्धारित है उसमें इतना ही सम्भव हो सकेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरा एक अनुरोध है । अगर १३ को आप पढ़ें तो इससे ऐसा लगता है कि यह सारी जो मुख्य मंत्री ने अपनी भावना रखी है....

श्री अधिष्ठाता--

वह संशोधन तो अस्वीकार किया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 'हां' की संख्या अधिक है । चैलेंज कर रहे कि 'हां' की संख्या अधिक है ।

श्री अधिष्ठाता—

जब दूसरा संशोधन आये तो चैलेंज करें ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब यह अस्वीकार हो गया है तो यह कैसे कहा जा सकता है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके आदेश से अपना संशोधन सदन के सम्मुख रखता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, पहले वाला संशोधन क्या हुआ, 'हां' की संख्या अधिक थी।

श्री अधिष्ठाता—

पहले वाला संशोधन गिर गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मुझको अपने विचार रखने की अनुमति नहीं है तो मैं इसके प्रोटेस्ट में बहिगमन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप ठहरिये, २ मिनट बोल लें ।

श्री रियासत हुसैन—

दूसरे नंबर के संशोधन पर बोल लेने दीजिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मुझे केवल इतना ही कहना है कि जिस समय धारा १३ को मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यह संशोधन जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं बल्कि हमारे नेता विरोधी दल द्वारा. . . .

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप कृपया संशोधन प्रस्तुत कर दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

खण्ड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के उपखंड (भ) तथा (य) को निकाल दिया जाय. . .

श्री अधिष्ठाता—

यह आप तीसरा पढ़ रहे हैं । पहले दूसरा पढ़िये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने पढ़ा तो श्रीमन् ने कहा कि यह अस्वीकार है । मैं फिर पढ़ रहा हूं ।

"खण्ड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायं—

(ङ) मण्डी और उपमण्डी क्षेत्र में जिस विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता हो उसका प्रतिनिधि ;

(च) मण्डी क्षेत्र में निवास करने वाले लोक सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य, या विधान परिषद् सदस्यों में से चुना हुआ एक प्रतिनिधि ;

(छ) मन्डी क्षेत्र में संपूर्ण या अधिकांश भाग वाली क्षेत्र समितियों के क्षेत्र समिति प्रमुख या उसके इंकार करने पर क्षेत्र समिति या क्षेत्र समितियों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय मैंने इस विधेयक को देखा तो मुझे लगा कि यह जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक नहीं है बल्कि यह हमारे माननीय नेता विरोधी दल का ड्राफ्ट किया हुआ विधेयक है जो गल्ती से हमारे मंत्री जी के हाथ में आ गया और उन्होंने इसको पेश किया है । मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को देखें तो इसका मंशा जनता पार्टी की घोषित नीतियों के विरुद्ध है हमने वायदा किया था कि जय प्रकाश नारायण जी की इच्छाओं के अनुसार लोकतंत्र का निर्माण करेंगे, लेकिन आज वह लोक मर गया है जनता में नया जीवन फूकेंगे और जो तंत्र इस समय हावी है उसको कमजोर करेंगे । लेकिन विधेयक को देखें तो जो पुराना विधेयक है और उसमें जो व्यवस्था थी, उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा थी, तो इसमें नौकरशाही की संख्या ज्यादा है । इसमें किसानों का बहुमत था तो इसमें उनकी संख्या घटाकर रखी गयी है और सरकारी अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है । इसलिए यह कहना कि इस विधेयक में जो उपभोक्ता हैं उनका बहुमत है और उनका हित होगा तो ऐसा नहीं है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह पुराने ऐक्ट को और आज के ऐक्ट को देखें और तुलना करें तो वह इस मत पर पहुंचेंगे कि जो सरकार की घोषित नीति थी कि जन प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देंगे तो यहां पर नौकरशाही को प्राथमिकता दी गयी है । इस तरह से मान्यवर, उस मंशा की पूर्ति नहीं हो रही है जिस मंशा की अभिव्यक्ति माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा है । इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस विधेयक पर पुनः विचार करें ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

श्रीमन्, मुझे अस्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (आठ) के उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित

उपखंड बढ़ा दिये जांय—

(ङ) मंडी और उपमंडी क्षेत्र में जिस विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता हो उसका प्रतिनिधि ;

(च) मंडी क्षेत्र में निवास करने वाले लोक सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य, या विधान परिषद् सदस्यों में से चुना हुआ एक प्रतिनिधि ;

(छ) मंडी क्षेत्र में संपूर्ण या अधिकांश भाग वाले क्षेत्र समितियों के क्षेत्र समिति प्रमुख या उसके इंकार करने पर क्षेत्र समिति या क्षेत्र समितियों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि ।

(प्रश्न उपस्थित करने पर. ..)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, 'हां' की संख्या अधिक है । चाहे गिन्ती कर लें ।

(व्यवधान)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय सदस्य को इलाज के लिए मान्यवर, भेज दें जिससे उनकी स्मरण शक्ति तेज हो जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह नियम था कि २ बजे तक यानी लंच आवर तक कोई डिवीजन नही होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य यह सही कह रहे हैं कि यह प्रथा है, लेकिन यदि चैलेन्ज किया जाय और उसके ऊपर जोर दिया जाय तो मेरे लिए कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि उस पर वोट लूं ।

प्रश्न यह है कि खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (अ ठ) के उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिये जाएं—

(ङ) मंडी और उपमंडी क्षेत्र में जिस विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता हो, उसका प्रतिनिधि ,

(च) मंडी क्षेत्र में निवास करने वाले लोक सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य या विधान परिषद् सदस्यों में से चुना हुआ एक प्रतिनिधि ,

(छ) मंडी क्षेत्र में संपूर्ण या अधिकांश भाग वाली क्षेत्र समितियों के क्षेत्र समिति प्रमुख या उसके इंकार करने पर क्षेत्र समिति या क्षेत्र समितियों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

एक सदस्य--

नेता विरोधी दल भी हाथ उठा रहे हैं।

एक सदस्य--

माननीय मुख्य मंत्री ने हाथ उठाया है, उनका वोट नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

एक वोट माइनस हो जायगा।

(हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२६,

विपक्ष में--९६

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

"मान्यवर, आपकी अनुमति से यह संशोधन पेश करता हूं --

"खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (आठ) के उपखंड (भ) तथा (य) को निकाल दिया जाय।"

श्री धीरेन्द्र सहाय--

अस्वीकार।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (आठ) के उपखंड (भ) तथा (य) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आपकी अनुमति से इस संशोधन को सदन के सम्मुख पेश करता हूं। खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (९) के अन्त में 'विराम' के स्थान पर 'कोलन' का चिन्ह रखा जाय और तदुपरान्त निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय--

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन अधिकारियों को न तो निर्वाचन की स्थिति में और न समिति की सामान्य बैठकों में ही मत देने का अधिकार होगा।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

अस्वीकार।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (६) के अन्त में 'विराम' के स्थान पर 'कोलन' का चिन्ह रखा जाय और तदुपरान्त निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय--

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन अधिकारियों को न तो निर्वाचन की स्थिति में और न समिति की सामान्य बैठकों में ही मत देने का अधिकार होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५, ६, व ७ इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८ से खंड २१

धारा १९ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १९ में,--

(क) उपधारा (४) निकाल दी जायगी ;

(ख) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(५) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष की अपनी कुल प्राप्तियों [धारा १७ के खंड (५) के अधीन जुटाई गई धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान को छोड़कर] में से परिषद् को, अंशदान के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो ऐसी प्राप्तियों के दस प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे परिषद् समय-समय पर निश्चित करे "

धारा २४ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा २४ में उपधारा (२) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्:--

"(ख) समिति के किसी कर्मचारी के उपेक्षा, दुराचरण या कर्त्तव्यच्युति के मामलों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए देगा, और यदि इसके लिए अधिकृत किया गया हो तो समिति के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करेगा ।"

धारा २६ का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा २६ में, शब्द "समिति" के स्थान पर शब्द "परिषद् या समिति" रख दिये जायेंगे ।

धारा २६ख का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा २६-ख में --

(क) उपधारा (१) में--

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश यदि वह अध्यक्ष न हों ;"

(दो) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(घ) राज्य सरकार के कृषि विभाग का सचिव या जहां उक्त विभाग के लिए कोई पृथक सचिव न हो, वहां उक्त विभाग का, यथास्थिति, विशेष सचिव या संयुक्त सचिव ;"

(तीन) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(च–१) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार,

(च–२) निदेशक, औद्यानिकी एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश;

(च–३) राज्य कृषि विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ;

(च–४) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम १९५८ के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ;"

(चार) खंड (छ) में, जहां कहीं भी शब्द "तीन" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "छ" रख दिया जायगा ;

(पांच) खंड (ज) में, शब्द "एक व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "दो व्यक्ति" रख दिये जायेंगे, और शब्द "कोई व्यापारी अथवा आढ़ती" के स्थान पर शब्द "कोई दो व्यापारी या आढ़ती" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (३) में, शब्द "अपर कृषि निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है", के पश्चात् शब्द "और खंड (ज–१) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो भारत सरकार के संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है, और खंड (च–२) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो अपर निदेशक, औद्यानिकी एवं फलोपयोग के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा २६घ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा २६–घ में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(२) धारा २६–ख की उपधारा (१) के खंड (च–४) या खंड (छ) या खंड (ज) के अधीन नियुक्त सदस्य की परिषद् में सदस्य, यथास्थिति, वैसे कुलपति पद पर न रह जाने पर या मंडी समिति का निर्वाचित सदस्य न रह जाने पर समाप्त हो जायगी ।"

धारा २६-झ का संशोधन

१३- मूल अधिनियम की धारा २६-झ में शब्द "अपने द्वारा नियुक्त किसी उप समिति के" के स्थान पर शब्द "अपने द्वारा नियुक्त किसी उप समिति या निदेशक या" रख दिये जायेंगे ।

धारा २६-ठ का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा २६-ठ में,

(क) उपधारा (१) में, खंड (१) में, शब्द "मंडियों तथा मंडी क्षेत्रों के विकास" के स्थान पर शब्द "नये मंडी-स्थलों के निर्माण और वर्तमान मंडियों तथा मंडी क्षेत्रों के विकास" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (२) में, खंड (९) में शब्द "वित्तीय सहायता" के पश्चात् शब्द "और उधार" रख दिये जायेंगे ।

धारा ३३ का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा ३३ में, शब्द "परिषद् को या उसके किसी अधिकारी को" के स्थान पर शब्द "परिषद् को या निदेशक को" रख दिये जायेंगे ।

धारा ३५ का प्रतिस्थापन

१६--मूल अधिनियम की धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् --

मालगुजारी के रूप में देयों की वसूली

"३५--परिषद् या किसी समिति द्वारा राज्य सरकार को, या किसी समिति द्वारा परिषद् को, या किसी समिति द्वारा किसी अन्य समिति को देय कोई भी धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है ।"

धारा ३६ का प्रतिस्थापन

१७--मूल अधिनियम की धारा ३६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने का अधिकार

"३६--(१) मंडी समिति का सचिव या राज्य सरकार या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी

(क) इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति को आरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी उचित समय पर कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय से संबन्धित सभी लेखा-बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां पर ऐसी लेखा-बही या रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों या ऐसा माल रखा जाता हो और ऐसी लेखा-बही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों से ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण जो आवश्यक समझे जांय, ले सकता है या लिवा सकता है ;

(ख) किसी लेखा–बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का, कारणों को अभिलिखित करते हुए अभिग्रहण कर सकता है और ऐसी लेखा बही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज की तालिका को तैयार कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तालिका की एक प्रति ऐसी लेखा–बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रभारी व्यक्ति को दी जायगी;

(ग) किसी ऐसे कृषि उत्पादन को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है;

(घ) किसी ऐसी गाड़ी या पशु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे कृषि उत्पादन को ले जाने के लिए प्रयोग में है या प्रयोग में रहा है और उसे उतने समय तक निरुद्ध कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिगृहीत करने वाला व्यक्ति अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरन्त उस मजिस्ट्रेट को देगा जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराध पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो और दन्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ४५७, ४५८ और ४५९ के उपबन्ध, यथाशक्ति, उपर्युक्त अभिगृहीत कृषि उत्पादन गाड़ी या पशु के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत सम्पत्ति पर लागू होते हैं :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिगृहीत करने के आधार की संसूचना उस व्यक्ति को जिसके पास से वह अभिगृहीत किया गया हो और उस मजिस्ट्रेट को, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो, अभिग्रहण किये जाने के चौबीस घंटे के भीतर लिखित रूप में दी जायगी।

(२) तलाशी लेने और अभिग्रहण से सम्बन्धित दन्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १०० के उपबन्ध, यथाशक्ति इस धारा के अधीन दी गई तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे । अधिनियम २, १९४७

१८—मूल अधिनियम की धारा ३७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्— धारा ३७ का प्रतिस्थापन

"३७—(१) कोई व्यक्ति जो धारा ९ या धारा १० के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर— शास्ति

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास दण्ड से जो ९० दिन तक हो सकता है या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ओर से उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अग्रतर जुर्माना से जो दूसरी दोषसिद्ध या किसी अनुवर्ती दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है,

दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारण, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायगा, न हो तो प्रथम अपराध के लिए जुर्माना दो सौ पचास रुपये से कम और द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए पांच सौ रुपये से कम न होगा ।

(२) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का, धारा ९ और १० और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माना से जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रथम बार सिद्ध दोष होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे, बीस रुपये के अग्रतर जुर्माना से दण्डनीय होगा ।

(३) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाय, तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माना के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मंडी समिति को भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकता है और मंडी समिति को भुगतान कर सकता है ।"

नई धारा ३७-क का बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--
बढ़ाया जाना

१९--मूल अधिनियम की धारा ३७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा

अपराध का शमन

"३७-क -(१) कोई मंडी समिति या उसकी उप समिति या समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त प्राधिकार से उसका सभापति किसी व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, उससे प्राप्य फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, शमन फीस के रूप में पांच सौ रुपये से अनधिक की धनराशि स्वीकार कर सकता है और अपराध का शमन कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी अपराध का शमन किए जाने पर ऐसे अपराध से सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी न जारी रखी जायेगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में

किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई हो तो उक्त शमन के प्रभाव से, वह दोष-मुक्त हो जायगा।"

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७२ का संशोधन

२०--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७२ की धारा २ में, अंक "१९७६" के स्थान पर अंक "१९७७" रख दिया जायगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९७२ की धारा २ का संशोधन

अध्याय--चार

प्रकीर्ण

२१--(१) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश १९७७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त (धारा २ और धारा २० में निर्दिष्ट) अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन इस प्रकार किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस संशोधन को सदन के सम्मुख पेश करता हूं। खंड ८ के उपखंड (ख) में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (५) की पंक्ति ४ में शब्द 'दस प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'पांच प्रतिशत' रख दिया जाय और शब्द "जिसे परिषद् समय-समय पर निश्चित करे" के स्थान पर शब्द "जिसे मंडी समिति अपने प्रस्ताव द्वारा निर्धारित करे" रख दिये जायं।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

अस्वीकार।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (ख) में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (५) की पंक्ति ४ में शब्द 'दस प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'पांच प्रतिशत' रख दिया जाय और शब्द "जिसे परिषद् समय समय पर निश्चित करे" के स्थान पर शब्द "जिसे मंडी समिति अपने प्रस्ताव द्वारा निर्धारित करे" रख दिए जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता:—

प्रश्न यह है कि खंड ८ से २१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, १९७७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७२ का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अधिनियम, १९७७ कहा जायगा ।

(२) यह २० दिसम्बर, १९७६ से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीरेन्द्र सहाय—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं कि इसके द्वारा कृषक वर्ग की जो उपज होती है उसकी लूट न होने पाये उन उपायों को सोचा गया है लेकिन जो दोष रह गये हैं, मैं सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का सवाल है । जब विधेयक पारित हो रहा हो तो नियमों में इसका प्राविधान कहीं नहीं है उस पर विचार करने का अवसर दिया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

जिस समय करण का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसके विरोध में कोई भी बोल सकता है ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, दोष में यह बतला रहा था कि प्रदेश के कृषक की उपज जब मंडी में आये उस पर मंडी समिति शुल्क ले तो यह बात समझ में आती है लेकिन मंडी समिति में छोटे-छोटे व्यापारियों को भी शामिल कर लिया गया है जो दिल्ली से मसाले लाते हैं और बेचते हैं । जो फल बेचने वाले हैं अथवा मिर्च मसाले बेचने वाले हैं उनको २००, ३०० रुपये का लाइसेन्स लेना पड़ता है । सेल्स टैक्स तथा इनकम टैक्स के अलावा मंडी समिति को शुल्क देना पड़ता है । केला महाराष्ट्र से आता है, आम मदरास से आता है उस पर भी मंडी समिति ने शुल्क लगा दी है । मिर्च मसाले भी बाहर से आते हैं उनपर भी उसको शुल्क देना पड़ता है । मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं उन पर ध्यान दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, १९७७ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, १९७७

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेश में जो स्वायत्त सेवी संस्थायें हैं उनसे सम्बन्धित है और विधान परिषद् ने काफी विचार विमर्श करके एक प्रवर समिति को नियुक्ति किया था ।

उस प्रवर समिति में विचार हुआ तत्पश्चात् सर्वसम्मति से विधान परिषद् में संशोधन विधेयक पारित हुआ और अब इस सदन में यह संशोधन विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है । यह जो संशोधन विधेयक है यह बहुत निश्छल साफ और सीधा सादा है । इसमें केवल तीन संशोधन हैं । अभी तक नगर महापालिकाओं में, या नगरपालिकाओं में या टाउन एरिया कमेटी में जो सफाई मजदूर वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं उनके समूह से निर्वाचित प्रतिनिधि पहुंच ही नहीं पाते थे इसलिए काफी सोच विचार के बाद इस बात का प्राविधान किया जा रहा है कि सफाई मजदूर वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं जो सबसे निकृष्ट काम इस देश में

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---]

करते हैं दुर्भाग्य से जब इस वर्ग के लोग चुनाव में खड़े होते हैं तो चुन कर नगर महापालिका या नगरपालिका या टाउन एरिया कमेटी में पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए इस संशोधन के जरिए इस बात का प्राविधान किया गया है कि ऐसी नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं और टाउन एरिया कमेटीज में जहां पर जब चुनाव हो जाय और जन प्रतिनिधियों में यदि सफाई मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि न पहुंचे तो सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि ऐसी स्वायत्त सेवी संस्थाओं में इस वर्ग का एक प्रतिनिधि नामांकित करें। सफाई मजदूर वर्ग में जो स्पष्टीकरण है उसके द्वारा इस बात की कोशिश की गई है कि बाल्मीकी जाति के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सफाई मजदूर वर्ग का कार्य करते हैं तो नामांकन करने समय ऐसे लोगों के सम्बन्ध में भी सरकार विचार करेगी। मैं समझता हूं कि जो जनता पार्टी की घोषित नीति है और कांग्रेस पार्टी भी जिस बात का पूर्व नारा दिया करती थी, उन दोनों की बातों को यदि मिलाया जाय तो इस संशोधन के संबन्ध में किसी को तनिक भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस संशोधन को इस माननीय सदन में सर्व-सम्मति से स्वीकार करना चाहिए।

दूसरा संशोधन इस संदर्भ में है कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम में जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं आज जितनी भी नगरमहापालिकाय हैं सब की सब पिछली कांग्रेस सरकार की अवक्रमित की हुई हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद अवक्रमित हैं। यहां पर जनता द्वारा चुने ए प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं बल्कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक कार्य कर रहे हैं। पिछली नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ में जब डा० संपूर्णानंद मिनिस्ट्री थी, पारित हुआ था और १९५९-६० में पहली मर्तबा इस प्रदेश में महापलिका का गठन हुआ। उसमें इस बात का प्राविधान था कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि नगरमहापालिकाओं का अतिक्रमण कर देगी लेकिन इस अतिक्रमण की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात का स्पष्ट प्राविधान था कि यदि कोई नगर महापालिका अतिक्रमित होगी तो साल भर के अन्दर निश्चित रूप से राज्य सरकार को निर्वाचन कराना पड़ेगा और जनप्रतिनिधि वहां पर बैठाने पड़ेंगे। लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि कांग्रेस राज्य सरकार उसका पालन नहीं कर पाई और दुर्भाग्य से उस आदर्श अवधि को बदल कर धीरे धीरे एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और ४ वर्ष कर दिया और आज जो स्थिति है वह ५ वर्ष हो गयी है। इस संशोधन के द्वारा इस बात का प्राविधान किया जा रहा है कि मूल में जो आदर्श प्राविधान था उसको किया जाय क्योंकि जनता पार्टी जहां एक ओर विकेन्द्रीयकरण में विश्वास करती है वहां इस बात में भी विश्वास करती है कि स्वायत्त शासी संस्थाओं को केवल जनप्रतिनिधियों के जरिये से ही चलाया जाय और जनता के हित में कार्य हों। मैं समझता हूं कि यह संशोधन भी मूलतः जैसा कि १९५९ के नगर महापालिका विधेयक में प्राविधान था उसी प्रकार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से इसको भी स्वीकार किया जायगा।

तीसरा संशोधन इस संबन्ध में है कि पिछली जो विधान सभा में उत्तर प्रदेश महापालिका अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक प्रवर समिति बनाई गयी थी, उसके अध्यक्ष तत्कालीन स्वायत शासन मंत्री श्री जगदीश शरण अग्रवाल थे, उनके द्वारा उसमें संशोधन करके यह प्राविधान किया गया था कि जिस प्रकार से

जिला परिषदों में विधान सभा के सदस्य तथा विधान परिषद् के सदस्य होते हैं, उसी प्रकार नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं में भी इस माननीय सदन के सदस्य स्वयमेव हो जाएंगे। लेकिन उसमें प्राविधान इस बात का था कि विधान सभा और लोक सभा के सदस्य ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के सदस्य माने जाएंगे। इसके जरिए इस बात का प्राविधान किया जा रहा है कि जितने भी विधान सभा के सदस्य हैं और जितने भी राज्य सभा के सदस्य हैं, सब स्वयंमेव ऐसी नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के सदस्य हो जाएंगे। (व्यवधान) उसमें इस बात का प्राविधान है, यह आप देखें, इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है :

"(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के समस्त सदस्य होंगे जिनका निवास स्थान नगर में हो"। फिर यह समझ कर कि कोई ऐसा भी सदस्य हो सकता है, जिसका निवास स्थान नगर में न हो, तो इस संबन्ध में भी स्पष्टीकरण के अन्तर्गत स्पष्ट प्राविधान कर दिया गया है कि "स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनार्थ, राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान वही समझा जावेगा जो ऐसे सदस्य के, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो" तत्पश्चात् इसी का सब-क्लाज (४) है "यदि इस धारा के अधीन कोई भी सभासद--" खैर इससे इसका मतलब नहीं है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये जो तीन संशोधन हैं, वे जनतान्त्रिक प्रणाली के अनुकूल हैं और उनके संबन्ध में किसी का विरोध नहीं होना चाहिए और माननीय सदन से मेरा अनुरोध है कि जो ये संशोधन हैं, जो विधान परिषद् द्वारा पारित होकर यहां आए हैं, इन्हें ठीक उसी प्रकार यहां भी पारित किया जाए। एक बात और है यह जो अध्यादेश इसका आधार था, वह २२ जुलाई को समाप्त हो जायगा, यदि यह विधेयक आज पारित नहीं हो सका। इसलिए इस समय केवल प्रवर समिति के बारे में पुनः लूंगा, फिर उस पर विचार करूंगा।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, जो सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। मैं माननीय मालवीय जी की उन भावनाओं का जिनके तहत बाल्मीकि जाति के लोगों के प्रतिनिधित्व देने का और विधान मंडल के सदस्यों को इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं का सदस्य बनने का अवसर दिया स्वागत करता हूं। लेकिन आप जिसे प्रगतिशील समाजवादी विचारधारा के मंत्रि के जरिए इस प्रदेश की जनता अपेक्षा करती थी कि इससे बेहतर कोई विधेयक लाते जिससे इस बात की गारंटी होती कि कम से कम इस प्रदेश के अन्दर नगरों में निवास करने वाली जनता सफाई, पानी और बिजली की व्यवस्था से पूरे रूप से आश्वस्त हो जायगी। मान्यवर, नगरों में रहने का एक आकर्षण, नागरिक जीवन का सबसे पहला आकर्षण सफाई, पानी और बिजली है। और भी नागरिक सुविधायें हैं। लेकिन मैं प्रदेश के तमाम नगरों की स्थिति बता सकता हूं। अगर सर्वे कराया जाय और नगर में रहने वाले नागरिकों से पूछा जाय तो प्रदेश में एक भी नागरिक नहीं होगा जो

[श्री देव कुमार—]

कह सके कि हमारे नगर की व्यवस्था पूरी तरह से सही है । नगरों में गंदगी की जो समस्या है उसके लिए इस विधेयक में कोई प्राविधान होना चाहिए । यदि कोई नगर-पालिका नगरमहापालिका, स्वायत्त सेवा संस्था अपने क्षेत्र के अन्दर सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकती तो उस बोर्ड को सरकार द्वारा भंग किया जाना चाहिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यदि कोई नगरपालिका, नगरमहापालिका, स्वायत्तसेवी संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तो राज्य सरकार उसको भंग कर सकती है । यह व्यवस्था है ।

श्री देव कुमार—

इधर भी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने शासन चलाया है । तीस साल के अन्दर इस आधार पर मेरी जानकारी में कोई महा नगरपालिका या नगरमहापालिका नहीं है जिसको इस चार्ज पर भंग किया गया हो कि उसने नागरिकों के लिए पानी का प्रबन्ध नहीं किया, सफाई का प्रबन्ध नहीं किया । यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं । आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके सत्ता को जनता तक ले जाना चाहते हैं । आने वाले वर्षों में स्वायत्त सेवी संस्थाओं को महापालिकाओं को और अधिकार देने वाले हैं । लेकिन अगर उसी तरह चलते रहे, उन्हीं के रास्ते आप चलते रहे, जिस मकसद से आप इस विधेयक को ला रहे हैं, केवल कुछ लोगों को सदस्य बना देने से और जातियों को प्रतिनिधित्व देने से कम चलने वाला नहीं है ।

प्रदेश के अन्दर सीवर सिस्टम ठीक नहीं है । माननीय तिवारी के मुख्य मंत्रित्व काल में दिसम्बर के महीने में बांदा नगरपालिका में इतनी भयंकर गंदगी हो गयी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी नालियों का पानी लोगों के चुल्हों तक घुसने लगा । तब हमने मांग की हम को इस नरक से मुक्त कीजिये । हमने एक सफाई सेना गठित की, नालियों की सफाई करना शुरू की । तब आपने आदेश दिया स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को तब कुछ सफाई का इंतजाम हुआ । नालियों का पानी घरों से निकला । आज भी तमाम शहर के अन्दर इतनी भयकंर गंदगी है जिसमें इंसान किस तरह जिन्दा रहता है, यह कल्पना की जा सकती है । छोटे छोटे कस्बों में सुअर और इंसान साथ-साथ रहते हैं । मजबूरी है । आप सब करें । बांदा छोटा शहर है, वहां के एक डाक्टर ने कहा कि हर दस मरीजों में छः मरीज टी० बी० के देख रहा हूं । टी० बी०, मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, कहां से पैदा होता है ? यहां के नगरों में रहने वालों के शरीर में गंदगी के जरिये तमाम कीटाणु जिस्म के अन्दर जाते हैं ।

इस प्रदेश के बहुत से नौजवान लोगों को खूराक नहीं मिलती, शुद्ध पानी नहीं मिलता, शुद्ध हवा नहीं मिलती । चार रुपये किलो अरहर की दाल है, वह खा नहीं सकता । मालन्यूट्रीशन से मरने के लिए मजबूर हैं । उनको शुद्ध हवा और पानी नहीं दे सकते । इस लिए तमाम नौजवान अकाल मृत्यु, टी० बी० के मरीज होकर मर रहे हैं । इस भयंकर स्थिति को यदि युद्ध स्तर पर हल करने के लिए तयार नहीं तो इस विधेयक के जरिये इस प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं कर सकते ।

मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि बांदा नगर में जब माननीय नारायण दत्त जी की सरकार थी, तो उनका अभिनन्दन किया था । उन्होंने बांदा नगर में सफाई

के आदेश दिये थे। एक योजना चलायी गयी थी कि सीवर सिस्टम लागू किया जाये, मुझे नहीं मालूम कि इस योजना का क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर सीवर सिस्टम नहीं है, वहां पर उसको लागू किया जाये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सदन में एक बहुत अभिनन्दनीय कानून पास हुआ था जिसमें यह प्राविधान किया गया था कि इस प्रदेश के अन्दर किसी भी बाल्मीकि जाति के भाईयों को जो सफाई करते हैं, उनको सिर पर या कमर पर टोकरा ढोने से मना किया गया था और इस पर रोक लगायी गयी थी। इस अधिनियम के पास हुए इतने दिन हो गये लेकिन इस प्राविधान को अभी तक लागू नहीं किया गया है। बाल्मीकि भाई अभी भी टोकरा सर पर और कमर पर लाद कर ढोते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था कराई जाये जिससे उनको यह कार्य न करना पड़े। नगरपालिकाओं में ट्रैक्टर या ट्राली का इन्तजाम किया जाये तो उनको इस कार्य से छुटकारा मिल सकता है।

अब मान्यवर, मैं नगरपालिका की चुंगी की वसूली के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चुंगी वसूलने में बड़ी धांधली होती है। मैं अपने जनपद बांदा की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो दुकानों के सामने जमीन पड़ी रहती है, उस जमीन को इन्चों में नाप कर १० पैसा प्रति इन्च के हिसाब से चुंगी वसूल की जाती थी। इस कारण वहां पर बहुत से व्यापारियों ने जाना बन्द कर दिया है और लोगों को बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। जिस ढंग से हम विकास चाहते हैं वह विकास नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जो आमदनी है उसको सरकारी खजाने में जमा करावे।

मैं आपसे एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि यहां पर एक मुहल्ला घोसियाना है जो निशातगंज के पीछे है। वहां के इन्सान शहर में रहते हुए नरक का भोग कर रहे हैं। बताया गया है कि वहां पर एक मेन होल है जो बहुत दिनों से टूटा पड़ा है लेकिन उसकी ओर नगरमहापालिका का कोई ध्यान नहीं जाता है। वहां की सड़क भी कई जगह से टूट गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय देव कुमार जी आप अपना भाषण विषय के अन्दर रखें।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, मैं महसूस करता हूं कि मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। मेरा आग्रह है मंत्री जी से कि वे पानी और सफाई की व्यवस्था के लिए कोई प्रभावशाली इन्तजाम करें और उसके परिपालन के लिए कोई प्रभावशाली व्यवस्था करें। कुछ लोगों की सदस्यता बढ़ाने से प्रदेश का काम नहीं चलने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ का स्वागत करता हूं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इसके द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं में सफाई मजदूर वर्ग में से एक आदमी लिया जायगा। अगर उनका प्रतिनिधि होगा तो वहां पर काम करने वाले हमारी बात को मानेंगे।

[डा० बंगाली सिंह—]

सफाई का भी इस वर्ग का नेता होने के कारण अच्छा प्रबन्ध हो सकेगा । एक दिक्कत यह भी थी कि सफाई मजदूरों का कोई आदमी न होने के कारण हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पाती थी और न वे ही अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते थे । अब उसके सदस्य होने के कारण वे अपनी बात कह सकेंगे और हड़ताल भी नहीं कर सकेंगे ।

दूसरी बात यह है कि आपने जो नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज में विधान मंडल के आदमियों को रखा है, इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा और वह यह है कि नगरमहापालिकाओं या नगर पालिकाओं की समस्याएं शासन तक पहुंच सकेंगी और जो भी समस्यायें होंगी, जैसे पानी की कमी है, सफाई की समस्या है, उनका निराकरण हो सकेगा । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि बहुमत से इसको पास किया जाय ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो विधेयक माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि मैं इस विधेयक को सही मायने में स्वायत्तता से परिपूरित पाता हूं । मान्यवर, स्वायत्त शासन इस विभाग का नाम है लेकिन मेरी स्पष्ट धारणा है और यह आरोप भी है कि अभी तक पिछली सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने, नगरमहापालिकाओं और नगरपालिकाओं और टाउन एरिया कमेटीज को अपनी रखेल बना लिया था । इसमें १ वर्ष की अवधि थी जिसके अन्दर जनता के प्रतिनिधि अपने चुनाव करके आने चाहिए थे लेकिन इस कानून के बदलने के कारण ५ साल तक बढ़ाते हैं । १९७२ से लेकर १९७७ तक हर साल उसमें वृद्धि कर दी जाती थी । जो विधेयक यहां था उसमें था कि लगातार ५ साल से अधिक चुनाव नहीं कराये जायेंगे, अब उसको घटा कर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने एक वर्ष कर दिया है । मैं समझता हूं कि सत्ता से विकेन्द्रित करने का यह एक ठोस आधार है और एक बढ़िया नमूना है । इसके जरिए अब नगर महापालिकाओं, नगर पालिकाओं और टाउन एरियाज के स्वरूप को राज्य सरकार अपने मन के मुताबिक अफसरों के जरिए, जन प्रतिनिधियों से वंचित नहीं रख पायेगी, चाहे किसी भी दल की सरकार हो । इसके द्वारा आने वाली सरकारों के लिए, आने वाले दिन के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है । अभी तक यह होता था कि चुनाव न कराकर हर साल प्रशासक अपना काम करते थे, अफसरों की मनमानी चलती रहती थी, स्वायत्त शासी संस्थायें जनता के प्रतिनिधियों से वंचित रह जाती थी लेकिन इस विधेयक द्वारा अब यह प्रविधान कर दिया गया है कि १ वर्ष से ज्यादा कोई भी टाउन एरिया नगरपालिका या नगर महापालिकायें जनता के प्रतिनिधियों से वंचित नहीं रह पायेंगी । इस कारण से मैं इस विधेयक का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मांग करता हूं कि शहरों को विकसित करने के लिए इन स्वायत्त शासी संस्थाओं में चुनाव कराये जांय ?

इस विधेयक का जो एक और प्राविधान है, जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे, नगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं को कचरा-मट्टी की संज्ञा दिया करते थे । झाड़ू देकर के नगर को साफ करना यही उसका अर्थ होता है । आज पहली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बार जनता पार्टी की सरकार के जरिये से यह जो विधेयक आया है, यह उन गिरे हुए उपेक्षित लोगों को प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है जो अपनी आवाज को कह नहीं पाते थे। जब नगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं, टाउन एरिया कमेटी में उस तबके के लोग जो झाड़ू लगाकर सफाई किया करता है, जब बराबर कुर्सी पर बैठ कर बात करेंगे तो सही मानों में समता का वातावरण बनगा और सही माने में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होगा और जनतन्त्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

तीसरा प्राविधान जो मंत्री महोदय ने किया है, विधान परिषद् और राज्य सभा के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व देने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। यह बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि अपर हाउस में राज्य सभा और विधान सभा में विद्वान लोग चुने हुए जाते हैं जोकि विद्वता के आधार पर, गुण के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के सुझावों और प्रतिभाओं से मैं समझता हूं कि नगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं और टाउन एरिया कमेटियों को बहुत लाभ पहुंचेगा। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को भी समाप्त करना है। उसके लिए इस अधिनियम के स्वरूप को परिमार्जित और संशोधित करना होगा। क्योंकि पिछली सरकार ने हर मुहकमे में इतना ज्यादा खराब काम किया है, हर विभाग को इतना बढ़ा दिया है कि उसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मैं विश्वास रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप नगरमहापालिका और स्वायत शासन विभाग में ऐसा काम करेंगे जिससे भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, सफाई का काम होगा और नागरिकों को उचित नागरिक सुविधाएं मिलेंगी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि नगरों में आज की जो सबसे बड़ी समस्या पाखाने की, सिविर की समस्या है। कालोनी पर कालोनी और मकान बनते चले जा रहे हैं। कस्बों के रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले गरीब लोग इमारतों के बन जाने से जो कि पहले मैदान थे, पोखरे की शक्ल में थे अब वह खत्म हो गये हैं औरतों की हालत तो यह हो गयी है कि सूरज निकलने से पहले पाखाने चली जायं तो चली जाय, वरना उनको दिन भर जगह नहीं मिलती है, क्योंकि सड़क और मैदान कहीं नहीं है, इमारत पर इमारत बनती चली जा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या जो यह पाखाने की, वह बड़ी विकट है। ऐसी जो नारकीय व्यवस्था है कि पाखाने जाने तक की व्यवस्था नहीं रह गयी है, इस संबंध में जरूर ही कोई कदम उठाना पड़ेगा।

अब जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका एक उदाहरण मैं बनारस के जल-कल विभाग की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक शिवपूजन, जल-कल अभियन्ता हैं। वह जब से आये हैं, वे पूर्ववर्ती सरकार के लाड़ले अफसरों में से रहे हैं, तब से इनका काम केवल कनेक्शन काटना, धमकी देना, अपने परिवार के लोगों को नियुक्त करना और साफ तौर से पैसा लेना यह उनका आये दिन का काम हो गया है, एक बहुत बड़ी घटना बनारस में हो गयी। गदोलिया एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। वहां पर एक लम्बी सड़क है उसका एक बड़ा भाग कट गया पानी बढ़ने के कारण। उसकी जांच करायी जाय। जब से ये जल कल अभियन्ता आये हैं, बनारस में दो लाइन चलती रही हैं। लेकिन जब से मिश्रा जी आये हैं तब से लो लाइन और हाई लाइन, दोनों लाइनों को जोड़ दिया है और गदोलिया में भी ऐसा ही किया। पुरानी पाइप लाइन इतना प्रेशर सहन नहीं कर पायी और नतीजा यह हुआ कि विस्फोट हो गया और सड़क टूट गयी थी इसके बारे में पहले भी शिकायत की गयी थी। लेकिन ऐसा लगता था कि पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार ने दिमाग इतना ज्यादा खराब कर दिया था कि जनता के प्रतिनिधियों के सुझावों की कोई कीमत नहीं रह गयी थी। तो मैं साफ तौर पर

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार को इस तरह की अफसरों की तानाशाही और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहिये और उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्यवाई करनी चाहिये जिससे भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना जो सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो सके। इसी के साथ में इस बिल का समर्थन करते हुये यह मांग करूंगा कि यह पूरा सदन, बिना किसी विरोध के, इस विधेयक को पारित करे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरी दिक्कत यह हो रही है कि इतने तेज व्यक्ति शतरुद्ध जी के बारे में खड़ा हुआ हूं, हर बात में जनता पार्टी और कांग्रेस का नाम न लाऊं तो मेरी विवशता है। मैं इरादा यह रखता हूं कि इसको पार्टी का विषय न बना कर पहले मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। ४–५ बातें इसमें रखी गयी हैं। यह सचमुच प्रदेश की भलाई के लिये है, चाहे विचार कांग्रेस के रहे हों, चाहे आपके हों लेकिन अब आपको कार्यान्वित करना है। हर चीज में कांग्रेस को कोसते रहना कि ३० वर्ष तक आपने यह नहीं किया, तो क्या आप ३ वर्ष तक कोई काम करने वाले नहीं हैं? यह कथा कहानी अब भूल जाइये। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मिश्रा जी को बोलने दें। उसमें व्यवधान न करें।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा जो आपको ज्यादा अप्रिय लगे। जो सफाई मजदूरों का प्राविधान किया है मंत्री जी ने यह बहुत ठीक किया है। जो मजदूर नगरपालिकाओं में बैठे हुये हैं निश्चित रूप से वे जानते हैं कि वहां की समस्या क्या है और कैसे उसका सुधार हो सकता और उनके नाम पर किसी एक जाति को रख देने से जो गड़बड़ी होती थी उसको उन्होंने ठीक किया है। काम करने वालों को प्रतिनिधित्व देकर अच्छी बात की है। वैसे ही, जो १ वर्ष से ज्यादा नगरपालिकाओं को भंग किया जाता है मैं हमेशा इसका विरोधी रहा हूं। अभी माननीय मंत्री जी का वक्तव्य परसों अखबार में मैंने पढ़ा और कल इस सदन में भी आया कि ३० नवम्बर तक महापालिकाओं के चुनाव करा देना चाहते हैं। इसमें उद्देश्य और कारण के तीसरे कालम में लिखा हुआ है कि नगरपालिकाओं के प्रशासकों का वर्तमान कार्यकाल ३० नवम्बर, १९७७ को समाप्त हो जायगा। अतएव, यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य में नगर महापालिकाओं का निर्वाचन ३१ मार्च, १९७८ तक पूरा कर दिया जाय। अगर यह केवल एक औपचारिक बात है तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वाक्या ३० नवम्बर, १९७७ के बजाय मार्च, १९७८ तक चुनाव कराने का इरादा है तो जो माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया यहां और प्रेस कान्फ्रेन्स में और विधान परिषद् में उसको देखते हुये मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? कृपा कर के वह अपने उत्तर में इसका जवाब दें।

साथ ही साथ में इसका भी स्वागत करता हूं जो इसमें विधान सभा और राज्य सभा के सदस्यों को मनोनीत करने का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां करीब २१–२२ शहरों की आबादी केवल १४ फी-सदी है, बाकी आबादी देहात में है। इसका एक कारण है और वह यह है कि

शहरों में सुविधायें बहुत कम हैं । बड़े-बड़े शहरों को आप छोड़ दीजिये, मगर जहां छोटी-छोटी म्युनिसिपैल्टीज हैं, भदोही एक ऐसी छोटी कांसटीटूयन्सी है, मेरी नहीं है, जहां से ५० करोड़ से अधिक की मुद्रा अर्जित होती है । और भी ऐसी कई हैं जहां के सामान से आपको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । मंत्री जी तो पड़ोस में रहते हैं, गये होंगे, वह जगह नर्क से भी बदतर है । एक एक फिट के गड्ढे मिलेंगे । और वहां पर प्रति दिन २० विदेशी आते हैं । न सीवर है, न पानी का प्रबन्ध है, गन्दगी हद से ज्यादा है । तो ऐसी जगह जहां पर कि विदेशी लोग आते-जाते हैं, विदेशी मुद्रा आप कमाते हैं, वहां तो ध्यान दीजिये । हम मानते हैं कि हम फेल हो गये, आप पास हो गये, जीत गये, पर आपके जीतने से ही क्रान्ति नहीं हो गयी । क्रान्ति होगी तब जब आप कुछ काम भी करके दिखायेंगे ।

एक सदस्य--

खजाना खाली चाहे हो जाये ।

श्री श्यामधर मिश्र--

खजाने को भी भरिये । सरकार ही उसको भी भरेगी । खर्च कम कीजिये । श्रीमन्, इस प्रदेश में १० हजार आदमियों से ज्यादा का तबादला हो जायेगा, तो इस पर क्या लाखों रुपया खर्च नहीं होगा ? आप १० करते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी १० की जगह ४० कर देते हैं । आपकी योग्यता तो तब है जब आप कम पैसे में, इतने ही पैसे में, काम करके दिखायें । मुझे तो खुशी होगी यदि आप कुछ काम करके दिखायें । माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी खाली खड़े होकर यह कह दें कि कांग्रेस ने ३० वर्षों में कुछ नहीं किया, इससे खुशी नहीं होगी । आप जीते हैं, तो कुछ काम करके दिखाइये । तब सचमुच में क्रान्ति होगी ।

मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि यह विधेयक कोई बहुत बड़ा व्यापक विधेयक आयेगा जिसमें सभी आवश्यकताओं का समावेश उसमें होगा । टाउन एरियाओं की कैसे तरक्की होगी, आदि बातों को उसमें लाया जायेगा, मैं ऐसा समझता था । हम समझते थे कि म्युनिसिपैल्टी ऐक्ट में कुछ स्वच्छ ऐसा प्राविधान होगा जिससे जनता द्वारा मांग करने पर टाउन एरिया हो, उस पर शीघ्र विचार हो सकेगा । मगर ऐसा कोई मापदण्ड नहीं दिखाई देता जिससे तुरन्त आज्ञा हो सके । मैं क्यों कह रहा हूं, यह सुन लीजिए । इलाहाबाद के पड़ोस में जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं, उनके पड़ोस में ३-४ टाउन एरिया का सवाल ३-४ वर्ष से पेंडिंग है । पता नहीं क्या मापदण्ड है । माधव तथा सुरियावां ऐसा स्थान है जहां से ३-४ करोड़ निर्यात होता है ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सुरियावां बनारस जिले में है ।

(व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)--

आपके बगल में जो बैठते हैं, उनसे आपने नहीं पूछा ?

श्री श्यामधर मिश्र--

तो श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और एक शब्द की ताईद करके मैं बैठ जाऊंगा । गोदौलिया के सम्बन्ध में माननीय शत्रु-

[श्री श्याम धर मिश्र]—

रुद्ध प्रकाश जी ने जिक्र किया। मान्यवर, जब गोदौलिया का कान्ड हुआ तो उस समय में वहां पर था। ४० फिट जमीन धंस गई। मुझे मालूम हुआ कि ८ दिन पहले ८ बस्ती के लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी बन्द हो गया है, लेकिन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने ख्याल नहीं किया। नीचे से पाइप बर्स्ट हो गया। नतीजा यह हुआ कि ४० फिट धरती धंस गयी। कोई मरा नहीं। अगर आदमी चलते होते, तो १०-२० आदमी मरते। मान्यवर, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ९ सवा ९ करोड़ आबादी में तकरीबन ६-७ करोड़ की आबादी का रोटी, कपड़ा और मकान का सवाल आता है। मान्यवर, मकान का सवाल जब आता है तो सबसे पहले उसकी सफाई, पानी का प्रबन्ध, उसके पास सड़कें हैं कि नहीं, वहां की फिजा कैसी है, यह सब सवाल आता है। मान्यवर, जहां हमारे इस शासन का संशोधन आया है, वहां हमारा ताल्लुक जुड़ जाता है। मान्यवर, मुझे यह कहना है कि जब हमारे दूसरे पक्ष के लोग बोलते हैं और वे अपने ही बारे में कुछ कहते हैं, तो मुझे हंसी आती है। मैं इन तीनों संशोधनों का खुले दिल से हिमायत करता हूं। यह बहुत बड़ा इन्कलाबी कदम है। यह पहला मौका है, जब पेशे के लिहाज से नामिनेशन की बात आई। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि तरमीम के लिए कि शहरी जिन्दगी और बीच के कस्बात की जिन्दगी, इनके तालुकात महापालिका और नगरपालिकाओं से हैं। उनके जो अख्तियारात हैं, दरअसल में कहना चाहता हूं कि पिछली महापालिकाओं में जो इंतखाबात नहीं हुये उसका कारण था कि डर और खोफ फरमाया था इसीलिये एडमिनिस्ट्रेटर लोग नियुक्त थे नुमाइंदगी जो होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। लोग अपनी बात न कह सकें इसीलिये वह रास्ता अख्तियार किया गया और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये थे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नगर पालिकायें नरक पालिकायें बन गई थीं। कोई सफाई नहीं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। किसी तरह की सड़क की व्यवस्था नहीं। इसके अलावा अगर कोई आदमी गुजर आये तो बगैर पेट दर्द लिये गुजर नहीं सकता जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा. तो वह अपने बारे में कह रहे थे कि ऐसा हुआ। तो यह हालत थी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो दूसरी तरमीम आई है जिसमें विधान परिषद् और लोक सभा के मेंबरों को शामिल करने की बात कही गई है उसमें एक बात समझ में नहीं आई। जिसको हमारे मन्त्री महोदय बतायें। कोई आदमी कहीं रहता है और उसने दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ा और चुनकर आ जाता है, तो रहा कहां और चुना कहां गया तो इसके लिये क्या व्यवस्था होनी चाहिये। या हल्केदार, विधान परिषद् या लोक सभा मेम्बर को किस तरह से जिले में लिया जायगा इस बात की सफाई या वजूहात इसमें होने चाहिये थे। जहां तक पानी, सफाई और सड़कों का ताल्लुक है तो मैं फतेहपुर की बात कहना चाहता हूं। यह गंगा जी और जमुना जी के बीच में बसा हुआ है वहां ३-४ महीने से मैंने देखा तो ऐसा मालूम होता है कि फतेहपुर में पीने के पानी की इतनी परेशानी है कि जिसका बयान मुश्किल है। अभी हमारे विरोधी दल के नेता जो कभी चीफ मिनिस्टर थे वह चुनाव से पहले वहां गये।

थे और यहां पर सब कैबिनेट मीटिंग हुई थी । ढाई करोड़ रुपया मंजूर किया गया था । नगर में टंकी के लिए ४ लाख रुपया, इसके अतिरिक्त ढाई लाख बिन्दकी के विद्यालय के भवन के लिए कहा गया गया था । वह भी अभी तक नहीं दिया गया । १० लाख सड़क के लिए इस तरह से मंजूर किया गया था । आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि एक पसा भी नहीं दिया गया और अगर दिया गया तो वह खर्च नहीं हुआ ।

एक सदस्य--

आप करें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

वह सब कुछ होगा । नहीं होगा तो जैसे आप कह रहे हैं वैसे हम कहेंगे । लेकिन हमको कहने का मौका नहीं आयेगा । यह सब कुछ होगा । मैं चाहूंगा कि कोई टिप्पणी न करें । वरना मैं टिप्पणी करना शुरू करूंगा तो आप बात नहीं कर सकेंगे ।

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो मुहकमें में व्यवस्था हैं लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नगर पालिकाओं में होता है इसमें कोई दो राय नहीं हैं । दरअसल इन पालिकाओं में जो लोग आज मौजूद हैं और काम नहीं हो रहा है, तो आपने लोक सभा बदली, विधान सभा बदली लेकिन वह लोग अभी वहीं मौजूद हैं जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और वहीं बैठे हैं ।

मैं मुबारक बाद देता हूं कि अब एक साल से ज्यादा के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं होंगे । यह एक अच्छा कदम है । इससे बड़ा फायदा पहुंचेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गुफरान जी समय समाप्त हुआ ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

२ मिनट में समाप्त कर रहा हूं । वैसे आज मुझे बोलने का पहला मौका मिला है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए । हमारे मंत्री जो जिस वर्ग से आए हैं और जिस अंदाज से काम कर रहें हैं, तो जो अफसर हैं, सब अफसरों को तो मैं खराब नहीं कह सकता हूं, कुछ अफसर जरूर भ्रष्टाचारी हैं ।

मान्यवर, फतेहपुर में पीने का पानी नहीं है । वहां जल निगम की व्यवस्था ठीक नहीं है । इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि वहां ३० दिन या ६० दिन एक निश्चित समय में पानी की व्यवस्था करें वरना जल मार्च होगा । नगर पालिकाओं में या और कहीं जहां भी अच्छे अधिकारियों को सुपरसीड करके जो लोग ऊपर पहुंच गय हैं उनकी मान्यवर, जांच होनी चाहिए । जो आप एलान करते हैं उसमें यदि कोई बाधा आती है तो वह तो आती ही रहेंगी । मैं मंत्री जी के तीनों संशोधन की हिमायत करते हुए कहना चाहता हूं कि वह अपने उन अधिकारियों से नगर पालिकाओं को बचाएं जिन्होंने नगर पालिका को नरक पालिका बना रखा है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक सदस्य महोदय बाहरी व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, श्री देव कुमार यादव, श्री फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री जयराम तथा श्री रियासत हुसैन द्वारा विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात जो कही है मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, रियासत हुसैन जी हमारे पुराने मित्र हैं और मैं यहां बहुत नया हूं काफी देर से मैं देख रहा हूं कि कितने ही विधि के यहां पंडित बैठे हैं। उनमें रोजाना रियासत हुसैन जी के संशोधन आते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल अपने कर्त्तव्यों से बाहर जाने के लिए हर संशोधन को प्रवर समिति में देने की बात उठाते हैं। तो मान्यवर, कोई चीज उस समय प्रवर समिति में दी जाती है जबकि विधि की गम्भीर बात विचार करने की आवश्यकता हो। मान्यवर, विरोधी दल का भी बहुत बड़ा काम विधि के निर्माण में होता है। हमारा काम तो विधि का निर्माण करना है ही। अच्छा होता हमारे साथी हर अध्याय में हर क्लाज में कोई न कोई संशोधन पेश करते। नौकरशाही हर चीज में कुछ कमी छोड़ देती है। इसलिए हर साल संशोधन करने होते हैं। यदि ऐसा न होता तो संशोधन न करने पड़ते। इसलिए रियासत हुसैन जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह हम जैसे कम ज्ञानी लोगों को अपने ज्ञान से फायदा दें और इस विधेयक को प्रवर समिति में न जाने दें।

मान्यवर, दूसरी बात इस बिल से सभी साथियों को प्रसन्नता है। इस प्रदेश में एक नीति है। किसी नगर में पूंजीपति रहते हैं तो वह उस नगर को नगरपालिका में नहीं लाने देना चाहते हैं। इसका कारण है कि नगरपालिका न होने से उनका दो नम्बर का माल बिना रोक-टोक आता जाता रहता है। यदि नगरपालिका हो गयी तो उसकी जानकारी सरकार को हो जायेगी। इसलिये वह नगरपालिका नहीं बनने देना चाहते हैं। मान्यवर, मोदी नगर में नगरपालिका बनने जा रही थी लेकिन उसमें कटौती हो गयी है। यदि जांच की जाय तो आश्चर्यजनक बातें सामने आयेंगी। मोदी नगरपालिका बनाने की बात सरकार ने मान ली थी लेकिन मोदी साहब का प्रभाव पड़ा तो वहां नगरपालिका न बनाकर मुरादनगर में नगरपालिका बना दी गयी। इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि सारे प्रदेश में जांच करवायें कि कौन जनपद ऐसा है जहां १५ हजार से ज्यादा आबादी है और वहां नगरपालिका बनवायें। जहां का मैं विधायक हूं वह मोदी नगर क्षेत्र है। वहां ६० हजार की आबादी है लेकिन नगरपालिका न होने से जनता बड़ी दुखी है। कोई सड़क नहीं बन सकती टाउन एरिया में, नोटीफाइड एरिया में, वहां बिजली नहीं लग सकती, पानी का प्रबन्ध नहीं हो सकता। मुझे याद पड़ता है कि चौधरी चरण सिंह जब स्वायत्त शासन मंत्री थे तब फाइल चली थी लेकिन तब से सारे निवेदनों के बावजूद आज तक वहां नगरपालिका नहीं बन पायी।

अब भाई मालवीय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे प्रदेश की नीति में परिवर्तन करें। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसमें शासन का अधिकार तो उन पर होना चाहिए लेकिन पूरी तरह शासन के अधिकार में जब नगरपालिकाएं रहती हैं तो स्वयं अपनी नीति नहीं बना पाती। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहां संजय गांधी आने वाले थे। बड़ौत का इंस्पेक्शन हाउस था। नगर-पालिका को पाइप लाइन बिछाने और एयर कंडीशन करने का आदेश हुआ। नगरपालिका के पास पैसा नहीं था तो शासन से कर्जा लेना पड़ा और पांच मिनट के लिए कुछ व्यक्तियों के ठहरने के लिए ३० हजार खर्च करना पड़ा। इसलिए शासन इस तरह से हस्तक्षेप न करे। हां अगर सफाई न हो तो उसमें हस्तक्षेप करें, भ्रष्टाचार को रोकें। हमारे विचार से तभी देश और प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन हो सकेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय ...

एक सदस्य---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कुछ लोग आए हैं उनको भी आप अवसर दें।

श्री अधिष्ठाता---

देव बहादुर सिंह खड़े हुए थे, उनको अवसर दिया। आप खड़े होते, तो आपको देता।

श्री देव बहादुर सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। जो भी संशोधन पेश किए गए हैं मैं उनका तहेदिल से समर्थन करता हूं इसमें सफाई मजदूरों को जो शहरों में रहते हैं प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी है। दूसरी मुख्य बात यह है कि जो माननीय सदस्य राज्य सभा के हैं उनका भी नामांकन किया जा सकेगा। तीसरा संशोधन है कार्यकाल बढ़ाने का। इन तीनों संशोधनों का मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जहां पर सफाई कर्मचारी रहते हैं हर शहर में निश्चित रूप से उनके रहने की व्यवस्था की जाय। शुरू-शुरू में जो हरिजन कालोनीज बनी थी वह पुरानी बात हो गयी। लेकिन धीरे-धीरे शहर बढ़ते गये। नये टाउन एरिया बने, नई नोटोफाइड एरिया बनी जहां कोई आवास की व्यवस्था इनके लिए नहीं की गयी। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायों को जो अनुदान आप देते हैं उसका एक अंश सफाई कर्मचारियों के आवास निर्माण पर खर्च हो। दूसरे यह है कि जहां यह लोग बसे हुए हैं वहां पर सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था की जाय। वह लोग जहां रहते हैं वहीं उनके जानवर जैसे सूअर आदि रहते हैं। मेरा यह सुझाव है कि उनके लिए छोटे-छोटे बाड़े बनाये जायं। तीसरी बात यह है कि ग्रामीण अंचलों में तो आवास स्थल आपने इनको आवंटित किये लेकिन शहरों में जो मजदूर बसते हैं उनको भी भूमि आवंटित की जाय। आवासीय स्थल का आवंटन किया जाय। शहरों की चार प्रकार की व्यवस्था म्युनिसिपल बोर्ड करती थी, शिक्षा, विद्युत्, पानी और नालियों की व्यवस्था। विद्युत् परिषद् को जब से विद्युत् की व्यवस्था सौंपी गयी तब से व्यवस्था बिगड़ गयी है। यह काम उसको इसलिए दिया गया था कि अच्छा काम होगा लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बल्ब खराब हो जाय, कनेक्शन टूट जाय, तो उसे बनाने के लिए पहले तो नगर पालिका के कर्मचारी

[श्री देव बहादुर सिंह]--

इसके लिए नियुक्त होते थे और अविलम्ब ठीक कर देते थे । लेकिन वह काम अब नहीं हो पा रहा है । पेय जल की व्यवस्था शहर में जल संस्थान और जल निगम करती है लेकिन इनमें समन्वय नहीं है जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था शहर में बहुत खराब हो गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करें ।

जल संस्थान और जल निगम में आपस में समन्वय हो । यदि कोई पानी की व्यवस्था के बारे में जल संस्थान के पास जाता है तो वह उसे जल निगम के पास भेज देते हैं और निगम वाले संस्थान के पास भेज देते हैं । शिक्षा के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था स्थानीय निकायों के माध्यम से होती थी। लेकिन जब से शिक्षा परिषद् के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था होने लगी शहरों में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें न श्याम-पट है और न कोई न कोई सामान ही उपलब्ध है जो पढ़ने के लिए आवश्यक है ।

इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी भी जो सुझाव दिये गये हैं उन पर गौर करेंगे और उन्हें कार्यान्वित करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री . . .

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय मैं बार-बार समय मांग रहा हूं । कृपया मुझे भी पांच-सात मिनट बोलने दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिए दो बजे का समय निश्चित था जो समाप्त हो गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

आपने हमें समय नहीं दिया । मैं इसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

स्वायत्त शासन मंत्री. . .

(इस समय ३ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन हुए ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं । यहां महात्मा गांधी के स्वप्न को पहली बार इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के साथ पूरा किया जा रहा है कि सफाई श्रमिकों का एक प्रतिनिधि इन संस्थाओं में नाम निर्देशित करने का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सफाई के सम्बन्ध में जो. . .।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी है कि स्वायत्त शासन मंत्री बोले । मेरे विचार से यह परिपाटी अच्छी नहीं है कि एक बार चेयर की रूलिंग हो जाने के बाद मेरे साथी बोलें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें । अधिष्ठाता मेरे पहले स्वायत्त शासन मंत्री को बुला चुके थे और इसके लिए जो समय निर्धारित था, वह भी हो गया ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये हैं और उन सब सुझावों का मैं स्वागत करता हूं । साथ-साथ माननीय श्याम धर जी मिश्र तथा माननीय खान गुफरान जाहिदी ने कुछ स्पष्टीकरण की भी मांग की थी । श्री श्याम धर मिश्र जी का कहना था कि जब शासन की ओर से इस बात की घोषणा कर दी गयी थी कि ३० नवम्बर, १९७७ तक इस प्रदेश में स्वायत्त सेवी संस्थाओं को जन प्रतिनिधि के चुनाव के पश्चात् दे दिया जायगा तो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण के अनुच्छेद ३ में इस बात को क्यों लिखा गया है कि नगर महापालिकाओं का निर्वाचन ३१ मार्च, १९७८ तक पूरा कर दिया जाय । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मंत्रिमंडल ने ४, ५ दिन पूर्व इस बात का निर्णय लिया था कि इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण हैं वे मंत्रिमंडल के निर्णय के पूर्व के हैं । दूसरे ३१ मार्च, १९७८ की तिथि दी गयी है इसका आशय यह है कि जो यह अन्तिम तिथि है इसके पूर्व ही चुनाव हो जायेंगे लेकिन जैसा मैं शुरू में स्पष्ट कर चुका हूं राज्य सरकार कटिबद्ध है ३० नवम्बर, १९७७ तक जो स्वायत्त सेवी संस्थायें हैं उनके चुनाव करा दिये जायं और जन प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठापित कर दिया जाय । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया था कि विधान परिषद् या राज्य सभा के सदस्य किस प्रकार से महापालिका या नगरपालिकाओं के सदस्य होंगे तो आप धारा ५ को देखें । उसमें आप पायेंगे कि इस बात का स्पष्ट प्राविधान कर दिया गया है ।

इसी प्रकार जहां पर नगरपालिका अधिनियम में इसका विवरण है, वहीं इस का प्राविधान किया गया है । मान लीजिए कोई लोकल अथारिटी कांस्टीट्युएंसी होती है जैसे इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा तथा हमीरपुर लोकल अथारिटी से कांस्टीयुएंसी से एक-एक सदस्य चुन कर आते हैं तो इलाहाबाद नगरपालिका, फतेहपुर नगरपालिका, बांदा नगरपालिका तथा हमीरपुर नगरपालिका इन चारों के ये माननीय सदस्य सदस्य नहीं होंगे । यह अधिकार उनके हाथ में दे दिया गया है कि एक के सम्बन्ध में वह लिख कर राज्य सरकार को भेज दें, वही उसका सदस्य समझा जायगा । शतरुद्ध प्रकाश जी ने बनारस के किसी महापालिका अधिकारी के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है गुदौलिया में सड़क धंस गयी । मैं उनको यह विश्वास दिला सकता हूं कि किसी भी अधिकारी ने, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, यदि अपना कर्त्तव्य पालन करने में ढिलाई बरती है तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही उस अधिकारी के विरुद्ध की जायगी और तनिक भी ढिलाई नहीं की जायगी । श्री देव बहादुर जी ने भी जो सुझाव दिये हैं वे भी मूल्यवान हैं । सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है जैसा शुरू में निवेदन किया था यदि यह विधेयक आज पारित नहीं होता है तो अध्यादेश स्वयमेव समाप्त हो जायगा । इसलिए माननीय सदस्यों ने जो यह सुझाव रखा है कि प्रवर समिति गठित की जाय तो मेरा अपने माननीय मित्रों के यह निवेदन है कि मैंने उनके सुझावों का स्वागत करते हुए स्पष्ट घोषणा कर

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

दी है और उसके मद्देनजर वह अपने सदस्यों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है प्रस्ताव को वापस ले लेंगे जैसी कि सदन के सर्वसम्मति से इस विधेयक को वह पारित होने देंगे ।

श्री देव कुमार--

यदि माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि महापालिकाओं की गंदगी वह युद्ध स्तर पर मिटाने की कोशिश करेंगे तो मैं इसे वापस लेने पर विचार करूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह आश्वासन तो स्वयमेव है । आश्वासन न भी दे तो भी सरकार से इस बात की अपेक्षा की जानी चाहिये । राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कटिबद्ध है कि इस दुर्व्यवस्था को समाप्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप वापस लेंगे ?

श्री देव कुमार--

वह हो नहीं रही है । चूंकि मालवीय जी, स्वायत्त शासन मंत्री जी कह रहे हैं, इसलिए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि श्री देव कुमार यादव तथा श्री फजलुर रहमान अंसारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ)

श्री अध्यक्ष--

चूंकि विधेयक के खंडों पर कोई भी संशोधन नहीं है इसलिए मैं एक साथ प्रस्तुत करता हूं ।

खंड २ से ८

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ६ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ६ में :---

(i) उपधारा (१) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के समस्त सदस्य होंगे, जिनका निवास स्थान नगर में हो ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनार्थ, राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान वहीं समझा जायेगा जो ऐसे सदस्य के, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो ।"

(ii) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(४) यदि इस धारा के अधीन कोई भी सभासद या विशिष्ट सदस्य सफाई मजदूर वर्ग का न हो, तो राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को सभासद नाम निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त महापालिका की सदस्य संख्या में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा ।

(५) यदि स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान परिषद के किसी सदस्य का निवास स्थान किसी नगर में न हो तो, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी एक नगर महापालिका का, जिसका वह वरण करे, पदेन सदस्य समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर वर्ग का समझा जायेगा यदि वह उप जीविका से ऐसे सफाई मजदूर वर्ग का हो या परम्परा से ऐसी उप जीविका करने वाली अनुसूचित जाति का हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे ।"

धारा ८—क का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ८—क में, उपधारा (२) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

अध्याय तीन

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९१६ की धारा ९ का संशोधन

४—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ९ में :—

(i) खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के समस्त सदस्य होंगे जिनका निवास स्थान नगर क्षेत्र में हों ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनार्थ, राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान वहीं समझा जायेगा जो ऐसे सदस्य के, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो ।"

(ii) प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित अग्रेतर प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्थानीय प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान परिषद के किसी सदस्य का निवास स्थान किसी म्युनिसिपैलिटी में न हो, तो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी एक नगरपालिका का, जिसका वह वरण करे, पदेन सदस्य समझा जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि खंड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई सफाई मजदूर वर्ग का न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को बोर्ड का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा ।

स्पष्टीकरण--किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर वर्ग का समझा जायेगा यदि वह उपजीविका से ऐसे सफाई मजदूर वर्ग का हो या परम्परा से ऐसी उप जीविका करने वाली अनुसूचित जाति का हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे ।"

धारा ३३८ का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा ३३८ में, उपधारा (२) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित अग्रेतर प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई सफाई मजदूर वर्ग का न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को नोटिफाइड एरिया कमेटी का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त कमेटी की रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा ।

स्पष्टीकरण--किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर वर्ग का समझा जायेगा, यदि वह उप जीविका से ऐसे सफाई मजदूर वर्ग का हो या परम्परा से ऐसी उप जीविका करने वाली अनुसूचित जाति का हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे ।"

अध्याय चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९१४ की धारा ५ का संशोधन

६--संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ की धारा ५ में उपधारा (२) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित अग्रेतर प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि खंड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई सफाई मजदूर वर्ग का न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को कमेटी का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और तदुपरान्त कमेटी की रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा ।

स्पष्टीकरण--किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर वर्ग का समझा जायगा, यदि वह उप जीविका से ऐसे मजदूर वर्ग का हो या परम्परा से ऐसी उप जीविका करने वाली अनुसूचित जाति का हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करें ।"

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

७--धारा ३ द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८-क के संशोधन के होते हुए भी, समस्त नगर महापालिकाओं का निर्वाचन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ३१ मार्च, १९७८ तक होगा। संक्रमण-कालीन उपबन्ध

उ० प्र० अध्यादेश सं० १०, १९७७ ८--(१) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित मूल अधिनियमों के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उपबन्ध के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन मूल अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७ तथा ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड-१, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन)

विधेयक, १९७७

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७७ कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(२) यह २७ अप्रैल, १९७७ से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७

*शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के कार्यान्वयन में समय-समय पर कुछ कठिनाइयां आती गईं साथ ही साथ उच्च न्यायालय के निर्णय से भी नियमों के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाईयां आईं जिसके कारण उन नियमों में संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी है। इस विधेयक के माध्यम से जो खास-खास संशोधन किये गये हैं उसमें प्रमुख यह है कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की उच्च कार्य परिषद करती रही हैं जब यह विधेयक बना है उस समय केवल आगरा विश्वविद्यालय को छोड़ कर संबद्ध विश्वविद्यालय नहीं थे । अब जो नये विश्वविद्यालय जैसे रुहेलखंड, बुंदेलखंड कानपुर आदि बने हैं चूंकि इनमें अध्ययन और अध्यापन कार्य नहीं होता है इसलिए प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर आदि इन विश्वविद्यालयों में नहीं हैं । तो कार्य परिषद में उनका प्रतिनिधित्व पुरानी पद्धति के अनुसार नहीं होता है इस लिए नये नियमों में इसकी व्यवस्था की गई है कि इनसे संबद्ध महाविद्यालयों और विद्यालयों के प्राचार्य प्राध्यापक में से कार्य परिषद में चुनने की व्यवस्था की जाय ।

दूसरा जो बड़ा संशोधन यह किया गया है कि होता यह रहा है कि महाविद्यालयों के प्रबंधक कि जो प्राध्यापक की सेवायें समाप्त कर देते थे या निलम्बित कर देते थे उसके लिए कुलपति की आज्ञा नहीं लेते थे और अध्यापकों को निलम्बन का वेतन नहीं मिलता था । परिणाम यह होता है कि केवल न्यायालय के अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता, जहां जाकर वे अपनी मांग कर सकें और न्यायालय की कार्यवाई बहुत विलम्ब और खर्च के साथ होती है, जिससे अध्यापकों की परेशानियां बढ़ जाती हैं । इसलिए अब कुलपति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य परिषद के अनुमोदन को स्वीकार नहीं करते हैं, सेवा से हटाये गये हैं या निलम्बित किये गये हैं, तो उनके निलम्बन अवधि का भत्ता या वेतन दिलाने का पूरा-पूरा अधिकार कुलपति को है। उसे इस संबंध में प्रबन्धतन्त्र को निदेश देने का पूर्ण अधिकार होगा और ऐसे निदेश का पालन सिविल डिक्री की भांति करने के लिए वह जिलाधिकारी से वसूल कराकर दिलायेगा।

विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों के चुनाव में भी कुछ दिक्कतें आती रही हैं, तो उसमें भी आवश्यक सुधार किया गया है। विश्वविद्यालय में जगह अस्थायी रूप से खाली है, उस पर किसी अध्यापक का चयन हो गया, किन्तु बाद में कार्य परिषद ने उसे हटा दिया, तो वह दूसरा चयन करता है। किन्तु इसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि स्थायी होते हुए भी किसी का यदि चुनाव हो जाता है और बाद में वह स्थायी हो जाता है तो उसी चयन को आगे मान लिया जाय, फिर आगे नया चयन करने की आवश्यकता न पड़े।

विश्वविद्यालयों के कुलपति परीक्षाओं का उत्तरदायित्व अब तक अपने ऊपर नहीं लेते रहे हैं, केवल विश्वविद्यालय के कुल सचिव, उप कुल सचिव या सहायक सचिव के ऊपर ही इसकी सारी जिम्मेदारी छोड़ देते थे। किन्तु अब इसके माध्यम से यह नियम बना दिया गया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का सारा उत्तरदायित्व, कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव के सहयोग से कुलपति को ही होगा। उसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समय पर और नियमित रूप से परीक्षायें कराए। समय पर परीक्षाफल घोषित करने, समय पर सत्र प्रारम्भ करने और समय पर समाप्त करने आदि की सारी जिम्मेदारी इस विधेयक के माध्यम से कुलपति की है। साथ ही साथ कुल सचिवों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण कर दिया गया है। जिससे एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में उनके ट्रांसफर होते रहते हैं। अब तक दिक्कत यह थी कि यदि एक विश्वविद्यालय में उनके खिलाफ कार्यवाई हो रही है और उसी अवधि में उनका स्थानान्तरण किसी दूसरे विश्वविद्यालय में हो जाता है, तो पुराने नियमों के हिसाब से नये विश्वविद्यालय या दूसरे विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं था कि वह उसके केस के संबंध में पुराने विश्वविद्यालय के कार्य को देखे। अब इसके द्वारा इस दिक्कत को दूर कर व्यवस्था यह कर दी गयी है कि दूसरा विश्वविद्यालय भी उसकी पत्रावली आदि मंगाकर आगे की कार्यवाई करेगा।

एक बात और सामने आई, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासन सम्बन्धी सजा दी गई, तो इस पर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देते हुए यह कहा कि परीक्षा समिति को जितनी अवधि है, वह केवल उतनी ही अवधि के लिए दण्ड दे सकता है, इसके आगे के लिए नहीं। तो इस नियम में भी परिवर्तन किया गया है और यह रखा गया है कि परीक्षा समिति को अधिकार है कि वह अपराध की स्थिति को देखते हुए, वह जितने दिनों की चाहे, सजा दे सकता है, उसको माना जाएगा। इस संबंध में समिति की कोई बाध्यता नहीं होगी।

विश्वविद्यालय और खासकर महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के सामने दिक्कत आती रही है, प्रबन्ध समिति ने उनका चयन कर लिया, अब उसे एक महीने की अवधि के अन्दर कुलपति के यहां अनुमोदन के लिए चला जाना चाहिये और कुलपति को अनुमोदन दे देना चाहिये या यदि अनुमोदन नहीं देता है, निरानुमोदन करता है, अनुमोदन नहीं करता है तो कारण लिख कर लौटा देना चाहिये। अगर कुलपति ऐसा नहीं करता तो यह मान लिया जायगा कि उस प्राध्यापक का नियमित चयन हो गया। फिर आगे कुलाधिपति के यहां भेज दिया जायगा। विश्वविद्यालय में

[श्री काली चरन]

ऐसा है कि चयन समितियों के चुनाव की कार्य परिषदों द्वारा विलम्ब करने के कारण कुलपति के यहां नहीं भेजा जाता, उसके लिए भी व्यवस्था है कि कुलपति एक महीने के अन्दर अनुमोदन नहीं करता है तो चार महीने का समय कुलाधिपति के लिए दिया गया है, वह कर देंगे। किसी भी प्राध्यापक की नियुक्ति नियमित होने में ऐसी अड़चन नहीं आ पायेगी जिससे उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके।

इसके अतिरिक्त विधेयक में थोड़ा सा परिवर्तन बेसिक शिक्षा अधिनियम और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में पेश किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद बनने से पहले बेसिक शिक्षा स्थानीय निकायों के अधीन थी चाहे जिला परिषद हो, म्यूनिसिपल बोर्ड हो, या नगरपालिका हो। जब स्थानान्तरण हुआ, तो बहुत से विद्यालय ऐसे चलते थे जो किराये के भवनों में चलते थे। उनका अनुबन्ध स्थानीय निकायों के साथ था। जब बेसिक शिक्षा परिषद हस्तान्तरण के बाद आयी, तो लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने भवन किराये पर नगरपालिका, नगर-महापालिका को दिये थे या टाउन एरिया को दिये थे, बेसिक शिक्षा परिषद को नहीं दिये थे। इस लिए भवन वापस कर दिया जाय। ऐसे मामले भी आने लगे। स विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि जितनी चीजें बेसिक शिक्षा परिषद को स्थानान्तरित कर दी गयी थीं और भवन का अनुबन्ध बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा माना जायगा। उस पर नहीं कह सकते कि नगरपालिका को भवन दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। अध्यापकों की नियुक्ति का नया तरीका बनाया गया था। मगर लागू नहीं हो पाया था। अध्यापकों की कमी थी। पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही थी। सरकार ने एक आदेश दिया कि तदर्थ नियुक्तियां कर लें। विद्यालयों में तदर्थ नियुक्तियां कर ली गयीं। बाद में नियमित नियुक्तियां होने लगीं। बहुत से विद्यालयों में अध्यापक तदर्थ रूप से कार्य करते थे उनके लिए यह नियम बना दिया कि १ अगस्त, १९७५ और ३० सितम्बर, १९७६ तक जितने अध्यापक तदर्थ रूप से नियुक्त हुए थे, उन नियुक्तियों को नियमित मान लिया जाय। पुनः चयन की वहां आवश्यकता नहीं है। इन संशोधनों के साथ यह छोटा सा विधेयक कठिनाइयों के निवारण के लिए लाया गया। विधान परिषद में इस को पारित कर संशोधन दिया गया है। आपके समक्ष है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अध्यापकों को जो रियायतें मिली हैं उन्हें प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७ जैसा, कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सदन में बैठे हुए दूसरे माननीय मंत्रियों से आपकी स्थिति बहुत भिन्न है। कोई सड़क निर्माण का कार्य देखता है, कोई उद्योगों से सम्बन्धित कार्य देखता है और कोई अस्पताल से सम्बन्धित कार्य देखता है लेकिन आप एक ऐसे विभाग से सम्बन्धित हैं जो फैक्टरी नहीं, पुल नहीं, कोई कारखाना नहीं बल्कि इन्सान का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्माण करता है। आपने अपनी घोषणाओं के जरिए, महा महिम राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सत्ता के परिवर्तन को क्रान्तिकारी परिवर्तन की संज्ञा दी है। उस सन्दर्भ में जनता आशा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन होगा।

इस महान देश और प्रदेश में एक से एक बड़े विद्वान ने जन्म लिया है, वहां पर कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, इस प्रदेश की कोई शिक्षा नीति नहीं है। ऐसी स्थिति में म आपसे कहना चाहता हूं कि लाखों और करोड़ों नवयुवकों को आप किस ढांचे में ढालेंगे, इस देश को आप किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? आप कैसे नवजवानों को पैदा करना चाहते हैं, कैसे नवजवानों का निर्माण करेंगे, उसका ढांचा क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद कई समितियां गठित हुईं। जहां तक मुझे मालूम है कई आयोग बनाये गये। स्वर्गीय सर्वपल्ली राधा-कृष्ण की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया, आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और कोठारी आयोग का गठन किया गया। यही नहीं अभी हाल ही में शिक्षाशास्त्रियों को बुलाकर उनके जिम्मे १०-२-३ का फारमूला बनाने की बात कही गयी। लेकिन जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि आपकी सरकार चाहे केन्द्र की हो और चाहे यहां की हो कोई सक्रिय कदम नहीं उठाना चाहती है। या तो आप इसको छोड़ना चाहते हैं या इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। मान्यवर, आप इस प्रदेश की जनता को शिक्षा के द्वारा कौन सी दिशा देना चाहते हैं? आप कोई स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं दे सके।

श्री अध्यक्ष--

(एक सदस्य के मुख्य मंत्री के स्थान पर बैठने पर) मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उनका माननीय मुख्य मंत्री के स्थान पर बैठना अनुचित है।

श्री देव कुमार--

मैं निवेदन कर रहा था किसी स्पष्ट नीति के न होने से तमाम नवजवानों में निराशा है, बेरोजगारी की इतनी भयंकर स्थिति है कि तमाम डिग्रीधारी लोग सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप समय बहुत अधिक न लें। इस पर बहुत वक्ता भाग लेना चाहेंगे।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, मैं समाप्त करता हूं। संविधान के ४२वें संशोधन के जरिए एक अभिनन्दनीय कदम उठाया गया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और भविष्य में बहुत कुछ आशा थी लेकिन आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ४२वें संविधान संशोधन को समाप्त करेंगे। केवल यह मानकर चलना कि पिछले ३० वर्षों में जो कांग्रेस सरकार ने किया है, वह सब गलत है, आपत काल के दौरान जो हुआ है, संविधान में जो संशोधन किए गये हैं, वे सब गलत ह, यदि यह रुख रखा जायेगा तो देश और प्रदेश के हित में नहीं होगा। आपातकाल में जो गलत काम हुए ह, उनकी सजा कांग्रेसियों को मिल गई है। अगर आप भी उनकी तरह से केवल सरकार चलाने का रास्ता अपनाना चाहते हैं, कुछ दिन सत्ता में बैठे रहने का रास्ता अपनाना चाहता है या आप अगर वे ही गल्तियां दुहराना चाहते हैं तो जैसा उन्होंने भुगता है आप भी भुगतेंगे। पिछले ३० सालों से कांग्रेसियों ने शासन कायम रखा लेकिन जब

[श्री देव कुमार]

उन्होंने गल्तियां की, उनको जनता ने नहीं रहने दिया। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार की जो शिक्षा नीति हो वह राष्ट्रीय नीति होना चाहिये। श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करें कि अगर आप इस प्रदेश में १० प्लस २ प्लस ३ के फारमूले से सहमत नहीं होते ह तो इस प्रदेश में एक नियोजन समिति बनवायें ताकि एक शिक्षा प्रणाली निश्चित हो सके। तभी आप प्रदेश का कल्याण भी कर सकेंगे। आज इस प्रदेश की सरकार को यह भी मालूम नहीं है कि कितने छात्र किस-किस क्षेत्र में हैं। हर समाजवादी देश में एक-एक आदमी के आंकड़े होते हैं। आज शिक्षा संस्थाओं में जो अव्यवस्था है उसके कारण जिसके पास पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। एक ओर तो आप कहते हैं कि हम १० वर्ष में सब को मिडिल क्लास तक शिक्षा दे सकेंगे और प्रत्येक को साक्षर बना देंगे लेकिन जिस तरह से आप क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात करते हैं, वैसे इससे नहीं होने वाला है। आप यह भी कहते थे कि हम यूनिवर्सिटी लेविल और टेक्निकल शिक्षा मुफ्त में देंगे और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे, एक राष्ट्र-व्यापी शिक्षानीति अपनायेंगे, लेकिन न तो घोषणा-पत्र में और न इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में ही इसका समावेश किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप समाप्त कीजिए, आप तो शिक्षा नीति पर बहस कर रहे हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए, समय नहीं है।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, कुछ बुनियादी बातें हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप विधेयक की परिधि से बाहर बोल रहे हैं।

श्री देव कुमार—

तो श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करें। पिछली सरकार ने कुछ लोगों को पुरस्कृत करने के लिए डायरेक्टर के ३ पद सृजित किये थे। एक बेसिक शिक्षा के लिए, एक माध्यमिक शिक्षा के लिये, एक उच्च शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिये जिस व्यक्ति के लिए यह पद सृजित किया गया था, जब से वे रिटायर हुए, तब से वह पद खाली पड़ा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि ३ निदेशकों के स्थान पर एक को रख कर आप खर्च को कम कीजिए और शिक्षा बजट में बचत की कोशिश कीजिए।

एक मेरी और प्रार्थना है और वह यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यायाधिकरण बनाये ह उसी प्रकार से मैनेजमेंट और अध्यापकों के बीच झगड़ा होने पर उन्हें इस समय न्यायालयों की शरण में जानना पड़ता है जिससे शिक्षकों को काफी खर्चा उठाना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए भी कोई न्यायाधिकरण बनाने की कृपा करें ताकि वे उस खर्च से बच सकें।

मुझे यह भी पता चला है कि शिक्षा विभाग में क्लास वन और क्लास टू के अधिकारियों की कोई वरीयता सूची नहीं है और मनमाने ढंग से उन्हें पदोन्नति दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय देव कुमार जी, मैं आप से पुनः कहूंगा कि आप इस विधेयक से बाहर जा रहे ह । पूरे शिक्षा के विषय को आप अपने विवाद की परिधि में ले रहे ह । आप समाप्त करें जिससे अन्य सदस्यों को भी थोड़ा अवसर मिल सके ।

श्री देव कुमार—

जो बुनियादी दिक्कतें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप संशोधन पेश कीजियेगा । अब समाप्त कीजिये । माननीय डाक्टर बंगाली सिंह ।

श्री देव कुमार—

एक मिनट दे दें । मैं समापन कर रहा हूं । यह कहना चाहता हूं कि बहुत जगहों पर उर्दू शिक्षा का प्राविधान किया गया है, लेकिन स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का कोई कार्य-क्रम नहीं है । घंटा नहीं लगता, र्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है । तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं । वरीयता के आधार पर गड़बड़ियां हैं । मैनेजिंग कमेटी में घुटाले हैं । महिला शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है और पिछड़े क्षेत्र में मान्यता के बारे में दिक्कतें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें ।

डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७ जैसा कि वह विधान परिषद् से पारित हुआ है, जो रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं । पिछली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऐसा गलत कदम उठाया था कि आज का नवजवान पढ़ा लिखा नहीं जानता है कि लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, राजगुरू, शहीद भगत सिंह का जीवन परिचय क्या था । महाराजा शिवा जी महाराणा प्रताप की बात तो अलग रही, हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में कम से कम ऐसी बातों का समावेश होना चाहिये जिससे हमारा चरित्र निर्माण हो, हाई स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त हो, बाल्मीकी बस्तियों में गृह उद्योग खोले जायें, उन्हें गृह उद्योगों की शिक्षा दी जाय, जैसे कि जूतों का उद्योगों शिक्षा के माध्यम से हो । पढ़-लिख कर हमारा विद्यार्थी नौकरी के लिये मारा-मारा न फिरे । जिन शिक्षा संस्थाओं में भ्रष्ट तरीके अपनाये जा रहे हैं उन शिक्षा संस्थाओं को सरकार अपने हाथ में ले । उदाहरण के लिये हाथरस में हर सरन दास गर्ल्स इंटर कालेज में एक क्लर्क श्यामसुन्दर वर्मा ने उसको अपना बिजनेस बना रखा है । इतने भ्रष्ट तरीके अपनाये ह कि हाथरस क्षेत्र की जनता उससे बड़ी परेशान है, परन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । उत्तर प्रदेश में कुछ पोलिटेक्निक कालेज हैं, उनके अध्यक्ष हमारे निदेशक महोदय बने हुए हैं । आप सोचिये, जिस विद्यालय के अध्यक्ष हमारे निदेशक होंगे वहां के विद्यार्थियों, अध्यापकों का क्या भला हो सकता है ? मैं चाहूंगा कि ऐसे विद्यालयों से निदेशकों को निकाल करके अलग किया जाय । उनकी कमेटी जिन चीजों को स्वीकार कर दे तो किसी बेचारे अध्यापक की क्या मजाल है कि कोर्ट में जा सके और अपनी बात कह सके ।

मैं चाहूंगा कि इसको ठीक किया जाय जिससे शिक्षा संस्थायें ठीक से चलें ।

श्री वधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। सब से पहले म माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। गांवों, छोटे शहरों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें आम लोगों के बच्चे शिक्षा पाते हैं। दूसरी ओर जो पब्लिक स्कूल हैं उनमें चन्द लोगों के बच्चे शिक्षा पाते हैं। आप किसी भी गांव में चले जायें जो कोई गिरी हुई इमारत आपको मिले तो आप यह मान लें कि यह उस गांव का या तो प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल है। उनमें न लड़कों के बठने के लिये टाट हैं न दूसरी सुविधाय हैं। ज्यादा लड़के ह, बहुत कम शिक्षक हैं। नतीजा यह होता है कि शिक्षक बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिये। इधर बहुत दिनों से प्रारम्भिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। आज प्रदेश में ३० हजार से अधिक बी० टी० सी० ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक बेकार हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से आपके द्वारा अनुरोध करना चाहता हूं कि गांवों के उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर जितना जल्द से जल्द हो सके उन बेकार बी० टी० सी० शिक्षकों को नियुक्ति करने की कृपा करें।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान जे० टी० सी० शिक्षकों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। सन् १९६७ में जे० टी० सी० ट्रेनिंग प्राप्त किये हुये लड़के घर बैठे हैं लेकिन उसकी कोई भी नियुक्ति सन् १९६७ के बाद नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९६७ में जिन विद्यार्थियों ने जे० टी० सी० की ट्रेनिंग प्राप्त की और जो घर पर बेकार बैठे हुये हैं उनकी नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई।

जूनियर हाई स्कूल गांवों में चलते हैं और प्राइवेट मैनेजमेंट उनको चलाता है। लेकिन उनकी मान्यता का सवाल शासन में खटाई में पड़ा हुआ है। जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के जो कागज शासन में पेंडिंग हैं कृपा कर के उनको क्लियर कर उनको मान्यता दिलवाने का कष्ट करें। शासन का आदेश था कि नये विद्यालयों को मान्यता न दी जाय। लेकिन मुझे कहते हुये दुख होता है कि जो पुराने विद्यालय थे और जो अस्थायी मान्यता प्राप्त किये हुये थे उनकी भी मान्यता रोक दी गयी है और अभी तक वह सारे केसेज पेंडिंग में हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो विधेयक है उसकी धारा ३५ के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि एडहाक नियुक्ति जिन टीचर्स की हुई है अगर वह क्लियर वेकेंसी में ह तो उनको रेगुलर कर दिया जाय। राजकीय विद्यालयों की ओर मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां २ हजार से भी ज्यादा शिक्षक १०-१०, १२-१२ साल से एडहाक कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और ऐसा मालूम हुआ है कि प्रशासन में कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि ऐसे शिक्षकों को नोटिस दी जाय, उन्हें निकाला जाय। मान्यवर, कोठारी आयोग की बात महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गयी है, कोठारी आयोग ने कुछ संस्तुतियां की हैं, राजकीय और निजी विद्यालयों के संबंध में, शिक्षकों की सेवा शर्तों के संबंध में, मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार उन पर ध्यान दे। निजी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों को तो आप रेगूलाराइज कर रहे हैं, पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजकीय विद्यालयों में जो शिक्षक १०–१२ वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलाराइज नहीं किया जा रहा है। राजकीय विद्यालय के हजारों एसे शिक्षकों को बड़ी बचनी है। जब आप अपना भाषण दें, तो मैं चाहूंगा कि इस बात का मंत्री जी आश्वासन दें कि उनको रेगलाराइज कर दिया जायेगा।

माध्यमिक विद्यालयों के लिये जो आपने नया मानक तैयार किया है इसके अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने वाले तथा कुछ और शिक्षक सर्पलस हो जायेंगे। इस तरह से हजारों शिक्षक बेकार हो जायगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण में आश्वासन दें कि कोई भी शिक्षक बेकार नहीं रहेगा। किसी को भी सर्पलस नहीं किया जायगा, छांटा नहीं जायेगा। कहा जाता है कि समायोजन किया जायेगा, दूसरे निजी विद्यालयों में भेज दिया जायेगा। प्राइवेट विद्यालयों के मैनेजमेंट अलग-अलग होते हैं, एक जगह का शिक्षक दूसरी जगह ले लिया ही जायेगा इस की क्या गारेन्टी है?

एक बात और कहना चाहता उनके पेन्शन के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

आप जल्दी समाप्त करें।

श्री अवधेश नरायन—

जब काम करने के बाद शिक्षक रिटायर होता है तो उसे मिलता क्या है? प्रिन्सिपल को ७५ रु० मिलते हैं और असिस्टेंट को ६० रुपये। राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल को प्राइवेट विद्यालय के प्रिन्सिपल को जो पेन्शन मिलती है उसमें भी भिन्नता है। इस भिन्नता को भी समाप्त किया जाय।

एक और अनुरोध करना चाहता हूं। प्राविडेंट फंड का जो पैसा जमा होता है उसमें सरकार का जो अंशदान होता है वह उसे अंत तक नहीं मिल पाता। सरकार का जो योगदान हो वह उसी समय जमा हो जाना चाहिये जब कि उसका स्वयं का अंशदान जमा होता है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी गाजीपुर के हैं। वहां एक राजकीय विद्यालय है। उसकी इमारत बहुत खराब है, वह किसी भी समय गिर सकती है। उसे शीघ्र ही बनवाया जाय तथा जो वहां गर्ल्स इन्टर कालेज है उसकी इमारत भी बहुत खराब है उसे भी बनवाया जाय। मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन तो मैं करता हूं, लेकिन मुझे एक बात अखर रही है। यह एक बहुत बड़ा विधेयक है जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी एजूकेशन ऐक्ट इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट और बेसिक एजूकेशन ऐक्ट अधिनियम संशोधन होने जा रहे हैं। यह मैं समझता हूं इन तीनों अधिनियमों में संशोधन लाने के लिए हमारे एजूकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कानून जैसा डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कम से कम ४–५ दिन लगा होगा। मैं मानता हूं अभी हमारे साथी ने कहा था कि विशेष विधयक होते हैं जो प्रवर समिति के सामने जाया करते हैं, जिनमें गम्भीर विचार करना पड़ता है, यह बिलकुल सत्य है। यहां मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा विधेयक जो आमूल परिवर्तन करने जा रहा है, मैं समझता हूं हम को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। मैं समझता हूं इसको पास करने वाले विधायक लोग हैं। इसकी जिम्मेदारी विधायकों के ऊपर आती है। जैसा कि हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि समय-समय पर कठिनाइयां होती हैं। हाई कोर्ट को भी कभी-कभी अड़चनें होती हैं, हमें भी देखने

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

को मिला है। हाई कोर्ट ने समय-समय पर कहा है कि जल्दी में जो लेजिस्लेशन किया जाता है उसमें कमियां रहती हैं। यह विधेयक ऐसा है जिसमें इसको भी समय मिलना चाहिये और जो हाउस जो हमारा आज यहां पर है इसको एक पोस्ट आफिस की तरह से नहीं समझना चाहिये। खैर, म यही कह सकता हूं। अगर मंत्री महोदय समझ जसा कि विरोधी दल की तरफ से कहा गया है उसमें कुछ तर्क मालूम पड़ता है। म कुछ ही शब्द प्रयोग करूंगा। इसको प्रवर समिति के सामन भेजा जाय, तो अच्छा है।

(मेजें थपथपाई गईं)

मुझे याद है कि आगरा इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधिनियमों का जो संशोधन जब होने जा रहा था, एक प्रवर समिति के सामने भेजा गया था और मुझे याद है कि वह प्रवर समिति कम से कम १० दिन तक बठी थी और उसमें संशोधन पेश किया गया था। मुझ याद है माननीय नेता विरोधी दल श्री तिवारी जी वह भी उस प्रवर समिति के सदस्य थे खर म सुझाव नहीं दे सकता हूं। अधिक कहने के लिए तयार नहीं हूं। लेकिन इस बात के लिए में बधाई दूंगा अपने मंत्री जी को जो अध्यापकों का रुपया पड़ा रहता था, कुछ सुनवाई नहीं होती थी, कम से कम इसकी जिम्मेवारी उपकुलपति के ऊपर डाल दी गयी है। यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं होती थीं उसका कोई समय नहीं होता था, चाहें परीक्षाये जुलाई में कर दी जायं चाहें अगस्त में कर दी जायं। अब इसका उत्तरदायित्व उपकुलपति के ऊपर डाल दिया गया है। म अधिक कहने के लिए तयार नहीं हूं केवल दो शब्दों में यही कह देना चाहता हूं कि जब कभी ऐसे सम्ब आमूल और आवश्यकीय विधेयक आयें, तो उसके लिए काफी समय मिलना चाहिय इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत विधेयक का समथन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधयक, १९७७ सदन की मेज पर रखा है, उसमें जो भाई देव कुमार यादव ने संशोधन रखा है कि उसमें संशोधन किया जाय, प्रवर समिति को दिया जाय, उसका में समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस विधेयक में अधिक न कहकर माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसी सदन में घोषणा किये थे कि जहां लड़के अधिक होंगे वहां शिफ्ट चलाई जाय। हमारे पास पांच तार आये थे, अभी तक जो दो शिफ्ट का आदेश था वह अभी तक जिले में नहीं पहुंचा है। मुझे आशा है कि वह शीघ्र ही भेजेंगे जिससे बच्चों का दाखिला हो सके।

श्री श्यामधर मिश्र—

आदेश हो गया है क्या ?

श्री गंगा प्रसाद—गोंडा

आदेश हुआ या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम है।

म आप से जानना चाहता हूं कि क्या कोई आदेश हुआ है या नहीं हुआ है ?

एक सदस्य—

आप विधेयक पर बोलिये।

श्री अध्यक्ष—

इसका स्पष्टीकरण करिये और बाकी नहीं ।

श्री काली चरन—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा था कि प्रवेश की समस्या जहां है उसे हल किया जाय । जहां कहीं हल नहीं होगी तो वहां २ शिफ्ट कर देंगे । इसको जिला विद्यालय निरीक्षकों के सामने यह आदेश भेजा गया है कि कोई दिक्कत इस तरह की हो तो सूचित किया करें । आप जैसा कह रहे हैं वैसा आदेश मैंने नहीं किया था ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

मान्यवर, इस समय पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है । गोन्डा जिले में पढ़ने वालों की संख्या काफी है । वहां पर २ शिफ्टें करने की कृपा करें जिससे लड़कों की शिकायत हल हो सके ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आपस में बात न करें ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

दूसरी बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपका एक आदेश जो प्राइमरी के अध्यापकों ने नसबंदी कराई थी उस संबंध में गया था । उस समय बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री रमा शंकर पांडे जो थे उन्होंने इस तरह की लूट मचाई थी और उन्हीं के सहयोगी श्री एस० डी० आई० श्री राम सरोज मिश्रा ने नसबंदी के सिलसिले में प्रत्येक अध्यापक से २०० रुपये प्रेरक बनाने के लिये थे और कहा था कि नसबंदी न करायें । वह अभी उचित स्थान पर नहीं गये हैं । मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या कार्यवाही उस संबंध में की गई है और श्री राम सरोज मिश्र का तुरन्त बदली की जायं ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अभी श्री गंगा प्रसाद जी ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है । आप लोग स्थान ग्रहण करने की कृपा करें ।

श्री गंगा प्रसाद (गोन्डा)—

मान्यवर, बेसिक शिक्षा का जो कार्य-क्रम है उसका समायोजन अभी तक पूरा नहीं हुआ है । लोगों के रोज ट्रांस्फर हो रहे हैं । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि बी० टी० सी० पास आज हजारों नौजवान लड़के घूम रहे हैं । उनके लिये कोई नौकरी का प्रबंध आपने नहीं किया है । आप इनके संबंध में तुरन्त निर्णय लेकर उनको नौकरी देने की व्यवस्था करें । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत से गांवों में स्कूल नहीं हैं । जहां आपको पढ़ने वाले बच्चे मिलें वहां पर स्कूल खोले जांय जिससे बच्चों को शिक्षा मिल सके ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गंगा प्रसाद जी अब आप समाप्त करें ।

श्री गंगा प्रसाद (गोन्डा)—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि गोंडा जिले में जहां छात्रों की संख्या अधिक है वहां पर २ शिफ्टें करने के आदेश तुरन्त दें । इसी के साथ इसको प्रवर समिति में भेजने की कृपा करिये ।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

अध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं जो आपने बोलने का मौका दिया है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। जो डिफिकल्टीज थीं उनको हटाने के लिये यह पेश किया गया है इसमें और कोई चीज नहीं है। आपके द्वारा मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी एजूकेशन पालिसी को एलान करें। १०-२-३, कोठारी कमीशन के माध्यम से एक नेशनल पालिसी बनायें। आज जो हो रहा है, पब्लिक जानती नहीं है कि किस रास्ते के ऊपर शिक्षा आगे बढ़ रही है। पहले कांग्रेस गवर्नमेन्ट थी लेकिन अब नई गवर्नमेन्ट आयी है इसलिय लोग उम्मीद में है कि जहां शिक्षा नहीं थी, देहातों में छोटी-छोटी जगहों म जहां साइन्स की पढ़ाई नहीं होती थी वहां होनी चाहिये। नेशनल एजूकेशन पालिसी इन्वाल्व होगी, इसलिये जहां छोटी-छोटी जगहों पर स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल खोलने के लिये काफी रुपया बजट में लाने का प्रबन्ध मंत्री जी को करना होगा और वह प्रबन्ध मंत्री जी करें।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि धारा ४६ में कान्ट्रीब्यूशन और दान के लिये कहा है। तो दान जो स्कूल लेते हैं उनके मैनेजर फाटक पर बठ जाते हैं और कहते हैं कि एडमीशन कराना है तो डोनेशन देवें। इससे कुछ नतीजा नहीं निकला है और लोगों की डिफीक्लटीज बढ़ गयी हैं। इसलिये इस पर मंत्री जी को कुछ करना चाहिये।

दूसरी बात यू० पी० यूनिवर्सिटीज ऐक्ट और लखनऊ की जो स्टेट्यूटस बने हुये हैं उनमें फर्क है, खासकर माईनरटीज के समय में। इसके अलावा हाई स्कूल बोर्ड का इलेक्शन होने वाला है लेकिन वहां बहुत डिफीकल्टीज हैं। हाई स्कूल बोर्ड बहुत बड़ा हो गया है। यू० पी० की आबादी बढ़ गयी है जिससे विद्यार्थियों के लिये भवन नहीं हैं। नई प्रणाली शिक्षा की होगी तो हाई स्कूल की बिल्डिंग और स्टाफ आदि चीजों के लिये मंत्री जी को सोचना पड़ेगा।

तीसरी बात रोज मैं पब्लिक स्कूल के बारे में सुनता हूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पब्लिक स्कूलों को कोई ग्रान्ट नहीं देती है इसलिये जिसके पास पैसा है वह वहां जायें। पब्लिक स्कूलों में गरीब और अमीर की गिनती नहीं होती है केवल वह भाषा पर रखे जाते हैं।

अंत में मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि जैसा मैं पहले था वैसा ही आज भी हूं कोई पोलिटिकल पार्टी में मैं नहीं था। सरकार के साथ मैं हन्ड्रेड परसेन्ट रहूंगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है वह ऐसी परिस्थिति में है जबकि जरूरत है शिक्षा नीति को बदलने की और शिक्षा की व्यवस्था को बुनियादी तौर पर बदलने की। आज शिक्षा की जरूरत है कि उसको जनतंत्रीय आधार पर बदला जाय और शिक्षकों को उसमें हिस्सेदारी दी जाय। प्रान्तीय शिक्षा में समता का व्यवहार किया जाय। आज पूरी बेसिक शिक्षा २-३ तरह से चल रही है। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप एक ऐसा बिल पेश करेंगे जिसके चलते शिक्षा का जनतांत्रीकरण होगा, जिसमें स्व० डा० राधाकृष्णन कमीशन; आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी, कोठारी कमीशन और जो तमाम कमीशन बैठे उनकी सिफारिशों का समावेश होगा। हालांकि जो बिल आज पेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया है उसके जरिए भी मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने कुछ विकेन्द्रीकरण करने का प्रयास किया है। जो प्रबन्ध समितियां महाविद्यालय में रहती थीं जो किसी भी अध्यापक के प्रति दुर्व्यवहार या खराब इरादे से काम किया करती थीं उन पर आपने अंकुश लगाया है कुलपति के अधिकार को बढ़ाकर। उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है वह इतना सरकार परस्त हो चुका है और इतना सरकारी चंगुल में आ गया है कि उसमें स्वयं सोचने की ताकत नहीं रह गयी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग, खास कर शिक्षा निदेशालय शिक्षा मंत्री को खुश करने में लग गया था और शिक्षा मंत्री इंदिरा गांधी को खुश करने में लग गये थे। मनमाने ढंग से सिलेबस निर्धारित किया गया और पाठ्य पुस्तक रखी गईं पाठ्य पुस्तकों में इंदिरा गांधी की फोटो छपी इसलिए कि शिक्षा मंत्री बने रहें और शिक्षा मंत्री बने रहें तो डायरेक्टर मेहरोत्रा बने रहें।

मान्यवर, भारत वाणी नाम से श्रीमती इन्दिरा गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ सात वाल्यूम्स में छपा है। ७०० रुपये में एक सेट मिलता है। जितने इंटरमीडिएट कालेज हैं, डिग्री कालेज हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं उनको यह बेचा गया। उत्तर प्रदेश के अन्दर करीब १७ यूनिवर्सिटी हैं, ३३५ डिग्री कालेज हैं, ४२०१ इंटर कालेज हैं। १७ यूनिवर्सिटीज में कमेटी में कम से कम दस-दस विभाग होंगे। इन सब को मिला लें तो करीब ३४-३५ लाख रुपये की बिक्री करायी गयी और यह रुपया शिक्षा निदेशालय ने लिया इन्दिरा गांधी को खुश करने के लिये और उनके नाम पर शिक्षा मंत्री इनकी जांच करायें कि इस ३५ लाख रुपये का व्यापार किया गया शिक्षा के नाम पर केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिये। अपनी बात समाप्त करते हुए शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि इंटरमीडिएट बोर्ड का विकेन्द्रीकरण करें। इसको पूरे तौर पर तोड़ दें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस बोर्ड से कोई लाभ नहीं है। न तो विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन हो पाता है और ११-१२ लाख के करीब बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं। आये साल या तो कापियां गायब हो जाती हैं या फिर निदेशालय में आग लग जाती है। कापियां भी गलत पहुंचती हैं। संस्कृत के अध्यापक के पास विज्ञान की कापी पहुंच गयी। दो तीन कापी जब उन्होंने जांच ली तो उनको पता चला। इसलिए मैं कहूंगा कि या तो इस बोर्ड को तोड़ दिया जाय या इसको उत्पादक बनाया जाय। कोई तकनीकी शिक्षा बोर्ड बनाया जाय।

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक शिक्षा मंत्री ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जो कन्ट्रोवरशियल बात नहीं है। कुछ प्रशासनिक मामलों में अड़चनें हैं। इसलिए यह विधेयक लाया गया। यह अच्छी बात है। किन्तु, मान्यवर, मैं ऐसे मौकों पर जब इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं माननीय शिक्षा मंत्री को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि ये जो भाई अपोजिशन में बैठे हैं इन्होंने तीस वर्ष में तीन तरह की शिक्षा चला रखी थीं यहां पब्लिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि तीस वर्षों की इस तरह की तीन तरह की शिक्षा जो चल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

रहीं थी उसकी मा० शिक्षा मंत्री जी की जनता गवर्नमेंट तोड़ेगी। मुझे इस बिल को पढ़ते हुए थोड़ा सा अचम्भा भी हुआ। मैं उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री जी इस बिल में यह प्रोविजन करेंगे कि यूनिवर्सिटीज के टीचर्स में हरिजनों का और सेडूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और उनका प्रोविजन वे इस बिल में करेंगे।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इस शिक्षा को रोजी और रोटी से जोड़े। आज आप देख रहे हैं कि हर साल पढ़े-लिखे लोगों की एक बेकार, बेरोजगार पलटन शिक्षा मंत्री जी खड़ी कराये चले जा रहे हैं और मैं शिक्षा मंत्री जी को यह सलाह दूंगा कि अगर इन पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार नहीं दे सकते तो कुछ दिनों के लिये अगर आवश्यक हो तो यूनिवर्सिटीज और हाई शिक्षा जो है उसे बंद भी कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में मंत्री जी द्वारा पेश किये हुये बिल का समर्थन करता हूं।

श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समानता से ही समाज है। यह जो राष्ट्रीयकरण की बात शिक्षा के बारे में हो रही है इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ८० प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं और वहां के स्कूलों की दशा यह है कि टूटे-फूटे मकानों में स्कूल लग रहे हैं। पेड़ों के नीचे शिक्षा हो रही है ऊपर से पक्षी बोल रहे हैं, हवा आती है धूल आती है और अध्यापकों के मस्तिष्क में धूल जमा हो जाती है। विद्यार्थियों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अध्यापकों के लिए कुर्सी नहीं है, न कोई उनकी व्यवस्था हो रही है। खर्च नहीं है। एक तरफ मान्टेसरी स्कूल चलाये जा रहे हैं और पब्लिक स्कूल चलाये जा रहे हैं जहां सैकड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ देहात में हमारी शिक्षा की जो यह दुर्दशा हो रही है। तो शिक्षा में समानता लाई जाय। मान्टेसरी स्कूल और देहात के स्कूलों में समानता लायी जाय।

मुझे यह भी कहना है कि पिछली सरकार ने नसबन्दी योजना में जिन अध्यापकों को मुअत्तिल कर दिया था उनके बारे में कुछ नहीं किया गया है। अभी तक बहुत अध्यापकों का तीन-तीन महीने का वेतन रुका पड़ा है। ऐसी दशा में वे क्यों पढ़ायेंगे ? तो इस दिशा में भी कुछ किया जाय।

मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बेसिक स्कूलों के लिए, टीचर्स के लिए अच्छी सुविधायें दी जायं और ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग बनायी जायं।

एक तरफ बी० टी० सी० के जो लड़के हैं वे सब बेकार पड़े हुए हैं। इतने स्कूल आप बढ़ा दें ताकि वह बेकारी दूर हो। वह हमें परेशान करते हैं और कहते हैं कि उनको नौकरी दिलाई जाय। यही स्थिति माध्यमिक स्कूलों की है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? हम लोग खड़े होते हैं लेकिन निगाह पड़ने पर भी आप नहीं बुलाते ? तो क्या जिन्होंने पर्ची भेज दी है उस पर्ची से आप बुलाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं कोशिश यह करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को अब तक अवसर नहीं मिला है उनको अवसर दिया जाय और जिन पर नजर जाती है, उनको मैं बुलाता हूं। पर्ची से नहीं बुलाता क्योंकि पर्चियां तो सब की आई हुई हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में चार विधेयक हैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम, १९७३, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२, इंटर-मीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय : पुनः अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम, १९७४। इस अधिनियम पर अभी तक जिन वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये उन्होंने इसकी किसी धारा पर कोई बात नहीं कही, वह अपनी व्यथा कहते रहे और सारा समय उसी में निकल गया। मैं माननीय सदस्यों को इसकी कुछ क्रान्तिकारी धाराओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस विधेयक में है जिनके आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक पारित किया जाय। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के संशोधन के अन्तर्गत मैं धारा ४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें पहले यह प्राविधान था कि अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगा और उनकी अवधि जो दो वर्ष थी उसमें अब यह संशोधित किया गया है, परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये बढ़ा सकती है। इससे उनके कार्य में क्षमता बढ़ेगी। धारा १३ में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गयी है कि भविष्य में परीक्षायें समुचित ढंग से और ठीक-ठीक समय पर आयोजित हो सकें और ऐसी परीक्षाओं का परीक्षा फल शीघ्रता से प्रकाशित हो ताकि विद्या-सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ तथा समाप्त हो सके। इसके बाद धारा २७ में यह संशोधन किया गया है कि यदि किसी संकाय में कोई आचार्य नहीं है तो वह पद उपाचार्यों या अन्य अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता क्रम के अनुसार बारी-बारी से भरा जायगा।

यह जो रूल्स अब बना दिये गये हैं इससे किसी को मनमाने ढंग से काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इस समय महाविद्यालयों को भी कुछ अंशदान मिलता था उसका दुरुपयोग होता था जिसे दिखाया नहीं जाता था अब इसमें धारा ४६ जोड़ दी गई है जिसके अंतर्गत प्राविधान किया गया है कि जिस काम के लिए वह रुपया दिया जायगा उसी में वह खर्च होगी और उसका हिसाब रखा जायेगा। अगर कोई आदमी दान करता है तो जिस काम के लिए दान दिया गया है उसके लिए वह खर्च होगा इसके अलावा किसी और कार्य में वह खर्च नहीं होगा। इसके अलावा इसमें इंस्पेक्शन का भी अधिकार शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। अगर उनकी बात का को विद्यालय नहीं मानेंगे तो उनकी मान्यता खत्म करने का भी अधिकार दिया गया है।

बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि बहुत से भवन ऐसे थे जिनके मालिक दूसरे थे और जब बेसिक शिक्षा परिषद् बन गई तो उन भवनों का किराया निर्धारित करना भी जरूरी था इसलिए किराये के निर्धारण की योजना भी इसमें कर दी गई है। इस विधेयक का मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे पास किया जाय।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी ।

श्री अध्यक्ष—

आभार न प्रकट कीजिये ।

श्री नेम सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन उनका ध्यान मैं कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वैसे उन्होंने बड़ी उदारता वर्ती है कुछ ऐसी चीजें हैं समय आने पर उनके व्यवहार में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं । अगर वह कठिनाइयां आईं तो उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे । आपने इसमें वह जनतांत्रिक प्रणाली खत्म कर दी है खंड १३ में 'किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्राचार्य उपधारा (४) में खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उक्त कालेज के आचार्यों में से नियुक्त किया जायगा' । मेरी आशंका है कि एक ही कालेज से आये और जगह से भी योग्य लोग मिले तो लिये जाय । यह बंधन नहीं लगाया जाना चाहिये । इस पर आप विचार करें । इसमें जो योग्यतम व्यक्ति हैं वे वंचित हो जायेंगे और एक ही जगह के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी । इसी प्रकार आपने एक नई धारा ६० (ग) बढ़ा दी है 'कुलपति राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकता है कि ऐसा अध्यापक जो तत्तम भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य सामनुवेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तर-दायी पद पर हो । तो इसमें भी सभी विद्यालयों को सुविधा दी जाय । जहां से योग्यता के आधार पर लोग मिल सकें ।

इसके अलावा यह जो आपने इसमें बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में २८ (६) में यदि बेसिक स्कूल का प्रबंधधिकरण उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबंधाधिकार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् एसे स्कूलों की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को निर्दिष्ट कर सकता है । इस तरह से उसकी मान्यता समाप्त हो जायेगी मैं कहता हूं कि अपराध कोई करे और दंड कोई भोगे । इससे निरीह बालकों को दंड मिलेगा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं । इससे बड़ी ही दुर्व्यवस्था हो जायेगी । उसके लिए प्रबंधाधिकरण को दंड मिलना चाहिये न कि बालक को । इसके बाद आपने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में ७ (ङ) को बढ़ाया है जहां किसी संस्था द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अनुदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां 'इस प्रकार का प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है' जैसा कि जगदम्बा प्रसाद जी ने कहा

हम लोग पिछले २५-३० साल से जो शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, विद्यालय के प्रबन्धक पैदा करते रहे हैं और मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य रहे हैं और अब भी शायद होंगे, जिन्होंने शिक्षा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को एक व्यापार बना रखा था। यहां पर पिछले सदन म कांग्रेस के पश्चिमी क्षेत्र के एक माननीय सदस्य थे, जिनके ३८–३८ कालेज चल रहे थे और जिन्होंने इनसे लाखों लाख रुपया शोषण करके पैदा किया है। साथ ही इन विद्यालयों में जो धन दिया जायगा।

एक सदस्य--

आप उनका नाम बताइये ?

श्री अध्यक्ष---

नाम लेना आवश्यक नहीं है।

श्री नरसिंह चौहान--

नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें माननीय सदस्य स्वयं समझते होंगे।

[* * * *]

श्री अध्यक्ष---

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

श्री नरसिंह चौहान--

शिक्षा मंत्री जी ने मांटेसरी स्कूलों के बारे में अब भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है और नसबन्दी से जो पीड़ित अध्यापक और जो मर भी गये, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए था।

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है, वह रोज–रोज की साधारण दिक्कतों को दूर करने के लिए किया है। किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में एक बुन्देलखंड सम्भाग है, वहां प्राइमरी शिक्षा की जो दशा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब से बेसिक शिक्षा परिषद कायम हुई है, तब से इन पाठ–शालाओं के इमारतों की दशा बहुत ही जर्जर हो गयी है। जिला परिषद् कहता है कि ये हमसे अब सम्बन्धित नहीं है और बेसिक शिक्षा परिषद् कहती है कि इनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। बच्चे पेड़ों के नीचे पानी और धूप में बैठने को मजबूर होते हैं। अतः पहले इन विद्यालयों के लिए भवनों की अवश्य व्यवस्था कर दी जाए।

दूसरा निवेदन यह है कि आपका जो समायोजन हुआ है कि ३५ से ४९ लड़कों तक प्राइमरी शिक्षा में एक अध्यापक रहेगा, तो वह ४९ छात्रों को एक साथ नहीं पढ़ा सकता है। किसी स्कूल में दो अध्यापक से कम तो रहने ही नहीं चाहिए। २० से २५ से अधिक छात्र अध्यापक को नहीं देने चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा को आप भले ही प्राइवेट क्षेत्र में छोड़ दें, लेकिन प्राइमरी शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है, उसका राष्ट्रीयकरण कर आप उस पर अवश्य पूरा ध्यान दें।

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय कायम हुआ, वह १४ कालेजों का विश्वविद्यालय है, वहां पर उच्च शिक्षा का प्रसार के बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया है। बुन्देलखंड सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, उसको पिछले बजट में एक पैसा नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट---***यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

दिया गया है, केवल वह परीक्षा-दिलाऊ विश्वविद्यालय है। उसे आप होम यनिवर्सिटी करने की व्यवस्था करें। इसके अलावा एक-एक ब्लाक हेडक्वाटर पर हाई स्कूल होना चाहिए। आज झांसी और ललितपुर में ८ ब्लाक ऐसे हैं जहां एक भी हायर सेकेन्ड्री स्कल नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा स्वायत्त शासन मंत्री को पुकारे जाने पर)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस सदन में बड़ी अव्यवस्था है। हम विधायक लोग जो सुबह से शाम तक कसरत करते हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय है। संसदीय मंत्री को और आपको नाम दे दिया जाता है और अधिष्ठाता कभी एक-एक---

श्री अध्यक्ष---

यह आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, आप केवल सदन का समय ले रहे हैं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

दस मिनट का समय मैंने बरबाद किया है उठने-बैठने की कसरत करने में।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। ४२५ सदस्य हैं। बोलने वालो की संख्या बहुत अधिक है।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री।

एक सदस्य---

ऐसे लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है जो पुराने सदस्य हैं। नये सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिये। मैं सुबह से प्रयास कर रहा हूं, बोलने का। मौका नहीं मिल रहा है।

एक सदस्य---

प्रश्न यह है कि जिनको आप नहीं जानते, उनको मौका नहीं मिलता।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा चल रही है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष---

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर) मैंने मालवीय जी को बुलाया है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्यामधर मिश्र---

हम लोगों का यह कहना है कि माननीय मालवीय जी अपने स्थान से एक बार बोलते हैं। बाद में दूसरे स्थान से बोलते हैं। अपने स्थान से क्यों नहीं बोलते ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

आज सदन का समय आध घंटे बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आज सदन का समय आध घंटा बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७ (क्रमागत)

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

शिक्षा मंत्री जी ने इन संशोधनों के माध्यम से जो विधेयक में ने आचार्य और प्राचार्या की नौकरी..

(व्यवधान)

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री राजपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बैठेंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री राजपति मिश्र—

मार्शल को बुलाइये। हम बैठेंगे नहीं । जब खड़े हो गये तो खड़े हो गये ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजपति मिश्र—

[* * *]

(श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर श्री राजपति मिश्र बैठ गये) ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

इसमें कुछ संशोधन सराहनीय हैं जिनकी सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विरोधी पक्ष भी सराहना करेगा । वैसे इसमे कुछ संशोधन लाये गये हैं जो कि प्रबन्ध समिति के अलावा कुलपति के हाथों में अधिकार दिए गये हैं जिससे प्राचार्य और आचार्य की सर्विस की गारंटी होती है । लेकिन बड़ा दुख है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद् के पास बेसिक शिक्षा आने से उनके भवनों के किराये के लिए व्यवस्था की गयी है । लेकिन इससे अधिक आवश्यक यह था कि बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की बात शिक्षा मंत्री ने की होती । उत्तर प्रदेश में ८५ प्रतिशत जनता देहात में रहती है । ८५ प्रतिशत संतानें देहात में शिक्षा पाती

नोट—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

हैं। अगर देहात की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो उत्तर प्रदेश का भाग्य उज्जवल नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हमारे प्रीइमरी शिक्षा अध्यापक जो बी० टी० सी० पास किये हुए अनेक वर्षों से घर पर बैठे हुए हैं, यह एम्प्लायमेंट का खजाना बढ़ता जा रहा है।

लेकिन इस संशोधन में इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बी० टी० सी० उत्तीर्ण अध्यापकों के लिए नौकरी के लिए कौन सी गारन्टी दी गयी है। प्राइमरी पाठशालाओं में भवन नहीं है, पट्टियां नहीं हैं, छोटे मोटे खेल कूद की वस्तुएं नहीं हैं। अच्छा होता यदि माननीय शिक्षा मंत्री ने उनके विषय में विचार किया होता।

जहां डोनेशन का जिक्र किया गया है मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। जहां पर विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए डोनेशन लिया जाता है वहां पर इस चीज को बड़ी कड़ाई से समाप्त करना चाहिए। कुछ मेडिकल कालेज, कुछ B.Ed के विद्यालय हैं जहां पर एक निश्चित डोनेशन लेने के बाद ही प्रवेश किया जाता है और जब तक उस डोनेशन का भुगतान नहीं कर दिया जाता है उसे प्रवेश नहीं मिल पाता है। डोनेशन ने रिश्वत का रूप धारण कर लिया है। इस प्रकार के डोनेशन के विषय में आपको सदन में जिक्र करना चाहिए था और प्रस्ताव लाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इस तरह के डोनेशन किसी भी विद्यालय में नहीं लिए जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा के बारे में इस सरकार का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। बहुत से जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल ऐसे हैं जिनको रिकगनिशन अभी तक नहीं मिल पाया है। आप सरकारी स्कूल खोल नहीं पाते हैं फिर भी बच्चों की शिक्षा के लिए हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल जो प्राइवेट चल रहे हैं, उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। जुलाई का महीना समाप्त होने वाला है और अगस्त का महीना आने वाला है, लेकिन उन बच्चों का भविष्य अधर में पड़ा हुआ है।

अब मैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विधि की परीक्षायें नहीं हो पा रही हैं वह कब होगी इसकी भी घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी को करना चाहिए था। अगस्त आने वाला है, लेकिन विधि की परीक्षायें अभी तक नहीं हो पायी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी कोई निश्चित नीति इस सम्बन्ध में अपनावें जिससे इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वह दूर हों। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर आपने विश्वविद्यालय और इन्टरमीडिएट शिक्षा के बारे में कहा वहां पर बेसिक शिक्षा के बारे में भी कहना चाहिए था क्योंकि बेसिक शिक्षा ही आधारशिला है। मैं चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उनको माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार करें और उनको कार्यान्वित करें। और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजकर राय ले। तब इसको पास करें।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय एक, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप नियम का पालन करें। एक ही सदस्य बार-बार बोलने का प्रयास न करें। मैंने श्री बाबूराम वर्मा को बुलाया है इस विधेयक पर काफी वक्ता बोल चुके हैं और इसी लिए आध घन्टे का समय बढ़ाया गया है।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक न्यायालयों द्वारा आई हुई कठिनाइयों के निवारण के लिए ही नहीं लाया गया है, वह तो तात्कालिक व्यवस्था है।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बाबू राम वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी का प्रारम्भिक शिक्षा की ओर खास कर अपने बस्ती जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में इमारत नहीं है और न बच्चों के बैठने के लिए टाटने पट्टियों की ही व्यवस्था है। इनमें बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पानी में भीगते रहते हैं।

जहां तक जूनियर हाई स्कूल की मान्यता का प्रश्न है मान्यताओं का प्रश्न गत ३ वर्षों से रुका हुआ है। मेरे क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल है जिसमें १२ बड़े-बड़े कमरे हैं और करीब ५०० छात्रों के बैठने की जगह है। उसमें इस समय ४०० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पिछली मई में जूनियर हाई स्कूल की उसे मान्यता मिल पाई, लेकिन हाई स्कूल की मान्यता आज तक उसको नहीं मिल सकी है। पिछले शासन काल में चाहे मान्यता का प्रश्न है चाहे ऐड का प्रश्न हो सब में राजनीतिक कारण छिपे हुए थे। हमारे क्षेत्र की बगल में एक स्कूल असनहरा में है जिसमें मुश्किल से २-३ कमरे हैं लेकिन उसे हाई स्कूल की मान्यता मिल गई है, क्योंकि वहां के एक एम० एल० ए० कांग्रेसी थे। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया शिक्षा जगत में चलता रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम मान्यता देने के सम्बन्ध में वे न्याय बरतें और यह देखने की पुनः कोशिश करें कि चयन समितियों की मान्यताओं के जो प्रार्थना-पत्र आपके पास आये हुए हैं उनके सम्बन्ध में जिनकी मान्यतायें रुकी हुई हैं, उनको भी इस बात का अवसर दें कि वे पूरी हो जायें।

इसके साथ-साथ एच० टी० सी० व जे० टी० सी० पास लोगों को जो अपने-अपने घर पर बैठे हुए हैं, नियुक्त करके उनकी बेकारी दूर करने की कोई योजना माननीय मंत्री जी को बनानी चाहिए जिससे पिछले ३-४ सालों से जितने अध्यापक ट्रेनिंग लिए हुये हैं, वे शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश ले सकें; जिससे प्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं उनमें लोग साक्षर हो सकें।

जहां तक बेकारी का प्रश्न है इनके अधिकारी इस ढंग से चल रहे हैं जैसे मालूम होता है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। जब शिक्षा का स्तर हमारे प्रदेश में बहुत नीचे पड़ा हुआ है, शिक्षितों का प्रतिशत केवल ३० प्रतिशत तक ही पहुंच पाया तो सरकार को इसके लिए भरसक प्रयास करना चाहिए कि प्रदेश में साक्षरता फैले।

[श्री बाबू राम वर्मा—]

हमारे संविधान के अन्दर यह गारन्टी दी हुई है कि कम से कम प्राइमरी शिक्षा तो अनिवार्य और निःशुल्क होगी तो माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि कम से कम वे प्राइमरी शिक्षा तक ही इसे चालू करें और हर बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय में समुचित व्यवस्था करें ।

जब तक प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क नहीं होगी और हर बच्चे को समान रूप से बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा तबतक शायद हमारे देश में जो शिक्षा जगत में एक निराशा का वातावरण है वह दूर नहीं हो सकता । शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की आशा है और परिवर्तन का नाम हर बार लिया जाता है कि आमूल परिवर्तन किया जाय, लेकिन आजतक समझ में नहीं आया कि यह मूलभूत या आमूल परिवर्तन क्या है वही शिक्षा की पुरानी नीति चली आ रही है । हम अनुरोध करेंगे कि कोई ऐसा आयोग गठित करें जो शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन लाये, जिससे शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ रही है वह घटायी जा सके । शिक्षा विभाग में ऐसा अवसर है, इसमें निरक्षता दूर होगी और देश की प्रगति होगी ।

श्री कालीचरन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं सम्पूर्ण सदस्यों का जिन्होंने विषय प्रवेश चाहे भले ही न किया हो लेकिन विषयांतर में जाकर जो एक बहुत बड़ा प्रकाश दिया समस्याओं का इससे मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो नियम है उसको लागू करने में समय-समय पर कुछ कठिनाइयां आती गयी हैं । उनके निवारण के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है । कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव रखा है, बाद में बता दूंगा ।

देवकुमार जी ने जो पहले-पहले प्रस्ताव रखा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, वह एक अच्छे सम्मानित अधिवक्ता हैं विधायक के साथ-साथ । मैं समझता था कि वह बतावेंगे कि क्यों इसे वहां भेजा जाय, लेकिन इस प्रश्न को उन्होंने छुआ ही नहीं और इधर-उधर की समस्यायें बतायीं तो समस्याएं तो इस प्रदेश में बहुत बड़ी हैं और सब आपकी बनायी हुई हैं । हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे भी ।

जो खास बात कही गयी है वह है अंश-दान के सम्बन्ध में । शंका अधिक सदस्यों की यह है कि विद्यालयों में अंशदान लिया जाता है, नाजायज ढंग से लड़कों को परेशान किया जाता है, यह न होना चाहिए । इस सम्बन्ध में मैं साफ कर दूं । बहुत से विद्यालयों में जहां अंशदान लिया जाता है वह जिस उद्देश्य से दान देते हैं उस मद में उस पैसे को खर्च न करके विद्यालय के प्रबन्ध समितियों के लोग उसको दूसरी मदों में खर्च कर दिया करते हैं । इस सम्बोधन के माध्यम से केवल यही व्यवस्था की गयी है कि जिस उद्देश्य से किसी विद्यालय को दान दिया जाय वह खर्च उसी मद में किया जाय, दूसरी मद में न किया जाय ।

अब रह गया सवाल कि जहां जबरदस्ती लड़कों से फीस के माध्यम से या साथ-साथ अन्य मदों के बारे में पैसा लिया जाता है तो मूल जो अधिनियम है उसमें पहले से ही इसकी व्यवस्था है । उसको बता देना चाहता हूं । नियम ४६ के अन्तर्गत, "सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से अध्यादेशों में अधिकाधिक दर पर फीस के सिवाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान,

दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।" यह साफ लिखा हुआ है और अगर ऐसा करता है तो ६१ वें नियम के अन्तर्गत दिया हुआ है कि "जो कोई धारा ४६ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, सिद्धदोष होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो तीन मास तक की हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।" यह नियम में पहले से है। केवल इसलिये संशोधन किया गया है कि जिस मद में धन मिले उसी मद में खर्च किया जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने लखनऊ मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में बात उठायी है। लखनऊ मेडिकल कालेज पूरे प्रदेश के मेडिकल कालेजों में एक बहुत उत्तम कालेज है। दूसरे लखनऊ मेडिकल कालेज में यह व्यवस्था है, जो प्रदेश के दूसरे मेडिकल कालेजों में नहीं है, कि यहां जो प्रिन्सिपल होते हैं वह किसी विभाग के अध्यक्ष भी होते हैं और उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। लखनऊ मेडिकल कालेज के जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको प्रोन्नति का चान्स मिल सके और वह कालेज की महानता को कायम रख सकें; इसलिये ऐसी व्यवस्था की गयी है कि वहां के जो सीनियर लोग हैं उनको प्रोन्नति दे कर प्राचार्य के पद पर रखा जाय।

एक सदस्य—

ऐसी व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में कर दें तो अच्छा हो।

श्री कालीचरन—

एक तीसरी बात संशोधन के बारे में कही गयी कि यह नहीं होना चाहिये। अगर किसी विश्वविद्यालय में लगा हुआ कोई प्राध्यापक किसी राष्ट्रीय महत्व के काम में ले लिया जाता है या सरकार में कोई आवश्यकता है जिसके लिये किसी विशेष विषय की जानकारी उसको है और उसमें लिया जाता है या कहीं बाहर देश या विदेश में भेजते हैं तो चूंकि वह राष्ट्र के विकास के लिये काम करता है और वह पुनः लौट कर वापस आता है तो उसको उसके पूर्व पद पर रखा जाय ऐसी व्यवस्था के लिये यह नियम इसमें लाया गया है।

बेसिक शिक्षा की मान्यता के बारे में यह जरूर है कि जो कुछ भी उसमें गड़बड़ियां हैं उनको दूर करना जरूरी है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे विद्यालयों की मान्यतायें वापस न ली जायं; बल्कि उसमें ऐसा संशोधन किया जाय जिससे जो दोषी हों वह दंड पायें, विद्यार्थी या अध्यापकों को दंड न मिले।

यहां जो भाषण हुये हैं जो विषय से परे थे उन सब का जवाब देना तो मैं बहुत उचित नहीं समझता। माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं यह तो मैं नहीं कह सकता कि वह समझ नहीं रहे हैं; लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने इसको समझने की कोशिश नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कालीचरन—

जे० टी० सी० अध्यापकों के बारे में एक बात कही गयी कि वह सन् १९६७ के पास हैं। बी० टी० सी० की नियुक्ति का तरीका तो है लेकिन जे० टी० सी० वालों को छोड़ दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी नियुक्तियां शीघ्र ही करा दी जायंगी।

[श्री काली चरन]

एक बात श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का अभिनन्दन ग्रंथ ३० लाख रुपये में जबर्दस्ती बिकवाया गया तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच कर कर मैं उचित कार्यवाही करूंगा ।

देव कुमार जी से अनुरोध है कि यह विधेयक केवल इस उद्देश्य से लाया गया है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शान्ति रखें ।

श्री काली चरन—

यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है, ठीक से नहीं हो पातीं । पुरानी सरकार ने उसको इस तरह से अनियमित कर दिया है उसको नियमित करने के लिये यह छोटा सा विधेयक लाया गया है म माननीय देवकुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना संशोधन वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास होने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, आप, देवकुमार जी वापस लेते हैं ?

श्री देवकुमार—

श्रीमन्, मुझे खेद है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया भाषण न दें, यही बतायें कि वापस लेते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

कृपया मेरी बात सुन लें, मैंने अपना एक संशोधन रखा था....।

श्री अध्यक्ष—

संशोधन पर अभी विचार होगा, आपको तब समय मिलेगा ।

श्री देवकुमार—

मान्यवर, मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने उस मकसद को समझा ही नहीं जिस मकसद से मैंने अपना प्रवर समिति वाला संशोधन रखा था । मैंने तो इसलिये यह संशोधन रखा था कि यह विधेयक दिशाहीन है । ४ ऐक्टों का संशोधन एक ही विधेयक द्वारा किया जा रहा है । मैं अपना संशोधन वापस लेने में असमर्थ हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २ से ११

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ का संशोधन

२---उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ४ में, उपधारा (१-ख) में, खंड (ख) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकती है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४ द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १०, १९७३ की धारा ४ का संशोधन

३---मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (३) में, शब्द और अंक "दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ की धारा ४८० तथा ४८२" के स्थान पर शब्द और अंक "दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३४५ और ३४६" रख दिये जायेंगे ।

धारा ८ का संशोधन

४---मूल अधिनियम की धारा १२ में---

धारा १२ का संशोधन

(क) उपधारा (२) में,---

(एक) खंड (क) में, प्रारम्भ में शब्द "कुलपति की पदावधि समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व" बढ़ा दिये जायेंगे;

(दो) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"परन्तु जहां कार्य परिषद् खंड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खंड (ग) के अधीन अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद् के प्रतिनिधि के बदले में नाम-निर्दिष्ट करेंगे;"

(ख) उपधारा (५) में, शब्द "कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या

असहमत है" के पश्चात् शब्द "या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे ।

धारा १३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (१) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा ।"

धारा १७ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(क) उपधारा (१) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई नियम पूर्वगामी तारीख से, जो ३१ अक्तूबर, १९७५ से पूर्व न हो, बनाया जा सकता है";

(ख) उपधारा (३) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु सेवा में इस प्रकार के आमेलन से ऐसे आमेलन की तारीख के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने या जारी रखने के लिये कोई रोक नहीं होगी "।

धारा २० का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(घ) आगरा, गोरखपुर, मेरठ, कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालयों की स्थिति में,—

(i) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिसका विहित रीति से चयन किया जायगा;

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा,

और धारा ३७ की उपधारा (१) में उल्लिखित या उसके अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति में, सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य और चार अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा ।"

८—मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (१) में,— धारा २१ का संशोधन

(क) खंड (viii) में, शब्द "परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षाफल के प्रकाशन के सम्बन्ध में निदेश देना और" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ix) में, प्रारम्भ में शब्द "धारा ३७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(३—क) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतन-मान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवा निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सकें :

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिये ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।"

९—मूल अधिनियम की धारा २५ में, उपधारा (३) में, अंक '६०' के स्थान पर अंक '६५' रख दिया जायगा। धारा २५ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (४) में, उसके तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात् :— धारा २७ का संशोधन

"परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के उपाचार्यों द्वारा, और यदि कोई उपाचार्य नहीं है तो अन्य अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता-क्रम के अनुसार बारी-बारी से धारण किया जायगा।"

११—मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— धारा २९ का संशोधन

"(४) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (३) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।"

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१-ख) के खंड (ख) में प्रस्तावित परन्तुक में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन मास" रख दिये जायें।" मान्यवर, यह विधेयक अवश्य प्रगतिशील है, परन्तु इसका यह परन्तुक बहुत प्रतिक्रियावादी है। अधिनायक-वाद तन्त्र में तो एक आदमी को तानाशाही पर छोड़ दिया जाता है, परन्तु जनतन्त्र में नौकरशाही के ऊपर छोड़ दिया जाता है। २ वर्ष का समय उन कमेटियों के लिये काफी है। ३६ दिन में तो सारे लोक सभा का चुनाव हो गया, इतने ही दिनों में सारे प्रदेश में विधान सभाओं का चुनाव हो गया। इसलिये दो वर्ष का समय काफी है। उसको और नहीं बढ़ाना चाहिये। नौकरशाही के हाथों से इस परन्तुक को निकालने के लिये इसमें यह आवश्यक है कि मेरा संशोधन मान लिया जाय और १ वर्ष के स्थान पर समय तीन मास रख दिया जाय।

एक वर्ष की व्यवस्था का मतलब हुआ कि उन्हें एक वर्ष और समय मिले।

श्री कालीचरन--

श्रीमन्, स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तोमर जी, आप क्या अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मंत्री जी ने तो अपना शिष्टाचार नहीं निभाया। माननीय मंत्री जी अगर यह निवेदन करना चाहें, तो मैं विचार करूंगा।

श्री काली चरन--

श्रीमन् मैं माननीय सदस्य से कहता हूं। उनसे मेरा निवेदन है कि वह अपने सारे संशोधन वापस ले लें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि उनकी गरिमा और मर्यादा है तो सदस्यों की भी गरिमा और मर्यादा है। मैंने संशोधन सोचकर, समझकर तथा पढ़कर दिया है। मान्यवर, इसमें १९७३ से आज तक हर साल संशोधन हुए हैं और कल फिर करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी को परेशानी थी, तो नम्रता-पूर्वक कह सकते थे। दूसरे सारे संशोधनों को नहीं कह सकते। मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं, मंत्री जी कोई रास्ता निकालें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

अब खंड २ से लेकर ११ तक कोई संशोधन नहीं है, इसलिए प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर ११ तक इस विधेयक के अंग माने जायं--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२-१३

१२--मूल अधिनियम की धारा ३१ में--

धारा ३१ का संशोधन

(एक) उपधारा (२) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:--

"परन्तु यह और कि संबद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा :

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ जायगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के खंड (क) के अधीन कार्य परिषद् का अंतिम आदेश या, यथास्थिति, जब तक कि धारा ३५ के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दी जाय।";

(दो) उपधारा (३) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

"(ख) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर, नियुक्त किया हो जिसके छः मास से अधिक चलने की संभावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो वहां, यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबन्ध तंत्र यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खंड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात्, हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (२) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ;"

(तीन) उपधारा (४) में—

(१) खंड (क) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वह ऐसी रीति से चयन समिति के गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जो वे उचित समझे ।";

(२) खंड (ग) में—

(क) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ii) उन संकायों के जिनसे सम्बद्ध विषय महाविद्यालय में पढ़ाये जाते हों, संकायाध्यक्षों अथवा आचार्यों में से कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष या आचार्य;"

(ख) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा; अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की स्थिति में, संकायाध्यक्ष या आचार्य भी, जो उपखंड (ii) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, उन पांच संकायाध्यक्षों या आचार्यों के पैनल में से, जिनके लिये प्रबन्धतन्त्र में सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो, प्रबन्धतन्त्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे, और यदि ऐसे संकायाध्यक्ष या आचार्य अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों, तो सम्बन्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों का नाम पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है ।"

(चार) उपधारा (८) में, खंड (क) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।"

(पांच) उपधारा (११) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

"(११) (क) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से घोषित महाविद्यालय से भिन्न हो) का प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय ।

(ख) प्रबन्धतन्त्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिये कुलपति को प्रस्तुत करेगा ।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता या अनुभव नहीं रखता है, या अध्यापक के चयन के लिये अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबन्धतंत्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देगें :

परन्तु यह कि यदि कुलपति खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं देते हैं, या प्रबन्धतंत्र को उसके सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं भेजते है तो यह समझा जायगा कि उन्होंने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(१२) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतंत्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है जो पद के लिये विहित अर्हताएं रखता हो।

(१३) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्राचार्य उपधारा (४) के खंड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उक्त कालेज के आचार्यों में से नियुक्त किया जायगा, और उपधारा (१०) के उपबन्ध ऐसे चयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।"

१३—मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उपधारा (८) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:— धारा ३७ का संशोधन

"(९) उपधारा (२) और (८) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो कुलाधिपति प्रबन्धतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे।"

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड १२ (एक) में मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (२) में प्रस्तावित तीसरे परन्तुक की पंक्ति २ में शब्द "पूर्व" के पश्चात् शब्द "नोटिस दी जाय" निकाल दिए जायं तथा उनके स्थान पर शब्द "यदि खंड की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाय" रख दिय जायं।

इसकी मंशा मान्यवर, यह है कि यह प्रगतिशील कदम है। इसमें अगर संशोधन न हुआ तो इसमें एक फिर कमी रह जायगी, जो आगे वाले समय में इसमें कठिनाई पड़ेगी। उसमें मान्यवर, यह है कि अनुशासन की नोटिस दी जाय। यह कोई कार्यवाही नहीं है। एक नोटिस दे दिया। उसके ऊपर किसी भी अध्यापक को नौकरी न मिल पायेगी। मान्यवर, इन्टरमीडिएड ऐक्ट में यह परन्तुक है, जिसके अनुसार ६ सप्ताह के अन्दर अगर वहां पर कोई कार्यवाही उनके खिलाफ न हो तो उन्हें उस स्थान पर नियुक्त माना जायगा। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस विधेयक को प्रगतिशील बनाने के लिए इसे कृपया स्वीकार करें।

श्री काली चरन—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की भावना का आदर करते हुए संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि खंड १२ व १३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १४

धारा ४६ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा ४६ में, शब्द "ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने की शर्त के रूप में" के स्थान पर शब्द "ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में" रख दिये जायेंगे ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, "खंड १४ के अन्त में विराम हटा कर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

तथा उक्त धारा ४६ के अन्त में निम्नलिखित वाक्य और जोड़ दिया जाय :—

'इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करने या दोषी व्यक्ति परिनियमों में अथवा अन्य प्रकार से निर्दिष्ट उपायों द्वारा दंडित किया जायगा तथा ऐसे अधिकथित् फीस, अंशदान, दान तथा अन्य संदाय को वापसी के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा ।"

मान्यवर, यह परन्तुक भी बड़ा प्रगतिशील है । इससे पहले जो कठिनाई आयी है इसके लिये मैंने अपना संशोधन दिया है । मंत्रालय द्वारा यह त्रुटि रह गई है । मान्यवर, इससे पहले जो परन्तुक था कि प्रवेश के समय कोई दान, अंशदान नहीं लिया जाय । उसमें होता यह था कि प्रवेश के समय तो कोई दान नहीं लिया जाता था लेकिन बाद में कुछ समय के बाद में अंशदान लिया जाता था और उसके लिये किसी को दंड नहीं मिलता था । मंत्री जी ने यह व्यवस्था की है कि दाखिले के समय में और दाखिले के बाद भी कोई दान या अंशदान न ले पायेगा । लेकिन एक काम फिर रह जायगा कि जो ले लिया गया है उसका क्या होगा। मेरी राय में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और उनसे अंशदान वापस लिया जाय । मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन परन्तुक को

प्रगतिशील बनाने के लिये प्रस्तुत किया है । इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री काली चरन--

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को वह वापस ले लें ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जरूर सुन लिया जाय । सदन बहुत गंभीरता से सुन रहा है । माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य को । माननीय तोमर जी ने कुछ तर्क दिये हैं, अपने संशोधन दिये हैं, उन्होंने जो तर्क दिये हैं वह प्रभावित करते हैं और लोगों के दिमाग पर असर करते हैं । यह ड्रामा होता है तो तोमर जी खड़े होकर कहें कि मैं प्रस्ताव करता हूं, तो प्रस्तावक बन जायें और वह बात खत्म हो जाय । वरना उनके तर्क सुनने के बाद हमारा अधिकार है कि माननीय मंत्री जी के तर्क हम सुनें ।

(शोर)

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मिश्र जी ने ड्रामा इस्तेमाल किया है जो असंसदीय है । वह वापस लेना चाहिये ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, हर बार खड़े हो कर कहना कि वापस ले लिया जाय, और तर्क नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये उचित नहीं है । न्यायसंगत नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अध्यक्ष जी, माननीय मिश्र जी ने ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया है। यह असंसदीय है ।

श्री अध्यक्ष--

ड्रामा शब्द का प्रयोग असंसदीय नहीं है । आप बैठिये ।

एक सदस्य--

वह सब अभी सीख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्याम धर जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, माननीय तोमर जी ने अपनी बात कही । माननीय मंत्री जी समयाभाव के कारण तर्क नहीं दे सकते । इसके लिये समय निर्धारित है । उन्होंने अपील की वह आपकी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं कि आप अपना निर्णय उसके अनुसार करें ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मैं माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहनबीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५ से २० तक

नई धारा ४६-क का बढ़ाया जाना

१५—मूल अधिनियम की धारा ४६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"४६-क—जहां किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह महाविद्यालय को दिया गया और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।"

महाविद्यालय को अंशदान और दान

धारा ४९ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

(एक) खंड (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायंगे, अर्थात्—

"(घ) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) और उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं)";

(दो) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

"(ण) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा-निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;" ।

१७--मूल अधिनियम की धारा ५० में,--

धारा ५० का संशोधन

(एक) उपधारा (१-क) में, शब्द "ऐसे परिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर" के स्थान पर शब्द और अंक "३१ दिसम्बर, १९७७ तक" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "प्रथम परिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "३१ दिसम्बर, १९७७ के पश्चात्" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

१८--मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (२) में, खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

धारा ५१ का संशोधन

"(झ) अभिभावक--शिक्षक एसोसियेशन की रचना;"।

१९--मूल अधिनियम की धारा ६०-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

नई धारा ६०-गग का बढ़ाया जाना

"६०-गग--कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकता है कि ऐसा अध्यापक जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवा-निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सके :

अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिये ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।"

धारा ६८ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ६८ में, द्वितीय परन्तुक में, खंड (ग) निकाल दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

समय कम है इसलिये उचित होगा कि अपने संशोधन पढ़ दें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं सब संशोधनों को पढ़ देता हूं ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ४६—क की पंक्ति ६ में शब्द "गया" तथा शब्द "और" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"तथा ऐसे अंशदान या दान का अन्यथा प्रयोग किये जाने, दुरुपयोग किये जाने अथवा उसे नष्ट किये जाने की दशा में कुलपति ऐसे अंशदान या दान के सब मूल्य की रकम सम्बद्ध या सह—युक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के सदस्यों पर नियत रीति से अधिभार (surcharge) लगाकर वसूल करने के लिये प्राधिकृत होगा ।"

श्री काशीचरन—

मान्यवर, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १५ से खंड २० तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१ से ३१ तक

२१—मूल अधिनियम की धारा ६८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्— नई धारा ६८—क का बढ़ाया जाना

"६८ क—(१) जहां सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, या पंक्तिच्युत करने या किसी अन्य रीति से उसे दण्ड देने या उसकी सेवा समाप्त करने के विनिश्चय का कुलपति ने अनुमोदन नहीं किया है या जहां इस अधिनियम के या धारा ७४ द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलपति ने ऐसे अध्यापक के निलम्बन के आदेश को स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर दिया है, और प्रबन्धतंत्र ने ऐसे अध्यापक के वेतन का जो कुलपति के आदेश के परिणामस्वरूप उसे देय हो गया है, भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, वहां कुलपति यह आदेश दे सकता है कि प्रबन्ध तंत्र वेतन की उस राशि का भुगतान करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो तथा निलम्बन काल में, देय वेतन का १/२ की दर से निलम्बन भत्ता, यदि भुगतान न किया गया हो तो, भुगतान करने के लिये भी प्रबन्ध-तंत्र को आदेश दे सकता है।"

प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अपना आदेश प्रवृत्त करने की कुलपति की शक्ति

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी मामले में, कुलपति सम्बद्ध अध्यापक की ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा वह उचित समझे, बहाली का भी आदेश दे सकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन कुलपति के किसी आदेश में भुगतान के लिए अपेक्षित वेतन या निलम्बन भत्ता की धनराशि कुलपति द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र पर, कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायगी।

(४) उपधारा (२) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारितायुक्त निम्नतम सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानों वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

(५) किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है, किसी प्रबन्धतन्त्र या अध्यापक के विरुद्ध कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा।"

२२—मूल अधिनियम की धारा ७२ में, उपधारा (२) में, उसके परन्तुक में, अंक "१९७६" के स्थान पर अंक "१९७७" रख दिये जायेंगे। धारा ७२ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा ७२-क में, खंड (ग) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे और सर्वत्र से ऐसे नये समझे जायेंगे। धारा ७२-क का संशोधन

धारा ७३ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा ७३ में, उपधारा (१) में, उसके परन्तुक में, शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "३१ दिसम्बर, १९७७ के पश्चात्" रख दिये जायेंगे ।

धारा ७४ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ७४ में, उपधारा (३) में,—

(१) खंड (ख) निकाल दिया जायगा ;

(२) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"(झ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे आगरा विश्वविद्यालय ने काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से १९७४ की बी० ए० भाग १ या एम० ए० भाग १ की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी थी और जिसे उक्त परीक्षाफल पर सफल घोषित किया गया है, उसे आगरा विश्वविद्यालय विद्या वर्ष १९७४-७५ और १९७५-७६ के दौरान काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, बी० ए० भाग २ या एम० ए० भाग २ की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा, और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायगी;

(ञ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (जिसे आगे इस खंड में उक्त विश्वविद्यालय कहा गया है) धारा ७ के खंड (५) में निर्दिष्ट परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और ऐसे परीक्षाकाल पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी, यद्यपि ऐसा व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में नहीं रहता था ।"

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९७२ की धारा ४ का संशोधन

२६—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ४ में,—

(क) उपधारा (२) में—

(एक) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(गग) उन सभी बेसिक स्कूलों का प्रबन्ध लेना जो नियत दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय के थे;" ;

(दो) अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विहित संशिक्षण-क्रम और पुस्तकें और मान्यता प्राप्त संस्थायें इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा विहित या मान्यता-प्राप्त समझी जायेंगी।";

(ख) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

"(३) उपधारा (२) के खंड (गग) या खंड (घ) के अधीन बेसिक स्कूलों का, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिये ऐसे स्कूलों के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय की शक्ति और कृत्य परिषद् को अन्तरित हो जायेंगे।"

धारा ९ का संशोधन

२७—मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (३) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल के" के स्थान पर शब्द "बेसिक स्कूल के, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे" रख दिये जायेंगे।

धारा १२ का संशोधन

२८—मूल अधिनियम की धारा १२ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द और कोष्ठक "(चाहे वह किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय का हो)" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (२) से (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

"(२) निदेशक किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को निरीक्षण करने पर या अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का निदेश दे सकता है।

(३) यदि बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिये मामला परिषद् को निर्दिष्ट कर सकता है।

(४) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (३) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।"

धारा १७ का संशोधन

२९—मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (२) में, शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश ३१ दिसम्बर, १९७७ के पश्चात्" रख दिये जायेंगे।

धारा १८ का संशोधन

३०--मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (३) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव रखा गया समझा जायेगा, अर्थात् :--

"(ख) बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में धारा ७३ लागू न होगी;"।

धारा १८-क का बढ़ाया जाना

३१--मूल अधिनियम की धारा १८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायेगी, अर्थात्--

कतिपय भवनों के सम्बन्ध में परिषद् का किरायेदार होना

"१८-क--(१) जहां किसी भवन या उसके भाग पर किसी स्थानीय निकाय का किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिये नियत दिनांक पर किरायेदार के रूप में अध्यासन हो, वहां ऐसे भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में किरायेदारी, उक्त दिनांक से परिषद् के पक्ष में अन्तरित हो जायेगी ।

(२) जहां किसी स्थानीय निकाय के किसी भवन या उसके भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजनों के लिये नियत दिनांक पर स्थानीय निकाय का अध्यासन था, वहां परिषद्, उक्त दिनांक से ऐसे भवन या भाग के सम्बन्ध में, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेंसधारी हुआ समझा जायेगा ।

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, पट्टा या अन्य संलेख, या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।"

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २१ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ६८-क की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (३) रख दी जाय :--

"उपधारा (१) के अधीन कुलपति के किसी आदेश का अनुपालन प्रबन्धक द्वारा १ मास से अनधिक की अवधि में न किये जाने की दशा में कुलपति कलेक्टर को वसूली का प्रमाण-पत्र जारी करेगा तथा कलेक्टर अपेक्षित धनराशि को प्रबन्धक से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा ।"

श्री कालीचरन--

मान्यवर, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें--

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मैं माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है श्री सोहनवीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ से लेकर खंड ३१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(विरोधी पक्ष से कुछ आवाजें आने पर)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से नेता विरोधी दल के कष्टों का निवारण करने के लिये मैं उनका काम कर रहा हूं । यह तो उनका काम था लेकिन वह तो प्रवर समिति में भेजने की बात करते हैं । इसलिए जनता पार्टी का और विरोधी दल दोनों का ही हम लोग काम कर रहे हैं ।

खंड--३२

अध्याय चार

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ का संशोधन

३२--मूल अधिनियम की धारा ७-ग में, शब्द "ऐसी संस्था में प्रवेश देने की शर्त के रूप में" के स्थान पर शब्द "ऐसी संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में" रख दिये जायेंगे ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २, १९२१ की धारा ७-ग का संशोधन

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ३२ के अन्त में विराम हटाकर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"तथा धारा ७-ग के अन्त में निम्नलिखित वाक्य और जोड़ दिया जाय :

"इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी व्यक्ति विनियमों अथवा अन्य प्रकार से निर्दिष्ट उपायों द्वारा दंडित किया जायगा तथा इस प्रकार दी गयी फीस, अंशदान, दान या किसी अन्य संदाय की वापसी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा ।"

श्री काली चरन--

मान्यवर, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मैं माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--३३-३४

नयी धारा ७-ङ का बढ़ाया जाना

३३--मूल अधिनियम की धारा ७-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

दान का उचित उपयोग

"७-ङ--जहां किसी संस्था द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो, या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायगा जिसके लिये वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में, नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।"

धारा १५ का संशोधन

३४--मूल अधिनियम की धारा १५ में, उपधारा (२) में, खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ड) अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन की रचना।"

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन रखता हूं :

खंड ३३ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ७-ङ की पंक्ति ५ के शब्द "है" तथा शब्द "और" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिए जायं :

"तथा ऐसे अंशदान या दान का अन्यथा प्रयोग किए जाने, दुरुपयोग किए जाने अथवा उसे नष्ट किए जाने की दशा में उसकी सम मूल्य की रकम संस्था की प्रबन्ध समिति के सदस्यों से नियत रीति से वसूल की जायगी।"

श्री काली चरन--

माननीय सदस्य से निवेदन है कि अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

माननीय मंत्री जी का अनुरोध स्वीकार है और मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३३ और ३४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--३५ से ३८ तक

नयी धारा १६-छछ का बढ़ाया जाना

३५--मूल अधिनियम की धारा १६-छ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना

"१६-छछ--(१) धारा १६-ङ, १६-च और १६-चच में, किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था के अध्यापक की जो १८ अगस्त, १९७५ और ३० सितम्बर, १९७६ (जिसमें दोनों दिनांक सम्मिलित हैं) के बीच स्पष्ट रिक्ति में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है और विहित अर्हतायें रखता है या जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गई है, इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से, मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायगा, बशर्ते कि ऐसा अध्यापक अपनी नियुक्ति के दिनांक से इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

स्पष्टीकरण :--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, उस अवधि, जिसमें अध्यापक की सेवा में उसकी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के बीच कोई व्यवधान किसी ऐसे कारण से हुआ है जो उसके दुराचरण या स्वेच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है, पर ध्यान नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि ऐसा अध्यापक अपनी सेवा में व्यवधान की किसी ऐसी अवधि के लिए किसी वेतन या भत्ते का हकदार है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा ।

(३) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक--

(क) किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक पर ऐसे पद पर पहले ही नियुक्ति कर दी गयी है या ऐसे पद के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार चयन किया जा चुका है, या

(ख) मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि ऐसा अध्यापक सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य (प्रिंसिपल) या प्रधानाध्यापक (हेड मास्टर) या उसकी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य का सम्बन्धी है ।

स्पष्टीकरण:--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को दूसरे से सम्बन्धित समझा जायगा, यदि--

(क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों ; या

(ख) वे पति और पत्नी हों ; या

(ग) अनुसूची में इंगित रीति से एक दूसरे से सम्बन्धित हों।"

धारा १६-ज का संशोधन

३६--मूल अधिनियम की धारा १६-ज में, उपधारा (२) के अन्त में, शब्द "और इस प्रकार लागू किये गये उपबन्ध, यदि कोई हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे," बढ़ा दिये जायेंगे ।

अनुसूची का बढ़ाया जाना

३७--मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"अनुसूची"

(धारा १६-छछ देखिये)

सम्बन्धियों की सूची

१--पिता

२--माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)

३--पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)

४--पुत्र-वधू

५--पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)

६--पिता का पिता

७--पिता की माता

८--माता की माता

९--माता का पिता

१०--पुत्र का पुत्र

११--पुत्र की पुत्र-वधू

१२--पुत्र की पुत्री

१३--पुत्र की पुत्री का पति

१४--पुत्री का पति

१५--पुत्री का पुत्र

१६--पुत्री की पुत्री-वधू

१७--पुत्री की पुत्री

१८--पुत्री की पुत्री का पति

१९--भाई (जिसमें सौतेला भाई भी सम्मिलित है)

२०--भाई की पत्नी

२१--बहिन (जिसमें सौतेली बहिन भी सम्मिलित है)

२२--बहन का पति

२३--पत्नी (या पति) का भाई

२४--पत्नी (या पति) का पिता

२५--पत्नी (या पति) की बहन

२६--भाई का पुत्र

२७--भाई की पुत्री"

अध्याय पांच

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९ १९७४ की धारा २८ का संशोधन

३८--उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ की धारा २८ में, उपधारा (१) में, उसके परन्तुक में शब्द "इस अधिनियमन के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति" के स्थान पर शब्द और अंक "३१ दिसम्बर, १९७७" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

[श्री अध्यक्ष]—

अध्याय छः

प्रकीर्ण

३९—(१) उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, १९७७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश और उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, १९७६ द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन, चार और पांच में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्स्थान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९७७ उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३६, १९७६

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन रखता हूं कि "खंड ३५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १६—छ में उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (९—क) के रूप में रख दी जाय:—

"(९—क) धारा १६—ङ, १६—च और १६—चच में किसी बात के होते हुए भी किसी संस्था के अध्यापक को जो इस समय स्पष्ट रिक्त स्थान पर इस आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा है कि वह विहित अर्हतायें नियुक्ति के समय नहीं रखता था, किन्तु जिसने बाद में विहित अर्हताएं प्राप्त कर ली हों इस धारा के प्रारम्भ के बाद उस दिनांक से अपने पद पर मौलिक रूप से नियुक्त समझा जायगा, जिस तिथि से उसने विहित अर्हताएं प्राप्त की हों, बशर्ते ऐसा अध्यापक अपनी नियुक्ति के दिनांक से संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

श्री काली चरन—

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, बहुत भारी मन से माननीय मंत्री जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए इस निवेदन के साथ अपना संशोधन वापस लेता हूं कि वह सामने बैठे हुए लोगों की प्रतिक्रिया की नकल न करते हुए अपने शिक्षा विभाग से इन संशोधन की औचित्यता पर विचार करवा लें और देखें कि क्या वास्तव में यह जो नये परिप्रेक्ष्य में आज की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में सहायक हो सकते हैं या नहीं। उनसे इस बात की आशा करते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष,—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"खंड ३५ मे उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १६–छछ की उपधारा (३) के खंड (क) में से शब्द 'या ऐसे पद के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार चयन किया जा चुका है' निकाल दिए जायें ।"

श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में दो शब्द यह कहने हैं कि इस धारा के रहते हुए हमारे जिले में कम से कम ५० अध्यापकों का गला नप रहा है । न हमारे जिले में वरन् अन्य जिलों में भी हजारों अध्यापक बिना नौकरी के हो जायेंगे । मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे स्वयं एक अध्यापक रहे हैं इसलिए उनको उदारतापूर्वक सवाल पर सोचना चाहिए । हजारों अध्यापक बेरोजगार हो जायेंगे । जनता पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टों में जहां रोजगार देने की बात है, बेरोजगार करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है । उस पर उदारता से सोचें, समझें और उदारतापूर्वक इस पर विचार करें ।

श्री काली चरन—

श्रीमन्, माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री विद्या शंकर—

मैं संशोधन वापस नहीं ले रहा हूं । श्रीमन्, इसके साथ ही मैं शिक्षा मन्त्री से कहना चाहता हूं कि अगर मैं वापस लेता हूं तो इसके माने यह है कि जो हजारों अध्यापक हैं, उनकी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । इसलिए मैं उनकी आत्मा को मारना नहीं चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खंड ३५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १६–छछ की उप धारा (३) के खंड (क) में से शब्द "या ऐसे पद के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार चयन किया जा चुका है" निकाल दिए जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, हां की संख्या अधिक है ।

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी, मैं संतुष्ट हूं कि 'नहीं' की संख्या अधिक है, इसलिए विभाजन की आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३५ से ३९ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड-१, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, १९७७ कहा जायगा--

(२) यह २१ अप्रैल, १९७७ से प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

काली चरन--

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, दो बातें कहना चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन बच्चों का क्या होगा जिनके लिए उन्होंने वचन दिया है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही है । दूसरी चीज आर० पी० डिग्री कालेज है, हमारे यहां, उसकी सारी व्यवस्था हो गयी--पैसा जमा भी हो गया (व्यवधान)...लेकिन फाइल केन कमिश्नर के दफ्तर में पड़ी है । माननीय मन्त्री जी उसको भिजवायें जिससे कालेज को मान्यता मिले और बच्चों का प्रवेश हो सके ।

श्री अध्यक्ष--

क्या यह प्रश्न है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, पहले तो मेरा निवेदन माननीय मुख्य मन्त्री जी से है कि यह गलत परम्परा होगी कि सात-सात, आठ-आठ एमेन्डमेन्ट होते जा रहे हैं। इस परम्परा को खत्म किया जाना चाहिए। यदि आपको एमेन्डमेन्ट कराना ही है तो अलग से करायें।

इस विधेयक में कुछ बुनियादी प्रश्न पाये गये और हमें उम्मीद थी कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी उन प्रश्नों पर कोई उत्तर देंगे। मान्यवर, जनता सरकार के आने के बाद शिक्षा का बिल आया है शिक्षा के बारे में, जनता पार्टी की एक घोषित नीति थी और हमारा विश्वास था कि उस नीति के मुताबिक यह बिल पेश किया जायगा। मिसाल के तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर सरकार की क्या नीति है? शासक दल के अतिरिक्त जितने घटक हैं उनमें से अधिकांश घटक की यह नीति रही है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। आज इसकी आवश्यकता इसलिये है कि कोई वित्तीय कठिनाई नहीं पड़ेगी। जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें हैं, उनका पूरा जो वित्तीय भार है, वह सरकार वहन करती है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग प्राइवेट मैनेजमेंट करे, यह उचित नहीं है। यह बुनियादी प्रश्न है इसलिये माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे।

सदन के समय में पुनः वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आध घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, १९७७ (क्रमागत)

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरन)--

श्रीमन्, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में अभी सरकार इस सम्बन्ध में कुछ सोच नहीं रही है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

प्रवेश की समस्या के बारे में माननीय मन्त्री ने कुछ नहीं कहा।

(श्री सुखपाल पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखपाल पांडेय पहले बैठें। माननीय मन्त्री पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि वह प्रदेश में प्रवेश की समस्या को हल करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मेरा निवेदन है कि जो कटमोशन पेश किये गये, उनमें एक भी संशोधन ऐसा नहीं था जो टू दी प्वाइंट होता।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको अनुमति नहीं देता । आप बैठें ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैंने अपने वक्तव्य के दौरान मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि इस विधेयक में क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों की कोई सूची नहीं है । दूसरे यह भी कहा था कि कुछ अनधिकृत लोगों ने चरित्र पंजिकाओं में एंट्रीज दे दी हैं । इस सम्बन्ध में क्या माननीय मन्त्री आश्वासन देंगे कि यह लिस्ट बनेगी और अनधिकृत लोगों के जरिये जो एंट्रीज दी गयी हैं, उनको हटा दिया जायगा ?

श्री काली चरन--

इस समय तो आप इसको पास कर देते तो मेरी मदद करेंगे । मैं इतनी सूचना दे दूं कि हम इसकी जांच करा लेंगे । ऐसा नहीं होगा तो उसे कार्यान्वित करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम ५१ के अन्तर्गत प्राप्त लोक महत्व की सूचनाओं को लेता हूं । ८ सूचनायें समय के अन्दर प्राप्त हुई और तीन समय के बाद । इसमें श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना है--

"फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के सुरहरपुर परगना में लगभग १०० गांवों में चकबन्दी ऐक्ट की धारा ४ के तहत गजट जो डेढ़ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो गया था, का अब रद्द करने से फैजाबाद की जनता में क्षोभ ।"

श्री रियासत हुसैन का मुरादाबाद मन्डल को तोड़ने के सरकार के निर्णय से मुरादाबाद, बिजनौर तथा रामपुर में घोर असंतोष ।"

श्री गनेशी लाल चौधरी का "फर्रुखाबाद जिले में भारी वर्षा के कारण जीवन अस्त व्यस्त होने से संकट ।"

ओम प्रकाश उर्फ श्री राम मिलन सिंह, श्री कल्पनाथ सिंह का "बस्ती जिले में पुलिस प्रशासन एकदम लुंजपुंज होने के कारण जिले में रोजाना कत्ल तथा डकैतियों की घटनायें होने से जनता में भय तथा आतंक ।"

सर्वश्री इन्द्र मणी बड़ौनी, प्रताप सिंह, वफिया लाल, जुग्रांठा 'अरविन्द' रणजीत सिंह, सूरबीर सिंह और गोविन्द सिंह मेहरा का बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों द्वारा १३ जुलाई से शिक्षा मन्त्री के आवास के सामने धरना तथा कलमबन्द हड़ताल से जनता में परेशानी ।

श्री रमा शंकर कौशिक का "छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश न मिल पाने के कारण अभिभावकों में व्यापक परेशानी तथा असंतोष ।"

श्री देव बहादुर सिंह का "जनता पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश में शासन द्वारा भारी पैमाने पर स्थानान्तरण किये जाने से जन साधारण में उत्पन्न कठिनाई ।"

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह का "राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज,बस्ती में कक्षा ६, ७ व ८ के लिए सेक्शनों की कमी से छात्रों को परेशानी ।"

ये जो हैं समय से प्राप्त हुए थे । इनमें से श्री ओम प्रकाश शर्मा राममिलन सिंह और श्री कल्पनाथ सिंह का जो गृह मन्त्री जी से सम्बन्धित है, स्वीकार किया है । बाकी श्री विद्याशंकर पान्डेय श्री दशरथ सिंह, श्री चन्द्रपाल का समय के बाद प्राप्त हुए हैं, इसलिए वह अनियमित हैं ।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं । माननीय शिक्षा मन्त्री जी के निवास स्थान पर लोग धरना दिये हैं और प्रत्येक जिले में कलमबन्द हड़ताल है । इसके सम्बन्ध में हमने यह प्रस्ताव दिया था जो आपने अस्वीकार कर दिया है । मान्यवर, हमारा भी कुछ कर्तव्य है इस एसेम्बली में हम किसी बात को नहीं उठा पायेंगे तो कैसे हम अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर सकेंगे ? इससे हम अपने कर्तव्यों से च्युत होते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने अपने कर्त्तव्य का पालन किया और मुझे भी अपने कर्त्तव्य का पालन करने दें ।

श्री इन्द्र मणी बड़ौनी—

सरकार को भी अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह प्रस्ताव माननीय शिक्षा मन्त्री जी के पास विचारार्थ भेज दिया गया है । वह इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री राम नरेश यादव (मुख्य मन्त्री)--

मान्यवर, यह जो बस्ती जिले की घटनाओं के सम्बन्ध में है इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए मुझे समय की आवश्यकता है। उसके बाद ही मैं इस योग्य हो सकूंगा कि आपके समक्ष वक्तव्य दे सकूं।

श्री अध्यक्ष--

२३ तारीख तक विधान सभा की बैठक है तब तक आप दे दीजिये।

श्री राम नरेश यादव)--

२३ तारीख को दे दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, माननीय सदस्य, रियासत हुसैन जी ने मुरादाबाद मंडल तोड़ने के बारे में जो सूचना मुख्य मन्त्री जी को दी है, इस सम्बन्ध में क्योंकि मेरे पास भी तार आये हैं, बार एसोसियेशन ने भी तार दिये हैं वहां पर बड़ा असंतोष है। इसलिए जब तक इस सम्बन्ध में परामर्श न हो जाय और जनता पार्टी में भी नेशनल कसेंस की बात कही है। मेरा निवेदन है कि मुरादाबाद मंडल और कानपुर देहात को तोड़ने का जो निर्णय है उसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी को भेज दिया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैंने भी एक दिया था, जो प्रदेश में तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे एक आदमी भी चैन से नहीं है। मुख्य मन्त्री जी इस पर भी कुछ कह दें।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मन्त्री जी यदि कुछ कहना चाहें तो मैं रोकूंगा नहीं लेकिन वह कुछ कहना नहीं चाहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मौन स्वीकृति लक्षणम्।

श्री रामनरेश यादव--

ऐसी बात नहीं।

बिजली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की नोटिस दिए जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही (विद्युत् मन्त्री)--

मान्यवर, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो अपनी आशंका प्रकट की थी कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश के ११ करोड़ लोग अन्धकार में चले जाएंगे और इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के मन में जो आतंक पैदा हो गया था, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई

घटना नहीं घटी और सारे प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति उसी तरह होती रही। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे विद्युत् कर्मचारियों ने जिन्हें बहुत तरह से राजनैतिक भावना से भी प्रेरित किया गया, सरकार की भावना को समझा और वह इस बात को समझ गए कि सरकार की तरफ से बात करनी चाहिए और उन्होंने स्वयं हड़ताल ही सिर्फ वापस नहीं ली, बल्कि उन्होंने एप्रिशिएसन भी रिकार्ड किया, जिस तरह का रूख सरकार ने उनके साथ अपनाया उसके लिए उन्होंने इसके लिए आभार प्रकट किया। जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है :

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में कर्मचारियों की ४१ यूनियनें कार्यरत हैं, जिनमें से निम्नलिखित छः यूनियनों द्वारा उनके सामने अंकित दिनांक २० जुलाई, १९७७ को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किये जाने की नोटिस परिषद् मुख्यालय में प्राप्त हुई है :

यूनियन का नाम	नोटिस की तिथि
१--यू० पी० बिजली कर्मचारी संघ	७-६-७७
२--यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन	५-७-७७
३--यू० पी० इलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशन	५-७-७७
४--राज्य विद्युत् परिषद् जूनियर इन्जीनियरर्स संगठन, उत्तर प्रदेश	५-७-७७
५--हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन (श्री राजा राम मिश्र ग्रुप)	५-७-७७
६--उत्तर प्रदेश विद्युत् कार्यालय कर्मचारी संयुक्त परिषद् ..	५-७-७७

यूनियनों की मुख्य मांग है :

१--१ अप्रैल, १९७४ से द्विपक्षीय वार्ता द्वारा वेतन मांगों का पुनरीक्षण।

२--महंगाई भत्ते की दर ७५ पैसे प्रति प्वाइन्ट से बढ़ा कर एक रुपये ३० पैसे प्रति प्वाइन्ट दिया जाय।

३--अन्तरिम सहायता की घोषणा।

४--८-३३% की दर से एक्सग्रेसिया (बोनस) का भुगतान।

५--अनिवार्य जमा योजना में जमा धनराशि की तुरन्त वापसी।

६--प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति की व्यवस्था तथा

७--आपातकालीन स्थिति के दौरान कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरण निलम्बन का रद्द किया जाना।

वेतन पुनरीक्षण, तथा महंगाई भत्ते के निर्धारण पर विचार करने हेतु राज्य सरकार ने १२ अप्रैल, १९७७ को एक समिति का गठन किया है, इसमें शासन राज्य

(श्री रवीन्द्र किशोर शाही)

विद्युत् परिषद् एवम् श्रम संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। समिति की सलाह के लिये श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। वेतन समिति को संस्तुति देने के लिये ३ माह का समय निर्धारित किया गया था। क्योंकि इस दरमयान समिति अपना कार्य सम्पूर्ण नहीं कर पाई। मैंने कर्मचारियों की दिनांक १२ जुलाई, १९७७ की एक सभा में यह घोषित किया कि समिति की कार्यावधि ३ माह के लिए और बढ़ा दी जायेगी।

एक्सग्रेशिया (बोनस) की दर तथा अनिवार्य जमा योजना में जमा धनराशि की वापसी के प्रश्न पर भारत सरकार के आदेश अपेक्षित हैं।

पदोन्नतियां सेवा नियमों के आधार पर की जाती हैं।

जहां तक आपातकालीन स्थिति के दौरान स्थानान्तरण और निलम्बन का प्रश्न है राज्य विद्युत् परिषद् ने आदेश पारित कर दिये हैं कि यदि किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ है तो वह रद्द कर दिया जायेगा।

विद्युत् परिषद् प्रांगण में दिनांक १२ जुलाई, १९७७ को कर्मचारियों को एक सभा को सम्बोधित करते हुए मैंने कहा कि कर्मचारी संघ धैर्य रक्खें। उनकी मांगों पर सक्रिय रूप से विचार किया जायेगा और जहां तक अन्तरिम सहायता का प्रश्न है इस विषय पर भी कर्मचारी प्रतिनिधियों के वार्ता की जायेगी। अतः हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है।

दिनांक १५ जुलाई, १९७७ के एक पत्रकार सम्मेलन में पुनः इन्हीं बातों को मैंने दोहराया। मैंने यह भी कहा कि इन बातों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा सुलझा लिया जाना चाहिये। तदनुसार दिनांक १८ जुलाई, १९७७ को मैंने कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान श्रमिक वर्ग की ओर से मुख्य प्रश्न उठाया गया क्या शासन कर्मचारियों की समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा सुलझाने को तैयार है? इस के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि पहले भी इस संबंध में मैंने आश्वासन दिया है और आगे भी इस सम्बन्ध में शासन का प्रयास जारी रहेगा। बैठक में श्रमिक वर्ग की ओर इस पर भी बल दिया गया कि अन्तरिम सहायता की घोषणा तुरन्त की जानी चाहिये। मैंने यह स्पष्ट किया कि इस मामले पर वित्तीय संसाधनों तथा प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय किया जाना सम्भव है।

बैठक के दौरान राज्य विद्युत् कार्यालय कर्मचारी संघ के महा मंत्री, हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन के एक वर्ग के प्रतिनिधियों तथा कानपुर बिजली मजदूर सभा के महा सचिव ने घोषित किया कि प्रस्तावित हड़ताल में वे शामिल नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि दिनांक १७ जुलाई, १९७७ को आकाशवाणी द्वारा एक वक्तव्य का प्रसारण किया गया जिसमें यह घोषणा की गयी है कि प्रस्तावित हड़ताल में १७ यूनियनें भाग नहीं लेगी।

मुझे सदस्यों को यह सूचित करना है कि दिनांक १९ जुलाई, १९७७ को परिषद् तथा उक्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के मध्य द्विपक्षीय वार्ता के फलस्वरूप प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गयी है। यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हड़ताल वापसी के लिये लिखित रूप से परिषद् को १९ जुलाई, १९७७ की सायं को सूचित कर दिया है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की है। उनके पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

---

*(प्रतिलिपि के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर ५२१ पर)

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, जो पत्र संलग्न किया गया है विद्युत् कर्मचारी संयुक्त समिति का उसमें दो बातें ऐसी लिखी गयी हैं जो माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में नहीं है।

"(2)Vidyust Mantriji has kindly agreed to review and reorientate the electricity policy in view of ecurring power crisis."

यानी मंत्री जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि विद्युत् नीति को ही बदलेंगे और दोबारा नया रूप देंगे पावर क्रइसिस को देखते हुए।

"(2) We are happy that the need for wage revision has been accepted in principle."

वेज रियाइज किये जायेंगे यह सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है।

श्रीमन् जो वक्तव्य दिया गया है, अभी तक प्रथा इस तरह से वक्तव्यों की नहीं रही है कि प्रेस सम्मेलन में मैंने यह कहा। ऐसा वक्तव्य होता जिसमें प्रश्नों का समाधान होता तो उचित था। विद्युत् मंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक वजहों से हड़ताल करायी जा रही थी। तो राजनीतिक वजह से हड़ताल वापस भी ली गयी। जहां वापस हुई उतना नहीं कहा। लेकिन आरोप लगा किया। कौन राजनीतिक लोग थे जो प्रेरणा दे रहे थे और किन लोगों ने प्रेरणा दे कर वापस लिया, यह दो स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया उसके बारे में मुझे यह कहना है की जो मुख्य मांगे थी उनका उल्लेख कर दिया है। बातचीत के दौरान और जो सरकार की नीतियां सामने आयीं उससे यह बात स्पष्ट है कि विद्युत् परिषद् के रिओरियन्टेशन के बारे में जो बात है वह मैंने सिद्धांत मान ली है। उसको हम कर रहे हैं हमारे सामने यह बात आयी कि उत्तर प्रदेश के विद्युत परिषद के मुकाबले में सारे देश के विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलता है, केवल कुछ जगहों को छोड़कर। पिछली सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। प्रश्न यह है कि जो श्रमिक हैं उनके वेतन निधारण का कौन सा माप दन्ड बनाया जावे। इसको कारपोरेशन से मिलाया जाये या देश के अन्य जो विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन मिलता है उससे मिलाया जाये या जो हमारे यहां पर राज्य कर्मचारियों को वेतन मिलता है उससे मिलाया जाये। इसलिए मैंने यह बात सही कि सिद्धान्ततः हम इसको स्वीकार करते हैं। इन्टरिम रिलीफ और वेज बोर्ड कमेटी बनायी गयी है वह अपनी जगह पर है। यह दो बातें थीं, इनको मैंने स्पष्ट कर दिया है। तीसरी बात जो माननीय नेता विरोधी दल ने कही उसके बारे में भी मैं कह देना चाहता हूं। मैंने जो बात कही, उसके पीछे राजनैतिक पुट था। यह एक वास्तविकता है। मान्यवर ३० तारीख की हड़ताल प्रस्तावित थी। इसके पीछे नयी सरकार के आने के पूर्व एक योजना बनी और उसको प्रोवोक करने के लिए जो कोशिशें की गयीं। जो मजदूर इमरजेन्सी के दौरान जिस सरकार की जय जयकार करते थे और मजदूरों की कम चिन्ता करते थे उन सबका मिला जुला हाथ था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज बहादुर सिंह (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस वक्तव्य की प्रतियां माननीय सदस्यों को भी मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मिली नहीं हैं। सभी को इसकी प्रतियां बांटी जानी चाहिए।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मैंने प्रातः कह दिया था कि प्रतियां बांट दी जायें।

श्री अध्यक्ष—

सबको नहीं दे पाये हैं लेकिन ५०-६० प्रतियां वितरित कर दी गयी हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी जिस स्प्रिट के साथ इसको घोषित किया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि श्री हरीश तिवारी के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। आपसे निवेदन है कि आप उसकी जांच करावें। अब तो राजीनामा हो गया है तो सौहार्द का वातावरण होना चाहिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १२ अप्रैल, १९७७ को जो समिति बनाई गई थी उसने अपने कार्यकाल में कार्य पूरा नहीं किया जिससे परिषद के कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त है और जिसका कार्यकाल १२ जुलाई से फिर बढ़ा दिया गया है तो नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक नई समिति का गठन करने का कष्ट करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

अभी तो जो प्रश्न हमारे सामने है, उसको ही देखा है। उस समिति ने बहुत सारे आंकड़े आदि इकट्ठे किए हैं इसलिए यह मजदूरों के ही हित में होगा कि उसकी रिपोर्ट आ जाय और उस पर सरकार को विचार करने का अवसर मिले। इसलिए उस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और जैसा उचित होगा कार्य किया जायगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

वह समिति अभी तक अपनी रिपोर्ट देने में असमर्थ रही है। अतः उसको भंग करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। आपने एक प्रश्न कर लिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, यूनियन की हड़ताल की जो नोटिस थी उसमें एक मांग यह भी थी कि विद्युत परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े गम्भीर आरोप लगाये गए हैं जो इस समय समझौता हुआ है क्या उसमें भी इसका कोई तजकिरा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

गम्भीर भ्रष्टाचार के बारे में यूनियन को कोई बात लिखकर नहीं दी है लेकिन मैंने पुनर्गठन की चर्चा की है। इसको मैंने पहले भी कहा है और माननीय सदस्यों ने पढ़ा भी होगा कि अखबारों में कि विद्युत परिषद के पुनर्गठन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं एक से अधिक प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दूंगा ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, इस वक्तव्य को सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई ,

श्री अध्यक्ष--

आप जो प्रश्न पूछना चाहें वह पूछें ।

श्री देव कुमार--

इस वक्तव्य को पढ़ कर ऐसा लगा कि इसमें पर्सनल कल्ट है । माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पढ़ा है कि "जहां तक आपातकालीन स्थिति के दौरान स्थानान्तरण और निलंबन का प्रश्न है राज्य विद्युत परिषद ने आदेश पारित कर दिए है कि यदि किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ है तो वह रद्द कर दिया जायेगा ।" तो आपातकालीन स्थिति के दौरान कितने व्यक्तियों का निलम्बन किया गया और क्या उनको बहाल कर दिया गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

ये आंकड़े के बारे में तो अलग से विषय उठा दिया है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें बता दूंगा कि कितने लोग निलंबित किए गये कितनों को स्थानान्तरित किया गया ।

श्री अध्यक्ष--

मांगों में एक मांग यह भी है कि जो आपातकालीन स्थिति में हटाये गये उनको रखा जाय तो उसके सम्बन्ध में आप निश्चित रूप से कृपया जानकारी प्राप्त कर लें ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

आपातकालीन स्थिति के दौरान और आपातकालीन स्थिति से सम्बन्धित और परिवार नियोजन के मामलों में जिन लोगों को सताया गया था, उनको राहत दी गई लेकिन जो गबन के आरोप में हटाये गये थे, उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी को विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष श्री बालिगा के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा, यह आग्रह करूंगा चूंकि उनको अधिक तथ्य ज्ञात हैं, मुझे विश्वास है कि वे तथ्यों के आधार पर ही कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने इन कर्मचारियों की मांगों पर कोई कार्य नहीं किया । जब यह ३ सदस्यों की समिति बनी जिसकी घोषणा २ अप्रैल को हुई ।

मैं जानना चाहूंगा कि १२ अप्रैल, १९७७ को कौन सी सरकार इस प्रदेश में थी जिसने इस समिति का गठन किया ?

श्री अध्यक्ष--

आपको खुद जानकारी है। अब आप बैठिये...

(स्वायत्त शासन मंत्री) श्री सत्य प्रकाश मालवीय --

अध्यक्ष जी ने जवाब दे दिया कि आपको स्वयं जानकारी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि विद्युत मंत्री जी से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बातों की घोषणा की हम अपेक्षा करते हैं और यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो नये माननीय सदस्य आये हैं उनको वह सही मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए ऐसी सूचना न दी जाय जिससे गलतफहमी हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह आपकी सलाह है, वह उसका लाभ उठायेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा व्यवस्था का सवाल है कि हम लोगों को एक से ज्यादा सवाल करने की इजाजत नहीं देते हैं। आखिर वह कितने सवाल कर सकते हैं? कितने सवाल करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

आपको इजाजत दी गयी थी, सवाल करने की।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं नहीं जानता था कि हमारे नवयुवक सदस्य अभी शासक दल गये तो इतना बुद्धि परिवर्तन उनका हो गया है मुझे इसका ज्ञान नहीं था।

तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो प्रश्न अध्यक्ष से सम्बन्धित, गठन का विचाराधीन है, इस बात को देखते हुए कि अध्यक्ष पद जो है वह कुंजी है सारे विद्युत परिषद की और चूंकि प्रश्न विद्युत परिषद के अध्यक्ष का आया और उसको उन्होंने अपने उत्तर में कह दिया कि विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष पद की जो गरिमा है सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सेट-अप में, तो यह स्पष्ट कर देना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष काम नहीं कर सकता अगर कल उनको मालूम हो जाय कि मेरा मामला विचाराधीन है और इस तरह से उनका मामला टाला नहीं जा सकता। इसको गोल मोल नहीं होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि इसको स्पष्ट कर दिया जाय कि क्या जो विद्युत परिषद के गठन का प्रश्न विचाराधीन है उसमें विद्युत परिषद के अध्यक्ष का प्रश्न है या नहीं।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने शासन की नीति बहुत स्पष्ट कर दी। बहुत सारे प्रश्न हैं जो जनहित में नहीं हैं कि...माननीय नेता विरोधी दल पूछ रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने पूछा कि पिछली सरकार ने कैसे मजदूरों के हित में बात नहीं की तो मैं साफ कर दूं। मजदूरों का जो मांग थी वह १९७४ से है, माननीय नेता विरोधी दल उसे पढ़ने की कृपा करेंगे। १-४-७४ के दिन में उनकी जो बेसिक फिक्स हुई थी, ३० रुपये का बढ़ोतरी नेशनल गाइड कमेटी की

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर से वह १-४-७४ को खत्म हो गयी थी। जब वे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो यह उनका दायित्व था कि उस कमेटी के समाप्त होने के बाद जो ५ साल तक नेशनल गाइड कमेटी बनी थी उसने जो रिकमेंडेशंस की थी, उनके बारे में मजदूरों और श्रमिकों के बारे में भी विचार करते। उन्होंने विचार नहीं किया। इसलिए वह मांग अपनी जगह पर है। दो साल एमरजेंसी और उसके साथ २० सूत्री कार्यक्रम और परिवार नियोजन के नाम पर जो जुल्म ढाये और मजदूरों के हितों की पूरी-पूरी उपेक्षा की गयी तो इस बात के कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

जहां तक कुशल परिषद् के गठन का प्रश्न है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि शासन को बहुत बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। गठन कहां से हो, नाजायज बात न हो, उचित हो वह सरकार देख रही है और समय आने पर आपको पता हो जायगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मंत्री जी ने जो सदन में अपनी रपट पढ़ी और उन्होंने कर्मचारियों से समझौते की जो बात कही उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े ही अफसोस की बात है और खासतौर से विद्युत मंत्री जैसे व्यक्ति के लिये शोभा नहीं देता ऐसी झूंठी बात यहां कहना।

श्री अध्यक्ष--

आप केवल प्रश्न पूछिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

जब वह आन्दोलन कर रहे थे शक्ति भवन पर पी० ए० सी०, पुलिस और बालिगा जो भ्रष्ट चेयरमैन है उसके खिलाफ जो दबाव डाल कर जबर्दस्ती समझौता कराया गया है। आप ऐसी बातें न कहा करें जो बिल्कुल झूंठी हों। आपात स्थिति के सम्बन्ध में जो आपने कृपा की जो कर्मचारी निकाले गये हैं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उन्हें बहाल किया जा रहा है। आप तो जानते ही हैं कि आपात स्थिति में कोई कानून नहीं था और सरकारी अधिकारियों ने परिवार नियोजन का भय दिखा कर व्यक्तिगत वैमनस्यता निकाली।

(एक सदस्य--सदन का समय पूरा हो गया, अब कार्यवाही समाप्त हो)

श्री अध्यक्ष--

(श्री सुन्दर लाल से) आप बैठिये। कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या माननीय विद्युत् मंत्री बतायेंगे कि आपात स्थिति के दौरान कितने कर्मचारी परिवार नियोजन के कारण निलम्बित हुये और कितने निकाले गये ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(शोर)

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल ने अभी एक सवाल उठाया कि आपात स्थिति में कितने लोग निलम्बित किये गये और कितने निकाले गये। तो यह तो वह खुद ही बता सकते हैं।

एक सदस्य--सदन का समय पूरा हो गया है इसलिये कार्यवाही समाप्त की जाय।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् का अध्यक्ष बदलने का मामला उनके विचाराधीन है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर वह दे चुके हैं। अब प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कम से कम इस बात के महत्व को देखें कि बिजली बोर्ड के सारे ऐक्ट में अध्यक्ष ही...

श्री अध्यक्ष--

समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२१ जुलाई, ११७७

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५१४ पर)

Phone 29758 24588

VIDYUT KARMCHARI SANYUKT SAMITI

Amaravati Hotel,

Guru Govind Singh Marg, Lucknow

19-7-77, 6 p. m.

To

The CHAIRMAN,

U. P. State Electricity Board,

Shakti Bhawan, Ashok Marg, Lucknow.

SRI.

We are happy that after the announcement made yesterday by Vidyut Mantri, Mananiya Ravindra Kishore Shahi yesterday that the U. P. State Electricity Board will be permitted to hold bilateral negotiations we met today and have reached agreem nts on some issues.

That we have also noted that Vidyut Mantriji has kindly agreed to review and reorientate the electricity policy in view of recurring power crisis.

We are happy that the need for wage revision has been accepted in principle. We hope that taking into account the delay in this process the diepute will now be resolved expeditiouly and in the first step interim relief will be granted without further delay as has been done in many other States.

We appreciate the gesture of the UPSEB and the initiative taken by the Power Minister. In view of he agreement reachnd today and the assurance that other issues will be considered in subsequent meetings we withdraw the notice for token strike on July 20, 1977.

We would request you to kindly convey the information to Vidyut Mantri Ji and also convey to him our sincere thanks for the initiative taken by him. Since there are some issues which con ern the Government we would be happy if we get an opportunity to discuss such issues with him.

With sincere thanks.

M. A. KHAN.
HARISH TIWARY.
RAMESH SRIVASTAVA.
RAJA RAM MISRA.
R. S. RAI.
P. K. SHUKLA.
J. N. SAXENA.
MAYA PRAKASH SAXENA

I further wish to add that the All India Federation of Electricity Employees also has withdrawn the 20th July all India token strike in view of the initiative taken by the Union Energy Minister Sri P. Ramchandran.

HARISH TIWARY.

पी० एस० यू० पी०—१७ वि० सभा—१८-८-७७—८४० (पी०डी०)